

NAAC-SSR (Assessment Year: 2017-22)

Criterion- 2 Teaching-learning and Evaluation

Public Disclosure

Prospectus for year 2022-23





महत्त्वपूर्ण निर्देश

इस विवरणिका में दिए गए नियम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा निर्मित एवं स्वीकृत हैं।

संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के अधिकृत निकायों एवं विश्वविद्यालयों के सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। ऐसा विश्वास है कि इस विवरणिका में जो भी निर्देश तथा सूचनाएँ दी गई हैं वे सभी प्रकाशन के समय तक संशोधित हैं। विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय इसमें प्रकाशित नियमों में आवश्यकता के अनुसार शुल्क तथा अन्य नियमों में परिवर्तन कर सकेगा तथा नए नियम जोड़ सकेगा। यदि इन नियमों में परिवर्तन व संशोधन के कारण किसी विद्यार्थी को अथवा किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है या अधिक व्यय करना पड़ता है, तो विश्वविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र उदयपुर रहेगा।

27 जून, 2022 कुल सचिव

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अध्युपाय) अधिनियम, 2022 अर्थात् The Rajasthan Public Examinations (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022 के प्रावधानों के अनुसार किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नपत्रों के प्रकटन या परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने के अपराध में दोषी व्यक्ति को दस वर्ष की सजा / दस करोड़ रुपयों के आर्थिक दण्ड / उसकी सम्पत्ति को जब्त करने इत्यादि के कठोर प्रावधान किए गए हैं।

विश्वविद्यालय हेल्पलाईन नम्बर और ई-मेल आई डी

0294-2471505, 2471506

E-mail: helpline@mlsu.ac.in




मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

Tel. 0294-2470166, 2470707, Fax : 0294-2471150 E-mail : registrar@mlsu.ac.in Website : www.mlsu.ac.in



श्री कलराज मिश्र महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति



प्रो. अमेरिका सिंह कुलपति (अवकाश पर)



प्रो. आई.वी. त्रिवेदी कुलपति (अतिरिक्त प्रभार)

संदेश



प्रिय विद्यार्थिगण,

दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल मेवाड़ अंचल के गौरवशाली परंपरा एवं उपलब्धियों से भरपूर उच्चतम शैक्षिक संस्था मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।

'विद्यया विन्दतेऽमृतम्' के ध्येय वाक्य को लेकर बने इस विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनमें समसामयिक एवं अद्यतन पाठ्यक्रमों का सृजन, परीक्षा पद्धति में नवाचार, श्रेष्ठ अनुसंधान

प्रयोगशालाओं एवं परियोजनाओं का संचालन, खेलकूद एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, प्रभावी अध्ययन एवं प्रबंधन, अपेक्षित परामर्श सेवाओं का संचालन, ग्रीष्मावकाश पीएच.डी. कोर्सवर्क का संचालन, संविधान स्तंभ एवं संविधान पार्क का निर्माण एवं 108 फीट ऊँचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना, पुस्तकालय ऑटोमेशन, डिग्रियों की डिजीलॉकर पर अपलोडिंग, विश्वविद्यालय भवनों की छतों पर सोलर ऊर्जा पैनल की स्थापना और विश्वविद्यालय के नवीन मुख्य द्वार (प्रकाश द्वार) इत्यादि कतिपय उदाहरण हैं। गत वर्ष विश्वविद्यालय ने अपनी 60 वर्षीय यात्रा का इतिहास ग्रंथ 'अतीत से संभावनाओं की उड़ान तक' प्रकाशित कर आप सभी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाया है। इसी तरह जुलाई, 2022 में यह विश्वविद्यालय, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर के संयुक्त सहयोग से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे स्व. श्री मोहनलाल सुखाड़ियाजी की जीवनी (राजस्थान के बाबूजी) आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा है।

नैक एवं एन.आई.आर.एफ. इत्यादि द्वारा सदैव उच्च ग्रेड प्राप्त करने वाले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने विगत 2 वर्षों में अनेक नए संकाय, विभाग, संस्थान तथा पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है, जो 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' की भावना एवं ध्येय को रखते हुए विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान मुख्यतः उसमें अध्ययनरत वर्तमान एवं उपाधि प्राप्त कर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गौरवमयी भूमिका का निर्वाह कर रहे पूर्व विद्यार्थियों से होती है।

अच्छी शिक्षा न केवल व्यक्ति तथा समाज का वर्तमान एवं भविष्य तय करती है बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, उन्नित एवं उच्च आदर्शों की स्थापना एवं उनकी पूर्ति का निर्णायक कारक भी सिद्ध होती है। अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाली शिक्षा यदि संस्कार एवं मूल्यों से जुड़ जाए तो श्रेष्ठतर स्थिति निर्मित होती है। इसी क्रम में यह विश्वविद्यालय 'आनन्दम्' नामक नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करते हुए समस्त शैक्षणिक, सहशैक्षणिक, खेलकूद एवं अन्य समाजोपयोगी एवं जीवनोपयोगी गतिविधियों में अपनी सिक्रय भूमिका निर्वाहित करते हुए अपना, अपने परिवार तथा इस शिक्षा-कुल का नाम रोशन करेंगे।

पुनश्च मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिवार में आपका अभिनंदन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना।

दिनांक - 29 जून, 2022

प्रो. आई.वी. त्रिवेदी कुलपति

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालयः एक परिचय

दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1962 में एक अधिनियम द्वारा उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (तत्कालीन उदयपुर विश्वविद्यालय) की स्थापना एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई।विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर आदिवासी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अरावली क्षेत्र में स्थित है। उदयपुर शहर, पर्यटन स्थल होने के अतिरिक्त अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और संदर परिदृश्य के कारण भी अपनी विशेष पहचान रखता है।

विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से ही शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक सोच पैदा करने, उच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के साथ तालमेल रखने में विश्वविद्यालय विशेष रूप से कटिबद्ध है। उच्च शिक्षा, शिक्षण एवं अनुसंधान आदि क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों के समग्र सामाजिक—आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के कारण विश्वविद्यालय क्षेत्र का सर्वाधिक इच्छित उच्च शिक्षण संस्थान है।

अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के बारे में जागरुक रहते हुए अपनी विविध विस्तार गतिविधियों के माध्यम से विश्वविद्यालय ने पिछड़े, कमजोर और गरीब लोगों के सामाजिक—आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय में स्थापित 'यूजीसी महिला अध्ययन केन्द्र' और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा द्वारा प्रायोजित 'जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र' ने महिलाओं के सशक्तीकरण, लैंगिक समानता एवं बाल विकास के क्षेत्र में महती भूमिका निभाई है।

विश्वविद्यालय इस बात पर गर्व कर सकता है कि वह अपने अधिकांश कार्यों, जैसे—शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और प्रशासन आदि के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रमुखता से कर रहा है।शिक्षकों और छात्रों के शैक्षिक विकास में अभिवृद्धि करने हेतु ई—पुस्तकालय का एक सुदृढ़ ढाँचा तैयार किया गया है।

अधिक कुशल और रोजगार योग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्तमान पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा और राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिकता रखने वाले नए पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य विश्वविद्यालय की एक प्रमुख गतिविधि है। अंतर—अनुशासनात्मक और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को और अधिक सहज और प्रभावी बनाया गया है तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बना दिया गया है।

अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय स्तर पर नवीन ज्ञान का साकार संचार किया है। विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान, भीतिक शास्त्र और प्राणि शास्त्र विभाग को विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत चिह्नित किया गया है। विज्ञान संकाय के विभिन्न सदस्यों को एफआईएसटी कार्यक्रम के अन्तर्गत डीएसटी से प्राप्त सहयोग उनके द्वारा की गई वैज्ञानिक उपलब्धियों का साक्षात प्रमाण है।

विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय की एक विशिष्ट उपलब्धि यह है कि संकाय से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की दोनों प्रमुख परिषदों यथा— 'इंडियन कॉमर्स एसोसियेशन' और 'इंडियन अकाउंटिंग एसोसियेशन' के राष्ट्रीय मुख्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में है। विषय की उच्च एवं व्यापक संस्थापना हेतु संकाय सदस्यों के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिभा खोज परीक्षा 'नेशनल अकाउंटिंग टेलेंट सर्च' आयोजित की जाती है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली यह परीक्षा देशभर के चालीस से अधिक केंद्रों पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों के लिए होती है।

समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय हमेशा प्रयासरत रहा है। विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्तियाँ और योग्यता में छूट प्रदान करके इन वर्गों की उच्च शिक्षा तक पहुँच में अभिवृद्धि की है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बहुवचनात्मक और न्यायसंगत समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

वर्तमान मे 187 महाविद्यालय/संस्थान इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं एवं लगभग 2 लाख विद्यार्थी निम्नलिखित संकायों में अध्ययनरत हैं –

- 1. विज्ञान संकाय
- 2. वाणिज्य संकाय
- 3. सामाजिक विज्ञान संकाय
- 4.मानविकी संकाय

- 5. विधि संकाय
- 6. प्रबन्ध अध्ययन संकाय
- 7. पृथ्वी विज्ञान संकाय
- 8. शिक्षा संकाय

दृष्टि एवं लक्ष्य (Vision & Mission)

दृष्टि (Vision)

नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाहित करके तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को ज्ञान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य श्रेष्ठता का इस प्रकार अनुसरण करना है कि जिससे उच्च गुणवत्ता बौद्धिक, पेशेवर और सांस्कृतिक रूप से विकसित ऐसी मानव शक्ति का सृजन हो सके जो राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।

लक्ष्य (Mission)

- 1. समग्र विकास तथा प्रबुद्ध नागरिकों के निर्माण हेतु मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना।
- 2. अधुनातन, प्रासंगिक एवं आवश्यकतानुरूप ज्ञान प्रदान करना।
- 3. समस्याओं के हल हेतु प्राप्त ज्ञान को उपयोगी बनाना एवं शोध और विकास के द्वारा नवाचार।
- 4. शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार और प्रशासन के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसी नवीनतम तकनीक को एकीकृत करना।
- 5. विद्यार्थियों में तर्कपूर्ण सोच का विकास करना तथा बहुआयामी समूहों में सफलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता विकसित करना।
- सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना।
- 7. शिक्षा में महिलाओं की पहुँच में वृद्धि करना तथा लैंगिक न्याय और महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना।
- 8. स्वावलंबी, साहसी और रोजगारपरक मानव संसाधन विकसित करना।
- 9. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं प्रबंधन हेतु शोध एवं अभिनवन द्वारा सृजित ज्ञान का उपयोग।
- 10. सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण।
- 11. उदार लोकाचार की स्थापना के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वातावरण प्रदान करना।


विश्वविद्यालय का समग्र लक्ष्य उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होना है जिससे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप न्यायोचित, बहुल तथा समतामूलक समाज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

Dean & Chairman	
Doop Post Craduate Studies	Prof. M.S. Rathore
Dean, Post-Graduate Studies	Prof. M.S. Rathore
Dean, Student Welfare	Prof. S.S. Bhanawat
Dean, University College of Science &	Prof. C.P. Jain
Chairman, Faculty of Science	
Dean, University College of Commerce & Management Studies & Chairman, Faculty of Commerce	Prof. P.K. Singh
Dean, University College of Social Sciences & Humanities	Prof. C.R. Suthar
Dean, University College of Law & Chairman, Faculty of Law	Prof. Anand Paliwal
Chairman, Faculty of Management Studies	Prof. Hanuman Prasad
Chairman, Faculty of Social Sciences	Prof. S.K. Kataria
Chairman, Faculty of Humanities	Prof. Pradeep Trikha
Chairman, Faculty of Education	Prof. C.R. Suthar
Chairman, Faculty of Earth Sciences	Prof. B.R. Bamniya
Officer Incharge of Co-Curricular Activities	
Co-ordinator, University Training & Placement Cell	Prof. Meera Mathur
Chairman, University Sports Board	Prof. S.S. Bhanawat
Chief Proctor	Prof. B.L. Verma
Nodal Officer Smart Village	Prof. B.L. Verma

ır al d Chief Warden, Hostels Prof. Manju Baghmar Officer Incharge, Central Library Prof. Arti Prasad Co-ordinator, N.S.S. Prof. C.R. Suthar Convenor, Anandam Prof. Neeraj Sharma Co-ordinator, Yoga Centre Dr. D.S. Chauhan

Director, Population Research Centre	Prof. Kalpana Jain
Director, University Computer Center	Dr. Avinash Panwar
Director, Centre for Capacity Building for Students	Dr. G.S. Chauhan
Co-ordinator, SC/ST Cell	Prof. P. M. Yadav
Co-ordinator, Internet Centre & Web Portal	Dr. Avinash Panwar
Convener, Internal Complaints Committee (POSH Act, 2013)	Prof. Seema Jalan
Co-ordinator, Competitive Exam, Coaching Centre	Prof. Pradeep Trikha
Advisor, International Students	Prof. Pradeep Trikha
Convener, University Media Cell	Dr. P.S. Rajput
Co-ordinator, Centre for Entrepreneurship & Small Business Management Cell	Prof. Hanuman Prasad
Convener, Equal Opportunity Cell	Prof. Sudha Choudhary
Convener, Minority Cell	Prof. Kalpana Jain
Incharge, University Guest House	Prof. Hanuman Prasad
Director, Center for Women's Studies	Prof. Pratibha
Co-ordinator, Red Ribbon Club	Dr. P.S. Rajput
Leader, Rover Scout	Dr. Khushpal Garg
Convener, University Central Anti Ragging Committee	Prof. L.S. Chouhan

Administrative & Academic Officers



Shri C.R. Dewasi Registrar



Shri Suresh Kumar Jain Comptroller



Dr. R.C. Kumawat Controller of Exams



Shri Rakesh Jain Executive Engineer



Prof. M.S. Rathore Dean, PG Studies



Prof. S.S. Bhanawat DSW



Prof. B.L. Verma Chief Proctor



Prof. C.R. Suthar NSS Co-ordinator



Prof. Manju Baghmar Chief Warden



Prof. Arti Prasad Officer Incharge, Central Library



Shri Mukesh Barber Dy. Registrar (Secrecy)



Dr. G.L. Vasita Sr. Accounts Officer & Dy. Comptroller



Dr. G.S. Chauhan Dy. Registrar (Exam.) (Offi.)



Dr. Devendra Singh Rathore
Dy. Registrar (GAD)
(Offi.)



Dr. Rekha Bairwa Astt. Librarian Central Library (Offi.)

N.C.C. Officers

Naval Wing

Sub/Lt (Dr.) Ajit Kumar Bhabor University College of Science, Troop

Commander, I Raj. Naval Unit, NCC, Udaipur

Army Wing

CTO Dr. Maya Choudhary University College of Science,

CARE TAKER, No. 10 BN. N.C.C., Udaipur

Air Wing

CTO Dr. Nitish Rai, University College of Science CARE TAKER, 6 Raj. Air Sqn NCC, Udaipur

University Central Anti Ragging Committee



Convener

Prof. L. S. Chouhan Deptt. of Pharmacy



अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1,	विभिन्न संकाय एवं पाठ्यक्रम	
	- विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय	1-26
	- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान एवं वास्तुकला महाविद्यालय	27-30
	- विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय	31-41
	- विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय	42-64
	- विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय	65-68
2,	पीएच. डी. कार्यक्रम	69-70
3.	प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया	
	(क) सामान्य सूचनाएँ	71
	(ख) सामान्य नियम	71-73
	(ग) आरक्षण	73-75
	(घ) योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण	75-83
	(ड·) प्रवेशार्थियों के रियायत∕भारण अंक सम्बन्धी	83
	मामलों की जाँच के लिए केन्द्रीय समिति	
	(च) प्रवेश प्रक्रिया	83-91
4.	उपस्थिति नियम	92
5.	शुल्क	93-100
6.	सामान्य अनुशासन नियम	101–103
7.	रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान	104-105
8.	परीक्षा संबंधी नियम	106-111
9.	छात्रवृत्तियाँ एवं वित्तीय सहायता	112-114
10.	पुस्तकालय सुविधाएँ	115-116
11,	छात्रावास	117
12,	यात्रा रियायतें	118
13.	छात्रसंघ और इसकी चुनाव प्रक्रिया	119-120
14.	विश्वविद्यालय स्तरीय सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ	121-124
15.	विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र	125
16.	विश्वविद्यालय इन्टरनेट केन्द्र	126-128
17.	राष्ट्रीय सेवाएँ	129-130
18.	खेलकूद	131
19.	शैक्षणिक सत्र	132
20.	महत्त्वपूर्ण दूरभाष	133-134
21.	विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय	135-141

विभिन्न संकाय एवं पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय University College of Science

Tel Fax E-mail Web 0294-2413955 0294-2413955 ucs@mlsu.ac.in www.mlsu.ac.in



अधिष्ठाता प्रो. सी.पी जैन

सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. सुशील कुमार गाँधी, डॉ. प्रद्युम्न सिंह राणावत

प्रॉक्टर डॉ. दिनेश कुमार यादव

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रभारी) डॉ. पी. एस. राजपूत

कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना डॉ. गिरिमा नागदा डॉ. तृप्ता जैन

डॉ. प्रदीप कुमार विश्वकर्मा

डॉ. अविनाश मारवाल

डॉ. दीप्ति श्रीमाल

विज्ञान संकाय (Faculty of Science)

फैकल्टी चैयरमेन

प्रो. सी.पी. जैन डीन, युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस

वनस्पति विज्ञान विभाग (Department of Botany)



डॉ. विनीत सोनी सह आचार्य



डॉ. रोहिणी त्रिवेदी सहायक आचार्य



डॉ. जया अरोड़ा सहायक आचार्य



डॉ. हरीश सहायक आचार्य



डॉ. कुलदीप शर्मा सहायक आचार्य



डॉ. अमित कुमार गुप्ता सहायक आचार्य



डॉ. तृप्ता जैन सहायक आचार्य



डॉ. मुकेश मीणा सहायक आचार्य



डॉ. ज्योति चौधरी सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. शिखा अग्रवाल सहायक आचार्य



डॉ. पूनम खण्डेलवाल सहायक आचार्य



डॉ. चेतना आमेटा सहायक आचार्य



डॉ. दिनेश पाण्डे सहायक आचार्य



डॉ. नीतू कुमारी सहायक आचार्य



डॉ. दिनेश कुमार यादव सहायक आचार्य



डॉ. नितिन कुमार सहायक आचार्य



डॉ. प्रभात कुमार बारोलिया सहायक आचार्य



डॉ. सिद्धार्थ शर्मा सहायक आचार्य



डॉ. रमा कंवर खंगारोत सहायक आचार्य



डॉ. गंगोत्री पेमावत सहायक आचार्य



डॉ. लोकेश कुमार अग्रवाल



डॉ. हिमांशु शर्मा सहायक आचार्य



डॉ. प्रद्युम्न सिंह राणावत सहायक आचार्य



डॉ. तरूण कुमार सहायक आचार्य



डॉ. देवेन्द्र सिंह सहायक आचार्य



विपिन खोकड सहायक आचार्य



डॉ. किरण मीणा सहायक आचार्य

कम्प्यूटर साइंस (Computer Science)



डॉ एम. के. जैन प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. अविनाश पंवार सह आचार्य



श्रीमती दीप्ति श्रीमाल सहायक आचार्य



श्री मोहित कुमार गोखरू सहायक आचार्य

गणित एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Mathematics and Statistics)



डॉ. घनश्याम सिंह राठौड़ आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. अतुल त्यागी आचार्य



डॉ. राकेश्वर पुरोहित सहायक आचार्य



डॉ. सुशील कुमार गांधी सहायक आचार्य



डॉ. अपराजिता कृष्णा सहायक आचार्य



डॉ. अजित कुमार भाबोर सहायक आचार्य



डॉ. धीरेन्द्र छाजेड सहायक आचार्य



डॉ. कीर्ति खुरदिया सहायक आचार्य



डॉ. महेश पुरी गोस्वामी सहायक आचार्य



भरत यादव सहायक आचार्य




डॉ. अनिता मेहता सहायक आचार्य (सांख्यिकी)



डॉ. प्रदीप कुमार विश्वकर्मा सहायक आचार्य (सांख्यिकी)

फार्मेंसी विभाग (Department of Pharmacy)



डॉ. सी.पी.जैन आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. ललित सिंह चौहान आचार्य



डॉ. जूही प्रधान सहायक आचार्य



डॉ. सुनीता पंचावत सहायक आचार्य



डॉ. मॉंगीलाल चौहान सहायक आचार्य



डॉ. गरीमा जोशी सहायक आचार्य



डॉ. सौरभ कुमार सिन्हा सहायक आचार्य



डॉ. दीपक चौधरी सहायक आचार्य



डॉ. मुकेश कुमार मीना सहायक आचार्य



डॉ. विवेक जैन सहायक आचार्य

भौतिक विज्ञान विभाग (Department of Physics)







डॉ. के. बी. जोशी आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. सुधीश कुमार आचार्य



डॉ. एम. एस. ढाका आचार्य



डॉ. घनश्याम पुरोहित सह आचार्य



डॉ. गुंजन अरोड़ा सहायक आचार्य



डॉ.दिनेश पाटीदार सहायक आचार्य



श्री लेखराज मीणा सहायक आचार्य

प्राणी विज्ञान विभाग (Department of Zoology)



डॉ. आरती प्रसाद आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. विजय कुमार कोली सहायक आचार्य



डॉ. आशाराम मीणा सहायक आचार्य



डॉ. दीपक रावल सहायक आचार्य



डॉ. गिरिमा नागदा सहायक आचार्य



डॉ. देवेन्द्र कुमार सहायक आचार्य

जैव तकनीकी (Bio-Technology)



डॉ. हर्षदा जोशी सह आचार्य एवं निदेशक



डॉ. टिकमचन्द डाकल सहायक आचार्य



डॉ. नितीश रॉय सहायक आचार्य



डॉ. अविनाश मारवाल सहायक आचार्य

सूक्ष्मजीव विज्ञान (Microbiology)

निदेशक

डॉ. हर्षदा जोशी



डॉ. हर्षदा जोशी निदेशक



डॉ. नमीता आशीष सिंह सहायक आचार्य

<mark>पॉलीमर विज्ञान</mark> (Polymer Science)

पाठ्यक्रम निदेशक (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)

डॉ. ज्योति चौधरी



डॉ. ज्योति चौधरी निदेशक

विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र (University Computer Centre)



निदेशक

डॉ. अविनाश पंवार



डॉ. अविनाश पंवार निदेशक



डॉ. एन. के. पारीख प्रोग्रामर



श्री मनोज राठौड़ असिस्टेंट प्रोग्रामर

अतिरिक्त प्रभार सहायक पुरतकालयाध्यक्ष



डॉ. पी. एस. राजपूत

Placement Cell



डॉ. जया अरोड़ा प्रभारी

मुख्य पाढयक्रम (पूर्णकालीन) तालिका १

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
विज्ञान A.	ा स्नातक (बी. एससी.) गणित वर्ग					
1.	भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	128	सामान्य शुल्क
2.	भू-विज्ञान के साथ निम्न में से दो विषय : भौतिकी, गणित, रसायन, सांख्यिकी	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	25	सामान्य शुल्क
3.	गणित एवं सांख्यिकी के साथ निम्न में से एक विषय : भौतिकी, रसायन विज्ञान	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	45	सामान्य शुल्क
4.	भौतिकी, गणित एवं कम्प्यूटर विज्ञान	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	45	सामान्य शुल्क
5.	भौतिकी, रसायन एवं गणित (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम)	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	160	₹ 25,000 प्र. वर्ष ÷ सामान्य शुल्क
В.	जीव विज्ञान वर्ग					
6.	वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान	10+2 (विज्ञान) बॉयोलोजी के साथ	48%	3 वर्ष	188	सामान्य शुल्क
7.	भू-विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ निम्न में से कोई एक विषय : वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान	10+2 (विज्ञान) बॉयोलोजी के साथ	48%	3 वर्ष	25	सामान्य शुल्क
8.	पर्यावरण विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ निम्न में से कोई एक विषय : वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान	10+2 (विज्ञान) बॉयोलोजी के साथ	48%	3 वर्ष	30	सामान्य शुल्क
9.	वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम)	10+2 (विज्ञान) बॉयोलोजी के साथ	48%	3 वर्ष	160	₹ 25,000 प्र. वर्ष ÷ सामान्य शुल्क
10.	विज्ञान स्नातक अतिरिक्त विषय भू-विज्ञान के साथ	विज्ञान स्नातक	48%	1 वर्ष	20	सामान्य शुल्क

टिप्पणी :-

1. यदि किसी विषय समूह में 10 से कम विद्यार्थी के आवेदन मिलने की स्थिति में मेरिट सूची के अनुसार दूसरे विषय समूह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
स्नात	क सीबीसीएस सेमेस्टर पाठ्यक्रम					
11.	भैषजिक विज्ञान स्नातक (बी.फार्मा)	10+2 विज्ञान	48%	4 वर्ष	40	₹ 39,145 प्र. वर्ष ÷ ₹5000 अवधान शुल्क
12.	बी.एससी. बायोटेक्नोलोजी के साथ (इन विषय समूह के साथः जैव तकनीकी, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	10+2 विज्ञान बॉयोलोजी के साथ	48%	3 वर्ष	60	₹ 38,500 प्र. वर्ष ÷ सामान्य शुल्क
13.	बी.सी.ए. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	10+2	48%	3 वर्ष	300	₹ 29,500 प्र. वर्ष ÷ सामान्य शुल्क
14.	बी.एससी. (पर्यावरण विज्ञान, भू-विज्ञान, भूगोल के साथ) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	10+2 विज्ञान	48%	3 वर्ष	60	₹ 15,000 प्रति सेमेस्टर ÷सामान्य शुल्क

टिप्पणी :-

1. यदि किसी विषय समूह में 10 से कम विद्यार्थी के आवेदन मिलने की स्थिति में मेरिट सूची के अनुसार दूसरे विषय समूह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

MAIN COURSES (FULL TIME)

TABLE: 1

S. No.	Course	Eligibility	Minimum Required %	Duration	Total Seats	Fees
Bac	helor of Science (B.Sc.)					
Α.	Mathematics Group					
1.	Physics Chemistry Mathematics (PCM)	10+2 Science Mathematics	48%	3 Years	128	Normal fee
2.	Geology with two subjects: Physics, Mathematics, Chemistry, Statistics (PMG, CMG, MGS)	10+2 Science Mathematics	48%	3 Years	25	Normal fee
3.	Mathematics and Statistics with any one subject: Physics, Chemistry (PMS, CMS)	10+2 Science Mathematics	48%	3 Years	45	Normal fees
4.	Physics Mathematics Computer Science (PMCom)	10+2 Science Mathematics	48%	3 Years	45	Normal fee
5.	Physics Chemistry Mathematics (PCM) SFS course	10+2 Science Mathematics	48%	3 Years	160	Self-Finance Fees (Rs. 25,000 extra) + Normal fees
В.	Biology Group					
6.	Botany Chemistry Zoology (BCZ)	10+2 Science Biology	48%	3 Years	188	Normal Fee
7.	Geology and Chemistry with any one subjects: Botany, Zoology (GCZ, GCB)	10+2 Science Biology	48%	3 Years	25	Normal Fee
8.	Environmental Science and Chemistry with any one subjects: Botany, Zoology (ECZ, ECB)	10+2 Science Biology	48%	3 Years	30	Normal fees
9.	Botany, Chemistry, Zoology (BCZ) SFS course	10+2 Science Biology	48%	3 Years	160	Self-Finance Fees (Rs. 25,000 extra) + Normal fees
10.	B.Sc. with additional subject Geology	B.Sc.	48%	One Year	20	Normal fees

Note: If number of students admitted in a subject combination is less than 10, admitted students will be transferred to other subject combinations as per merit due to minimum number of students required to offer a subject combination.

S. No.	Course	Eligibility	Minimum Required Marks	Duration	Total Seats	Fee
UG C	CBCS Semester courses					
11.	B.Pharma	10+2 Science	48%	4 Years	40	Rs. 39,145 per year + Rs. 5,000 Caution fees
12.	B.Sc. with Biotechnology: Biotechnology, Botany, Chemistry (Bt, C, B) SFS Course	10+2 Science Biology	48%	3 Years	60	Self-Finance Fees (Rs. 38,500 per year) + Normal fees
13.	B.C.A. SFS Course	10+2	48%	3 Years	300	Self-Finance Fees (Rs. 29,500 per year) + Normal fees
14.	B.Sc. in Environmental Science, Geology, Geography (EGG) SFS Course	10+2 Science	48%	3 Years	60	Self-Finance Fees (Rs. 15,000/- per semester) Normal fees

Note: If number of students admitted in a subject combination is less than 10, admitted students will be transferred to other subject combinations as per merit due to minimum number of students required to offer a subject combination.

विज्ञान स्नातकोत्तर (सीबीसीएस) सेमेस्टर पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2015 से विज्ञान संकाय एवं भू-विज्ञान संकाय में प्रभावी तालिका 2

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता प्राप्तांक	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता सामान्य∻ स्ववित्त पोषित शुल्क सीट	शुल्क				
स्नातव	स्नातकोत्तर (सीबीसीएस) सेमेस्टर पाठ्यक्रम									
1.	जैव तकनीकी	विज्ञान स्नातक*	48%	2 वर्ष	सामान्य=08	सामान्य शुल्क				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			स्ववित्त पोषित=22	₹ 27,780 प्रति सेमेस्टर+ सामान्य शुल्क				
2.	वनस्पति विज्ञान	विज्ञान # स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य= 25	सामान्य शुल्क				
					स्ववित्त पोषित=10	₹ 22,280 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क				
3.	रसायन विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य= 30	सामान्य शुल्क				
					स्ववित्त पोषित=30	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क				
4.	पर्यावरण विज्ञान	विज्ञान स्नातक\$	48%	2 वर्ष	सामान्य=10	सामान्य शुल्क				
					स्ववित्त पोषित=15	₹ 27,780 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क				
5.	भू-विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य=18	सामान्य शुल्क				
					स्ववित्त पोषित=18	₹ 25,000 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क				
6.	सूचना प्रौद्योगिकी	विज्ञान स्नातक/ बीसीए	48%	2 वर्ष	25 स्ववित्त पोषित	₹ 27,786 प्रति सेमेस्टर+ सामान्य शुल्क				
7.	गणित	विज्ञान/कला /स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य=50	सामान्य शुल्क				
		7411(14)			स्ववित्त पोषित=10	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क				
8.	सूक्ष्मजीव विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	20 स्ववित्त पोषित	₹ 35,480 प्रति सेमेस्टर+ सामान्य शुल्क				
9.	भौतिक विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य= 25	सामान्य शुल्क				
		*\I\I\			स्ववित्त पोषित=15	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क				
10.	पॉलिमर विज्ञान	विज्ञान स्नातक**	48%	2 वर्ष	सामान्य=10	सामान्य शुल्क				
		*\!\\\\			स्ववित्त पोषित=15	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क				

11.	नांख्यिकी विज्ञान 48% 2 स्नातक		2 वर्ष	सामान्य=10	सामान्य शुल्क	
		स्पातक		स्ववित्त पोषित=15	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क	
12.	प्राणी विज्ञान	विज्ञान @	48%	2 वर्ष	सामान्य= 25	सामान्य शुल्क
		स्नातक			स्ववित्त पोषित=25	₹ 22,280 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
13.	एम.सी.ए. (सीबीसीएस)	विज्ञान स्नातक /बी.सी.ए.	48%	18% 2 वर्ष	सामान्य= 30	राज्य सरकार
		/बा.सा.ए. गणित के साथ			स्ववित्त पोषित=30	के नियमानुसार
14.	एम. एससी. टेक. एपलाइड जियोलोजी			1 वर्ष	सामान्य= 12	सामान्य शुल्क
	<u> </u>	्र ।अशाः।			स्ववित्त पोषित = 06	₹ 24,480 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क

सामान्य शुल्क :- शैक्षणिक शुल्क, महाविद्यालय स्थानीय कोष शुल्क आदि कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुल्क रूपये 500/- प्रति कौशल पाठ्यक्रम अतिरिक्त

टिप्पणियाँ :-

- * स्नातकोत्तर जैव तकनीकी में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास निम्निलिखित में से कोई दो विषय विज्ञान स्नातक में होने आवश्यक हैं-रसायन विज्ञान, वनस्पित विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण तकनीकी, सूक्ष्म जैव विज्ञान, आनुवांशिकी, जैव तकनीकी,सूक्ष्म जैव आनुवांशिकी। अभ्यर्थी के पास स्नातक में जैव तकनिकी, जैव रसायन, जैव चिकित्सा विज्ञान, जैव चिकित्सा तकनिकी, आनुवांशिकी अभियान्त्रिकी, कृषि विज्ञान, जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, खाद्य विज्ञान, खाद्य तकनीकी विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, बी. फार्मा और अन्य प्रासंगिक विषय भी प्रवेश के लिए पात्र है।
- # स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को स्नातक की डिग्री तथा वनस्पती शास्त्र एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ा होना आवश्यक है । स्पष्टीकरण हेतु उम्मीदवार कृपया नोट करे कि बी.एससी. बायोटेक, बी.एससी कृषि विज्ञान, बी. फार्मा तथा अन्य इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र स्नातकोत्तर वनस्पती शास्त्र में प्रवेश ले सकते है। यदि उन्होने उपर्युक्त पाठ्यक्रम में वनस्पति शास्त्र एक मुख्य विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ा हो।
- पर्यावरण विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को निम्न में से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। जैसे की बी.एस.सी. (एग्रीकल्चर), बी.एस.सी. (फिशरीज़), बी.एस.सी. (फोरेस्ट्री) : बी.टेक और बी.ए. जिसमें भूगोल एक कोर विषय के रूप्में हो।
- ** स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतू अभ्यर्थी के पास विज्ञान स्नातक में ऐच्छिक विषयों में रसायन विज्ञान का होना अनिवार्य है।
- एक स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को स्नातक की डिग्री तथा प्राणी शास्त्र एक मुख्य विषय के रुप में पड़ा होना आवश्यक है । स्पष्टीकरण हेतु उम्मीदवार कृपया नोट करे कि बी.एससी. बायोटेक, बी.एससी कृषि विज्ञान, बी फामा तथा अन्य इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र में प्रवेश ले सकते है यदि उन्होंने उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्राणी शास्त्र एक मुख्य विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ा हो।
- 1. स्ववित्त पोषित सीटों पर प्रवेश हेतु अतिरिक्त शुल्क (सामान्य सीटों के शुल्क के अतिरिक्त) तालिका 2 के अनुसार देना होगा।
- 2. सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को सामान्य कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुल्क ₹ 500/- प्रति पाठ्यक्रम महाविद्यालय शुल्क के साथ भुगतान करने होंगे, जो विद्यार्थी स्ववित्त पोषित विभागीय विशेष कौशल पाठ्यक्रम को चुनेगा उसे विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क अतिरिक्त जमा करवाना पड़ेगा।
- 3. सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान स्नातक तथा स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थित 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अलग-अलग विषयों में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। यिद उसकी उपस्थित 75 प्रतिशत से कम पाई जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर पर सेमेस्टर के अन्त में होने वाली लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अलग-अलग विषयों में उपस्थिति होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का मेडिकल तथा अन्य किसी कारण से उपस्थिति में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। उपस्थिति के मिलान करने का कोई प्रावधान नहीं है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि महाविद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व उपस्थिति के बारे में अच्छी तरह नियमों को पढ ले।

Science PG (CBCS) Semester Course

Table: 2

S. No.	Discipline (Subject)	Eligibility	Minimum Required Marks	Duration	Total Seats Normal fee+ self finance seats (SFS)	Fees
1.	Biotechnology	B.Sc.*	48%	Two	Normal Seats=08	Normal fee
				Years	SFS Seats=22	₹ 27,780/- per semester + Normal fee
2.	Botany	B.Sc.#	48%	Two Years	Normal Seats=25	Normal fee
				rears	SFS Seats=10	₹ 22,280/- per year (SFS) + Normal fee
3.	Chemistry	B.Sc.	48%	Two Years	Normal Seats=30	Normal fee
				Tears	SFS Seats=30	₹ 22,250/- per year (SFS) + Normal fee
4.	Environmental Sciences	B.Sc.\$	48%	Two Years	Normal Seats=10	Normal fee
				rours	SFS Seats=15	₹ 27,780/- per year (SFS) + Normal fee
5.	Geology	B.Sc.	48%	Two Years	Normal Seats=18	Normal fee
				Tears	SFS Seats=18	₹ 25,000/- per Year (SFS) + Normal fee
6.	Information Technology	B.Sc./ B.C.A	48%	Two Years	SFS Seats=25	₹ 27,786/- per Semester + Normal fee
7.	Mathematics	B.Sc./B.A.	48%	Two Years	Normal Seats=50	Normal fee
				Tears	SFS Seats=10	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
8.	Microbiology	B. Sc.*	48%	Two Years	SFS Seats=20	₹ 35,480/- per Semester + Normal fee
9.	Physics	B.Sc.	48%	Two Years	Normal Seats=25	Normal fee
				rears	SFS Seats=15	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
10.	Polymer Science	B.Sc.**	48%	Two Years	Normal Seats=10	Normal fee
				Tears	SFS Seats=15	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
11.	Statistics	B.Sc.	48%	Two Years	Normal Seats=10	Normal fee
				rears	SFS Seats=15	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
12.	Zoology	B.Sc.@	48%	Two Years	Normal Seats=25	Normal fee
				Tears	SFS Seats=25	₹ 22,280/- per Year + Normal fee
13.	M.C.A (CBCS)	B.Sc./B.C.A with	48%	Two Years	Normal Seats=30	As per state
		Mathematics Paper			SFS Seats=30	government rule
14.	M. Sc. Tech (Applied Geology)	M.Sc. Geology	48%	One Year	Normal Seats=12	Normal fee
	Geology)	Geology			SFS Seats=6	₹ 24480/- per Year + Normal fee

Normal Fee: Tuition Fee + College Local Fund Fee etc. Additional Skill course Fee: Rs 500/- per skill course

Note:

- * For admission to M.Sc. Biotechnology, Candidates must have any of the following two subjects at B.Sc. Chemistry, Botany, Zoology, Environmental Sc., Environmental Technology, Microbiology, Genetics, Biotechnology/Microbial Genetics. Candidate with Bsc. in Biotechnology, genetics, microbiology, Biochemistry, Biomedical Science, Biomedical technology, genetic engineering, agriculture, life science, biosciences, food science, food technology, forensic science, B.Pharma and other relevant subjects are also eligible for admission.
- # For Admission to M.Sc. candidate must be UG and must have compulsorily studied botany as part of their core course during graduation. For clarification it may be noted that students with B.Sc. Biotech, B.Sc. Agriculture, BPharma or such other professional courses they can take admission in M.Sc. Botany if they have studied botany as part of graduation course.
- \$ For Admission to M.Sc. Environmental Science Candidate must have B.Sc. in any stream of Science including B.Sc. (Agriculture), B.Sc. (Fisheries), B.Sc. (Forestry); B.Tech and B.A. with Geography as core Subject.
- ** For Admission to M.Sc., the student must have compulsorily studied Chemistry as one of the optional subject.
- @ For Admission to M.Sc. candidate must be UG and must have compulsorily studied zoology as part of their core course during graduation. For clarification it may be noted that students with B.Sc. Biotech, B.Sc. Agriculture, BPharma or such other professional courses they can take admission in M.Sc. zoology if they have studied zoology as part of graduation course.
- 1. For SFS seats additional fee (other than College normal fee) will be charged as per table
- 2. In M.Sc (CBCS) course, an additional fee of Rs 500/- will be charged by the college for the Skill courses of General category offered by the College. If the students selects any of specialized skill course of General category or Departmental Skill courses under SFS an additional fee will be charged by the department.
- 3. According to CBCS scheme a minimum of 75% attendance in each paper of every course is compulsory for students taking admission in B.Sc., M.Sc. and B.C.A (CBCS) programme. If at the end of the semester their attendance is found less than 75%, they shall not be allowed to appear in the end semester theory and practical examinations both. No concession in the attendance shall be given on medical or any other grounds. There is no provision for condoning attendance. Students are advised to read the attendance rules of the college before taking admission.

विज्ञान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू किए गए नियम

- स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी को विषय परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा। साथ ही विद्यार्थियों का सलाह दी जाती है कि काउसंलिग/प्रवेश के दौरान विकल्प पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
- वह विद्यार्थी जो स्विवत्त पोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे उन्हें नियमित स्विवत्त पोषित शुल्क के अलावा सामान्य शुल्क, स्थानीय शुल्क का भुगतान तालिका के अनुसार करना होगा।
- 3. विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने के बाद उपस्थिति नियम निम्न प्रकार से होगा।
 - (1) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक व स्नातकोत्तर व अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के बाद सैद्धान्तिक व प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। सीबीसीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक पेपर में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
 - (2) प्रत्येक विद्यार्थी की माहवार उपस्थिति सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा संकलन कर विश्वविद्यालय की वेब साईट एवं विभाग के सूचना पटट पर विभागाध्यक्ष साधारणतय अगले माह की 7 तारीख तक दर्शायी जाएगी।
 - (3) स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विवविद्यालय स्तर पर होने वाली सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं में बैठने नही दिया जाएगा। फिर भी किसी वास्तविक परिस्थित में कमेटी द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत रेमेडियल कक्षाएं लगवाने के लिए की गई व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्रत्येक पेपर पर होने वाले अध्यापन खर्च का वहन विद्यार्थियों को स्वयं उठाना होगा। अधिकतम रेमेडियल कक्षाओं में किसी भी प्रकार की रियायत अथवा छूट का प्रावधान नहीं है
 - (4) कमेटी द्वारा निर्घारित किसी भी गंभीर चिकित्सकीय कारण के लिए विद्यार्थी द्वारा मेडिकल छुट्टी देने के बाद विद्यार्थी से असाइनमेन्ट अथवा अन्य शैक्षणिक कार्य किये जाने के बाद अधिकतम 5 प्रतिशत कक्षाओं की भरपाई की जा सकती है। उपस्थिति का रिकोर्ड भी रखा जाएगा।
 - (5) यदि किसी कारणवश विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लघंन करते हुए कम उपस्थिति होने के वाबजूद आन-लाईन परीक्षा फार्म भर दिया तथा प्रवेश पत्र जारी होने के बाद भी उसे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह मुख्य परीक्षा दे देता है तो विश्वविद्यालय के नियमानुसार विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
 - (6) विभागाध्यक्ष और अधिष्ठाता, महाविद्यालय को उपस्थिति नियमों में किसी भी प्रकार की रियायत देने का अधिकार नहीं होगा। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का शपथ पत्र/ सर्टिंफिकेट मान्य नहीं होगा।
- 4. स्विवत्त पोषित सीट/स्विवत्त पोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को स्नातक व स्नातकोत्तर में सामान्य सीटों में पिरवर्तन की अनुमित नहीं होगी।
- 5. विद्यार्थी ने महाविद्यालय में शुल्क जमा कराया लेकिन महाविद्यालय में अनुपस्थित रहने की स्थिति में विद्यार्थी को महाविद्यालय का छात्र नहीं माना जाएगा तथा महाविद्यालय से मिलने वाली सुविधा से विचेत तथा न ही किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

- 6. यदि विद्यार्थी प्रवेश लेने के एक माह के भीतर अपना प्रवेश रद्द कराता है तो उसे ट्यूशन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क नियमों के अन्तर्गत वापस भुगतान कर दिया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया का शुल्क काटकर तभी लौटाया जा सकेगा जब प्रवेश की अन्तिम तिथि तक उसको आवंटित की गई सीट भर ली गई हो।
- (1) ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश लेने के एक सप्ताह के अन्दर मूल रसीद जो कि उसे अन्य संस<mark>्था द्वारा प्रदान की गई</mark> थी के साथ अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (2) शुल्क वापसी प्रार्थना पत्र के साथ महाविद्यालय द्वारा जारी स्थान्नतरण प्रमाण पत्र प्रस्तृत करना होगा।
- (3) स्विवित्त पोषित पाठ्यक्रम/पेमेन्ट सीट की आर्थिक व्यवहार्यता के कारण विद्यार्थी को शुल्क सभी सीटे भरने के बाद तभी वापस किया जाएगा जब उस सीट पर किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिया जाता है।
- (4) विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनः शुल्क प्राप्ति प्रार्थना पत्र प्रवेश प्रक्रिया के एक माह के बाद महाविद्यालय तथा विभाग की प्राप्त होता है तो ऐसे प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7. विद्यार्थी को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि वे अपना अवदान द्रव्य/बुक-बैंक सिक्यूरिटी स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के एक वर्ष के भीतर अथवा का एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उक्त राशि पुनः प्रदान नही की जाएगी।
- 8. ऐसे विद्यार्थी जो एक माह तक (सरकारी अवकाश को छोड़कर) निरन्तर महाविद्यालय में अनुपस्थित है तो ऐसे विद्यार्थी का नाम उपस्थित पंजिका से हटा दिया जायेगा वे पुनः प्रवेश के लिए तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के योग्य नहीं होगे। जबिक यदि विद्यार्थी चिकित्सा कारणों की वजह से अनुपस्थित रहता/रहती है तो ऐसे विद्यार्थियों को चिकित्सा के कारण कमेटी द्वारा निर्घारित किसी भी गंभीर चिकित्सकीय कारण के लिए विद्यार्थी द्वारा मेडिकल छुट्टी देने के बाद विद्यार्थी से असाइनमेन्ट अथवा अन्य शैक्षणिक कार्य किये जाने के बाद अधिकतम 5 प्रतिशत कक्षाओं की भरपाई की जा सकती है।
- 9. विज्ञान स्नातकोत्तर (सीबीसीएस) पाठ्यक्रम में उपस्थिति हेतु बनाए गये सभी प्रकार के नियम विज्ञान स्नातक (सीबीसीएस) बी. एससी, बी.सी.ए तथा एम.सी.ए. पाठयक्रम पर भी लागू होगे।
- 10 स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी को पूर्व उत्तीर्ण िकये गये संस्थान द्वारा जारी अपना मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। प्रवेश लेने के पश्चात् तथा पहचान पत्र प्राप्त होने के बाद विद्यार्थी िकसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तथा उक्त महाविद्यालय से प्रवेश वापस लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे महाविद्यालय द्वारा नया स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी िकया जाएगा। उसे मूल स्थानान्तरण प्रवेश पत्र पुनः प्रवान नही िकया जाएगा।

विकल्प आधारित केंडिट प्रणाली के तहत विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय की अकादिमक परिषद् के निर्देशानुसार शैक्षणिक क्षेत्र 2015 से विज्ञान संकाय एवं भू-विज्ञान संकाय के सभी स्नोतकोत्तर पाठ्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को अपनाने का फैसला किया गया है।

कार्यक्रम की समय सीमा: दो (2) वर्ष

पात्रता : स्नातक अथवा प्रासंगिक विषय में अथवा उसके समकक्ष उपाधि अथवा निर्धारित विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अथवा प्रासंगिक सीबीसीएस आधारित स्नातक डिग्री में प्रासंगिक विषय में न्यूनतम 24 क्रेडिट एवं 'सी' ग्रेड।

प्रवेश: स्नातक स्तर पर प्रासंगिक विषय में बाह्य लिखित परीक्षा में सैद्धान्तिक (theory paper) परीक्षा पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। यदि विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या से तीन गुना अधिक होती है तो प्रवेश प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा तथा उसके पश्चात् प्रवेश परीक्षा के 50 प्रतिशत अंकों एवं स्नातक स्तर में सैद्धान्तिक प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत को जोड़ कर वरीयता बनाई जाएगी।

निर्देश एवं परीक्षा का माध्यम : अंग्रेजी

सीटों की संख्या: तालिका 1 तथा 2 में दी गई सूचना के आधार पर।

क्रेडिट आवश्यकता (Credit requirement) प्रत्येक विद्यार्थी को कुल 100 क्रेडिट अर्जित करने हैं। 96 क्रेडिट मूल पाठ्यक्रम में से तथा 4 क्रेडिट कौशल पाठ्यक्रम से।

सीबीसीएस कार्यक्रम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु हर कोर्स में से न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, अगर किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाई जाएगी तो उसे सत्रांत की बाह्य परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा वे एक भी क्रेडिट अर्जित नहीं कर पाएँगे।

प्रत्येक सत्र (सेमेस्टर) के आरंभ में विद्यार्थी को निर्धारित मूल विषय विशिष्ट एवं कौशल कार्यक्रमों में पंजीकरण करना आवश्यक है।

कौशल पाठ्यक्रमों का चुनाव विद्यार्थी किन माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय अपने स्तर पर निम्नलिखित सामान्य कौशल पाठ्यक्रमों को मात्र ₹500/- के शुल्क के साथ संचालित करेगा। यह शुल्क वार्षिक शुल्क के

- 1. विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष कौशल पाठ्यक्रम में से किसी एक पाठ्यक्रम का चुनाव विद्यार्थी को करना होगा।
- उपर्युक्त कौशल पाठ्यक्रम महाविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

सामान्य कौशल पाठ्यक्रम

1. अंग्रेजी कम्यूनिकेशन एवं प्रजेन्टेशन कौशल, 2. वैज्ञानिक लेखन कौशल, 3. आई सी टी कौशल, 4. प्रोग्रामिंग इन सी

- गणितीय एवं विश्लेषणात्मक कौशल (जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए), 6. मशरूम की खेती, 7. वर्मी टेक्नोलॉजी,
- 8. मधुमक्खी पालन, 9. रेशम कीट पालन

<mark>प्रत्येक</mark> सामान्य कौशल पाठ्यक्रम चलाने हेतु कम से कम बीस विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेना आवश्यक है। विषय विशिष्ट कौशल पाठ्यक्रम चलाने हेतु कम से कम दस विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना आवश्यक है।

प्रत्येक कौशल पाठ्यक्रम के लिए दो क्रेडिट (4 घंटे प्रति सप्ताह) निर्धारित हैं एवं प्रत्येक विद्यार्थी को सामान्य अथवा विशिष्ट योग्यता पाठ्यक्रमों की सूची में से कोई भी दो पाठ्यक्रमों का चयन कर कुल चार (4) क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अगर चाहे तो दो से ज्यादा योग्यता पाठ्यक्रम का चयन कर निर्धारित 100 क्रेडिट से ज्यादा क्रेडिट प्राप्त कर अपनी डिग्री में गुण/मूल्य संवर्धन (Value addition) कर सकते हैं। यह अतिरिक्त श्रेय (extra credit) विद्यार्थी की अंक तालिका पर अतिरिक्त के रूप में अंकित किए जाएँगे।

सामान्य कौशल एवं विषय विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए आनलाईन पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ आधार पर क्रेडिट विकल्प आधारित प्रणाली (CBCS) के पंजीकरण के साथ प्रथम दिवस से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

CBCS पाठ्यक्रम का प्रबंधन (संचालन) वेब आधारित एप्लीकेशन के द्वारा किया जाएगा। अतः विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे इन वेब आधारित एप्लीकेशन का नियमित रूप से उपयोग करें एवं विश्वविद्यालय की वेब साईट पर सभी विवरणों की जानकारी प्राप्त करें।

सीबीसीएस स्नातकोत्तर 2016-17

RULES APPLICABLE TO STUDENTS ADMITTED UNDER FACULTY OF SCIENCE

- 1. Students admitted to Under Graduate and Post-graduate Courses shall not be allowed to change their subjects. So students are advised to choose their option carefully during counseling/admission.
- 2. Students admitted against SFS seats(Payment seats) shall be required to pay an additional Payment seat Fee in addition to the college fee annually.
- 3. Following attendance rules will apply for all the students admitted.
- (a) All the students admitted as regular students of UG,PG and other courses in the faculty of science shall be required to attend 75% of the classes held in each subject in both practical and theory separately. In CBCS courses, 75% attendance will be required separately in each paper as per course rules.
- (b) Attendance will be prepared by the teacher concerned and will be notified every month on the notice board and on the University website normally up to 7^{th} of every month by the Head of the Department.
- (c) Candidates whose attendance is less than 75% shall not be allowed to appear in the University external examinations based on the attendance computed at the end of session/semester. However, for genuine cases decided by a committee, maximum 10% of the total classes held, can be conducted as remedial classes in each paper provided that the expenditure for conducting such classes will be borne by the participating students on sharing basis. No exception and relaxation in the maximum remedial classes to be held is permissible as it dilutes the attendance requirement.
- (d) In case of serious medical reasons (to be decided by a committee) maximum 5% of classes lost may be allowed to be compensated by assigning written or any academic work by recording attendance as and when student returns back from medical leave.
- (e) In case a student submits his online application form for examination without fulfilling attendance requirements or even if he has been issued online admit card, if the candidate has not satisfied attendance requirement, he/she shall not be eligible to appear in the external examination. Even if the candidate takes the admission, his/her result shall not be declared.
- (f) Neither Head of the Department nor Dean of the College shall relax the above attendance rules to allow the candidates in appearing in the examination. No affidavit/certificates etc shall be valid for appearing in the University examination.
- 4. Once the candidate gets admission on the SFS seats/SFS courses he/she shall not be allowed to convert into Normal fee seats.
- 5. If any candidate deposited the fees but not attended the college, shall not be treated as student of the college and shall not be eligible for appearing in any examinations or availing facilities for the students.
- 6. If a student admitted against the Normal fee seats leaves the course within a period of one month from start of the course, tuition fee and Laboratory fee will be refunded as per University rules, provided that the seat allotted to the candidate is filled by last date of admission.
- (i) Such candidates shall be required to apply within a week from taking admission in the outside institution along with fee receipt issued by both the institutions
 - (ii) Required to submit Transfer certificate issued by the College along with fee refund applications.
- (iii) In case of a candidate is admitted against the SFS Course/Payment seat, the fee may be refunded if the seat vacated by the candidate is filled up by another candidate, due to economical viability of the course.
- (iv) Students shall not be eligible for fee refund if their application is received for fee refund after a period of one month from the date of admission in the College/Department of the University.
- 7. Students are advised to apply for the refund of their Caution Deposit/Book Bank Security etc. within a period of one year from taking their Transfer Certificate or completion of their course. After a lapse of one year, refund shall not be made.

- 8. Name of all students who fails to attend the college continuously for a period of one month (excluding vacation period) after taking admission shall be removed from the Students Register and shall not be eligible for re-admission or appearing in the classes held or in the University Examinations. However, if a candidate is absent due to medical reason, and informed in writing, he/she will be required to take re-admission by submitting a valid medical certificate as per Government rules with fitness to continue his/her studies provided the candidate satisfies the minimum 75% attendance requirement.
- 9. The Attendance rules and other rules and regulations for M.Sc. (CBCS) programme will also be applicable for B.Sc.(CBCS), B.C.A(CBCS) and MCA(CBCS) programme.

10.All the students admitted to B.Sc. and M.Sc. courses shall be required to deposit the original Transfer Certificate issued by the last institution attended. If the student leaves the institution after beginning of regular classes or after the issue of Identity card he/she shall be required to get his transfer certificate from the college to leave the college to take admission in another college. The original TC deposited shall not be returned.

Master of Science Programme under Choice Based Credit System M.Sc. (CBCS)

As per directions of University Grants Commission, New Delhi and as per decision of the Academic Council of the University, the Faculty of Science and Faculty of Earth Sciences have decided to adopt CBCS system in all Masters Programmes offered by the University Departments and affiliated Colleges from academic session 2015-16.

Duration of the Programme: Four Semesters

Eligibility: Bachelor or equivalent degree in the relevant subject on the basis of marks obtained in prescribed subjects with minimum 48% or B.Sc. under CBCS with minimum 24 credits in the discipline concerned and minimum C Grade.

Admission: Admission will be made on the basis of merit determined on the basis of marks obtained in written external examination in theory papers at the graduation level in relevant subject. If the number of applications received are more than three times the sanctioned strength, admission will be given through entrance examination. Merit list will be based on adding 50 percent marks attained in the entrance exam and 50 percent marks attained in theory papers of the qualifying exam.

Medium of Instruction and Examination: English

No. of seats: According to information given in the table no. 1 & 2

Attendance requirement: A candidate taking admission in the Masters programme under CBCS shall be required to have minimum 75% attendance. No candidate having attendance less than 75% in each semester in each course shall be eligible to appear in the external semester End examination in the respective course.

Credit requirement: Each student will have to earn total 100 credits per semester, 96 from core & discipline specific electives + 4 credits from skill courses.

At the beginning of each semester, students shall be required to register for prescribed number of core courses, discipline Specific Electives and Skill courses.

Students shall be required to contact respective departments for selecting Core courses, Subject specific Electives and Skill Courses.

Each University Department will also offer elective skill courses under SFS programme related to their subject apart from the core and elective courses. In addition to this, four skill courses of general nature will also be offered by the College and a nominal fee of ₹500/- per course will be deposited along with regualr fee. The following general skill courses will be run by the College:

General Skill Courses

- (i) English Communication and Presentation Skills (ii) Scientific Writing Skills (iii) ICT Skills
- (iv) Programming in C (v) Mathematical and Analytical Skills (For Students of Biological Sciences)
- (vi) Mushroom Culture (vii) Vermitechnology (viii) Bee Keeping (Apiculture)
- (ix) Sericulture

Minimum 20 students will be required to offer each course under General Skill courses where as a minimum 10 students will be required to offer Subject Specific Skill Courses. Each Skill course shall be of 2 credits (4 hrs/week) and students will have to earn at least 4 credits by offering any two skill courses from the General list or Subject Specific Skill courses. Students can also earn extra credits above 100 credits for value addition of their degree by taking more skill courses which will be listed under extra on the mark sheet. Registration for the Skill Courses and general courses will be offered on first cum first serve basis through registration from the beginning of registration for CBCS courses.

Since the course management of Choice Based Credit System will be done through a Web based Application, students are expected to use web applications on daily basis as well as visit university web site for more details regularly.

डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स - प्राणी विज्ञान विभाग द्वारा संचालित (पूर्णकालीन-कार्यक्रम)

क्रम.स	पाठ्यक्रम (विषय)	प्रवेश पात्रता	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
1	जन स्वास्थ्य कीट विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अवधि 1 सालः 2 सेमेस्टर)	लाईफ साईन्स में स्नातकोत्तर, प्राणी विज्ञान के साथ (प्राथमिकता कीट विज्ञान), कृषि कीट विज्ञान, सूक्ष्मविज्ञान, जैवप्रोघोगिकी, एमबीबीएस, फार्मेसी या जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर	20 (स्ववित्त पोषित)	रू. 25000/- प्रति सेमेस्टर + सामान्य शिक्षण संस्थान शुल्क
2	नैदानिक प्रयोगशाला में तकनीकी डिप्लोमा (अवधि 1 सालः 2 सेमेस्टर)		20 (स्ववित्त पोषित)	रू. 25000/- प्रति वर्ष (स्ववित्त पोषित) शुल्क
3	कृमि संवर्धन जैव प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन हेतु प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (अवधि 6 महीने)	10 (न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ)	20	रूसा 2.0 प्रोजेक्ट चलने तक फीस लागू नही है, उसके पश्चात 2500/-
4	मशरूम उत्पादन में प्रमाण पत्र पाठचक्रम (अवधि 6 महीने)	10 (न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ)	20	रूसा 2.0 प्रोजेक्ट चलने तक फीस लागू नही है, उसके पश्चात 2500/-

*अंशकालीन डिप्लोमा : व्यासायिक कौशल पाठ्यक्रम (अल्प समय)

क्रम.स	पाठ्यक्रम (विषय)	प्रवेश पात्रता	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
1	सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट	स्नातक	8+22 (स्ववित्त पोषित)	रू. 8000/- प्रति वर्ष (स्ववित्त पोषित) शुल्क
2	कम्प्यूटर नेटवर्क की स्थापना और अनुरक्षण	10+2	25+10 (स्ववित्त पोषित)	रू. 10,0000/- प्रति वर्ष (स्ववित्त पोषित) शुल्क

सर्टिफिकिट प्रोग्राम : कौशल पाठ्यक्रम (अंश कालिक)

क्रम.स	पाठ्यक्रम (विषय) प्र	प्रवेश पात्रता	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
1	बेसिक विजली और इलैक्ट्रोनिक्स	10+2	40	रू. 2000/-
2	कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण और स्थापना	10+2	40	रू. 2000/-
3	कम्प्यूटर नेटवर्क के अनुरक्षण	10+2	40	रू. 2500/-
4	आप्टिकल फाइबर अनुरक्षण	10+2	40	रू. 2500/-
5	व्यापार और लेखा अनुप्रयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	10+2	40	रू. 2500/-
6	व्यापार और लेखा अनुप्रयोग के लिए उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी	10+2	40	रू. 3000/-
7	वीडियों सम्पादन और उत्पादन	10+2	40	रू. 2500/-
8	एस पी एस एस का प्रयोग कर डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण	10+2	40	रू. 2500/-
9	बडा डाटा विश्लेषण	10+2	40	रू. 2500/-
10	जावा जे2ईई	10+2	40	रू. 2000/-
11	विजुअल स्टूडिओ डॉट नेट	10+2	40	रू. 2000/-
12	आफिस ऑटोमेशन और ई-गवर्नेस	10+2	40	रू. 1500/-
13	क्लाउड कम्प्यूटिंग	10+2	40	रू. 2500/-
14	मशरूम की खेती	10+2	40	रू. 2500/-
15	वर्मिटेक्नालाजी	10+2	40	रू. 2500/-

Diploma & Certificate Courses offered by Department of Zoology (Full Time Diploma Programme)

-				<u> </u>	
	Sr no	Discipline (Subject)	Eligiblility	Total Seats Normal fee+SFS	Fees for SFS seats
	1	Post Graduate Diploma in Public Health Entomology (Duration 1 Year : 2 Semester)	M. Sc. in Life Science (Preferably M.Sc. zoology specialization in Entomology) or Agriculture sciences Entomology, Microbiology, Biotechnology, MBBS, Pharmacy & Master in Public Health	20	Rs. 25,000/- per semester + Normal Institutional Fees
	2	Diploma in Clinical Lab Technology (Duration 1 Year : 2 Semester)	10+2 or above in Science Biology stream	20	Rs. 25,000/- per annum
	3	Certificate course in Vermiculture Biotechnology for Employment Generation Duration : 6 Months	10th with Minimum Passing Marks	20	Free till RUSA 2.0 project lasts thereafter 2500/-
	4	Certificate course in Mushroom Cultivation	10th with Minimum Passing Marks	20	Free till RUSA 2.0 project lasts thereafter 2500/-

Short Term Diploma: Vocational Skill Courses (Part Time)

Sr no	Discipline (Subject)	Eligiblility	Totel Seats SFS	Fees for Payment/SFS seats
1	Software Development	Graduate	40	Rs. 8,000/-
2	Computer Network Installation and Maintenance	10+2	40	Rs. 10,000/-

Certificate Programme: Skill Enhancement Courses (part-time)

Sr no	Discipline (Subject)	Eligiblility	Total Seats	Fees
1	Basic Electricity and Electronics	10+2	40	Rs. 2,000/-
2	Computer Hardware Maintenance and Installation	10+2	40	Rs. 2,000/-
3	Computer Network Maintenance	10+2	40	Rs. 2,500/-
4	Optical Fiber Maintenance	10+2	40	Rs. 2,500/-
5	Information Technology for Business and Accounting Applications	10+2	40	Rs. 2,500/-
6	Advanced Information Technology for Business and Accounting Applications	10+2	40	Rs. 3,000/-
7	Video Editing and Production	10+2	40	Rs. 2,500/-
8	Statistical Analysis of Data using SPSS	Graduate	40	Rs. 2,500/-
9	Big Data Analytics	Graduate	40	Rs. 2,500/-
10	Java J2EE	10+2	40	Rs. 2,000/-
11	Visual Studio dot Net	10+2	40	Rs. 2,000/-
12	Office Automation and E-governance	10+2	40	Rs. 1,500/-
13	Cloud Computing	10+2	40	Rs. 2,500/-
14	Mushroom culture	10+2	20	Rs. 2,500/-
15	Vermitechnology	10+2	20	Rs. 2,500/-

Diploma & Certificate Courses offered by Department of Botany under RUSA 2.0 Grant

Sr no	Courses Offered	Duration	Eligibility/ qualification*	Curriculum
1	Certificate course in Bioproducts and Bioprocesses	6 Months	12th Science stream/ B.Sc./ B.Sc. (H)/ B.Sc. Ag.	Module 1
2	Certificate course in In vitro Techniques	6 Months	12th Science stream/ B.Sc./ B.Sc. (H)/ B.Sc. Ag./ B.TechBiotech/ M.Sc./ M. Phil./Ph. D in Life Science or related subjects	Module 2
3	Certificate course in Tools and Techniques in Biosciences	6 Months	M.Sc./ M. Phil./Ph. D in Life Science or related subjects	Module 3
4	Diploma in Bioprocesses and Biotechniques	1 Year	12th Science stream/ B.Sc./ B.Sc. (H)/ B.Sc. Ag./B.TechBiotech/M.Sc./ M. Phil./Ph. D in Life Science or related subjects	Module 1 *Module 2 or Module 3 *Choice b/w Module 2 & 3
5	Post Graduate Diploma in Bioprocesses and Biotechniques	2 Year	B. Sc./ B. Sc. (H)/ B. Sc. Ag./ M. Sc. in Botany/ Zoology/ Biochemistry Biotechnology/ Microbiology/ Life Sciences/ Pharmacy/ Food Technology Forestry/ Agriculture/ Dairy Technology/ Chemistry & allied sciences	Module 1 Module 2 Module 3 & 6 months Industry exposure**

Note: For more & latest information kindly visit University Website

ADD - ON COURSES

Students admitted to various UG and PG courses of the courses of the University can offer one add-on Diploma/Certificate courses in a session to acquire additional professional competency in specified areas of their interest. Courses content of Add-on Diploma will be approximately equivalent to that of one paper in UG/PG (80 hrs – 120 hrs). Depending upon the basic qualifications and courses to which they have been admitted, students can choose from following courses.

Course	*Eligibility	Duration	Seats	Normal Fee		
OFFERED BY: DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE						
DIPLOMA COURSES (Part Time)						
Visual Basic Net	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-		
Microsoft Net Framework	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-		
Web Data Base Development	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-		
Web Design	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-		
Business Data Analysis	Graduate	1 Year	30	₹ 3000/-		
Computational Methods in Bioinformatics	Regular students of Life Sciences, Biotechnology	1 Year	30	₹ 2500/-		
Modern Education Technologies	Graduate with B.Ed or Post Graduate with 50%	1 Year	30	₹ 2500/-		
Network Design and Installation Courses in Computer/ Engineering	Graduate in Science with 50% or students of UG or PG	1 Year	30	₹ 3500/-		
Course	*Eligibility	Duration	Seats	Normal Fee		
Linux Operating Computer Network Administration and Management	Graduate in Science with 50% or students of UG or PG Courses in Computer/Engineering	1 Year	30	₹ 3500/-		
CERTIFICATE COURSES (OPEN TO ALL) (PART TIME)						
Office Automation & E-Governance	10+2	1 Year	30	₹ 3000/-		
ICT & Research Methodologies (for Ph.D. Students)	Post graduate with 55%	1 Year	30	₹ 3000/-		
OFFERED BY: DEPARTMENT OF PHYSICS						
Diploma in Nanotechnology	B. Sc. in any stream	1 Year	30	₹ 2500/-		
Diploma in Biophysical	B. Sc. in Physical Sciences	1 Year	30	₹ 2500/-		
Instrumentation & Measurement Techniques						

पृथ्वी विज्ञान संकाय (Faculty of Earth Sciences)

फैकल्टी चैयरमैन

प्रो. बी.आर. बामनिया

भू-विज्ञान विभाग (Department of Geology)



डॉ. रितेश पुरोहित पह आनार्य एवं विभागध्यक्ष



अखिल कुमार द्विवेदी



डॉ. अंजली सिंह सहायक आचार्य



रजनीकान्त पाटीदार सहायक आचार्य



निरंजन मोहन्ती



नेहा राड सहायक आचार्य



डॉ. हरीश कपासिया सहायक आचार्य



डॉ. माया चौधरी सहायक आचार्य



डॉ. अंकुश श्रीवास्तव सहायक आचार्य



सुभाषचन्द्र जनागल सहायक आचार्य

पर्यावरण विज्ञान विभाग (Department of Environmental Science)



प्रो. बी. आर. बामनिया आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़



डॉ. अनुया वर्मा सहायक आचार्य

भूगोल विभाग (Department of Geography)



डॉ. सीमा जालान आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. देवेन्द्र सिंह चौहान सहायक आचार्य



डॉ. ऊर्मि शर्मा सहायक आचार्य



डॉ. सबीहा खान सहायक आचार्य



डॉ. भंवर विश्वेन्द्र राज सिंह सहायक आचार्य




डॉ. विजय सिंह मीणा सहायक आचार्य









इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान एवं वास्तुकला महाविद्यालय

Institute of Engineering and Technology and College of Architecture

Contact E-mail Web 7014368350 iet@mlsu.ac.in www.iet.mlsu.ac.in

नोडल अधिकारी

डॉ. अविनाश पंवार



डॉ. अविनाश पंवार



Institute of Engineering & Technology

The Institute of Engineering and Technology's mission is to provide educational opportunities for aspiring students in order for them to inculcate the essential concepts as well as emerging breakthroughs in their chosen academic fields, and to impress the outlook and measures for cultural and social promotion, and to contribute to the overall framework of collective responsibility upon this path to growth and prosperity.

College of Architecture

Bachelor of Architecture is a five year full time degree course offered by College of Architecture, MLSU-COA.

The programme is aimed to establish a center of excellence for architecture education. It facilitates multidisciplinary research to deal with the complexities of human settlements as a whole. Through this programme we will constantly encourage students to explore and innovate while urging them to engage in cross- disciplinary thinking. Along with studio-based learning and skill enhancement courses, research is an integral part of the curriculum. Students will be involved in practical projects and will start making their presence felt within the architectural fraternity.



INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY AND COLLEGE OF ARCHITECTURE

INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Sr. No.	Course	Eligibility	Minimum required marks%	Duration	Seats	Fee	
	B. Tech.						
1	Civil Engineering	10+2 (PCM)	45% (General) and 40% (Reserved category)	4 year (8 semester)	60	Rs. 73940/- per year + Normal Fee	
2	Computer Science and Engineering	10+2 (PCM)	45% (General) and 40% (Reserved category)	4 year (8 semester)	60	Rs. 73940/- per year + Normal Fee	
3	Electrical Engineering	10+2 (PCM)	45% (General) and 40% (Reserved category)	4 year (8 semester)	60	Rs. 73940/- per year + Normal Fee	
4	Electronics & Communication Engineering	10+2 (PCM)	45% (General) and 40% (Reserved category)	4 year (8 semester)	60	Rs. 73940/- per year + Normal Fee	
5	Mechanical Engineering	10+2 (PCM)	45% (General) and 40% (Reserved category)	4 year (8 semester)	60	Rs. 73940/- per year + Normal Fee	

Normal Fee: Enrollment Fees and Caution money in first year only, Examination fees as per university rule.

COLLEGE OF ARCHITECTURE

Sr. No.	Course	Eligibility	Minimum required marks %	Duration	Seats	Fee
1	B. Arch. (Bachelor in Architecture)	10+2 (PCM) + NATA	45% (General) and 40% (Reserved category)	5 year (10 semester)	40	Rs. 73940/- per year + Normal Fee
2	B. Des. (Bachelor in Design) (Interior design)	10+2 in Any Discipline	45% (General) and 40% (Reserved category)	4 year (8 semester)	40	Rs. 73940/- per year + Normal Fee

Normal Fee: Enrollment Fees and Caution money in first year only, Examination fees as per university rule.

Note: Admission in B. Arch. is through REAP counselling.

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान एवं वास्तुकला महाविद्यालय

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान

क्रमांक	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता प्राप्तांक	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक %	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
			B. Tech.			
1	सिविल अभियांत्रिकी	10+2 (भौतिकी रसायन विज्ञान गणित)	45% (सामान्य) एवं 40% (आरक्षित वर्ग)	4 वर्ष (8 सेमेस्टर)	60	₹ 73940/- प्रति वर्ष + सामान्य शुल्क
2	कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी	10+2 (भौतिकी रसायन विज्ञान गणित)	45% (सामान्य) एवं 40% (आरक्षित वर्ग)	4 वर्ष (8 सेमेस्टर)	60	₹ 73940/- प्रति वर्ष + सामान्य शुल्क
3	विद्युत अभियांत्रिकी	10+2 (भौतिकी रसायन विज्ञान गणित)	45% (सामान्य) एवं 40% (आरक्षित वर्ग)	4 वर्ष (8 सेमेस्टर)	60	₹ 73940/- प्रति वर्ष + सामान्य शुल्क
4	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी	10+2 (भौतिकी रसायन विज्ञान गणित)	45% (सामान्य) एवं 40% (आरक्षित वर्ग)	4 वर्ष (8 सेमेस्टर)	60	₹ 73940/- प्रति वर्ष + सामान्य शुल्क
5	यांत्रिक अभियांत्रिकी	10+2 (भौतिकी रसायन विज्ञान गणित)	45% (सामान्य) एवं 40% (आरक्षित वर्ग)	4 वर्ष (8 सेमेस्टर)	60	₹ 73940/- प्रति वर्ष + सामान्य शुल्क

सामान्य शुल्कः नामांकन शुल्क तथा सावधानी शुल्क केवल प्रथम वर्ष में लागु होगा, परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय नियमो के अंतर्गत लागु होग।

वास्तुकला महाविद्यालय

क्रमां क	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता प्राप्तांक	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक %	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
1	बी आर्क (वास्तुकला में स्नातक)	10+2 (भौतिकी रसायन विज्ञान गणित)+ नाटा परीक्षा	45% (सामान्य) एवं 40% (आरक्षित वर्ग)	5 वर्ष (10 सेमेस्टर)	40	₹ 73940/- प्रति वर्ष + सामान्य शुल्क
2	B. Des. (डिजाइन में स्नातक) (आंतरिक सज्जा/ इंटीरियर डिजाइन)	10+2 किसी भी वर्ग में	45% (सामान्य) एवं 40% (आरक्षित वर्ग)	4 वर्ष (8 सेमेस्टर)	40	₹ 73940/- प्रति वर्ष + सामान्य शुल्क

सामान्य शुल्कः नामांकन शुल्क तथा सावधानी शुल्क केवल प्रथम वर्ष में लागु होगा, परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय नियमो के अंतर्गत लागु होग।

टिप्पणी - बी आर्क में प्रवेश रीप काउंसिलिंग के माध्यम से होगी

विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय University College of Commerce & Management Studies

Tel Fax E-mail Web 0294-2411408 0294-2411408 uccms@mlsu.ac.in www.mlsu.ac.in



अधिष्ठाता प्रो. पी.के. सिंह

सह–अधिष्ठाता प्रो. मंजु बाघमार

सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. शिल्पा वर्डिया

प्रॉक्टर डॉ. देवेन्द्र श्रीमाली

कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना डॉ. आशा शर्मा डॉ. रेणु शर्मा श्री पुष्पराज मीणा

वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce)

संकायाध्यक्ष प्रो. पी.के. सिंह

लेखाशास्त्र एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग (Department of Accountancy and Business Statistics)



डॉ. शूरवीर सिंह भाणावत आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. शिल्पा वर्डिया सहायक आचार्य



डॉ. शिल्पा लोढ़ा सहायक आचार्य



डॉ. आशा शर्मा सहायक आचार्य



डॉ. पारूल दशोरा सहायक आचार्य



श्री पुष्पराज मीणा सहायक आचार्य

बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग (Department of Banking and Business Economics)



डॉ. पी.के. सिंह आचार्य



डॉ. मुकेश माथुर आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. शैलेन्द्र सिंह राव सहायक आचार्य

व्यवसाय प्रशासन विभाग (Department of Business Administration)





डॉ. राजेश्वरी नरेन्द्रन आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. मंजु <mark>बाघमार</mark> आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. <mark>बाबूलाल वर्मा</mark> आचार्य



डॉ. देवेन्द्र श्रीमाली सहायक आचार्य



डॉ. सचिन गुप्ता सहायक आचार्य



डॉ. रेणु शर्मा सहायक आचार्य



श्री विनोद कुमार मीणा सहायक आचार्य

मुख्य पाठयक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक*	अवधि	प्रवेश क्षमता
वाणि	ज्य स्नातक				
1.	बी.कॉम.	(10÷2 वाणिज्य/ कला / विज्ञान)	48%	3 वर्ष	176

वाणि	वाणिज्य निष्णात (एम.कॉम.) सेमेस्टर प्रणाली							
1.	लेखाशास्त्र एवं व्यावसायिक सांख्यिकी	बी.कॉम./बी.बी.ए.	48%	4 सेमेस्टर	50			
2.	व्यवसाय प्रशासन	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	4 सेमेस्टर	50			
3.	बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	4 सेमेस्टर	50			

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश। अजा व जजा हेतु 50 प्रतिशत अंक पर।

Core Courses (Full Time)

S.No.	Courses	Eligibility	Minimum* Required Marks % (in qualifying examination)	Duration	Seats
Bach	elor of Commerce (B.Com.))			
1-	B.Com.	10+2 (Commerce / Arts / Science)	48%	3 Years	176
Mast	er of Commerce (M.Com.) S	emester Scheme			
1.	Accountancy & Business Statistics	B.Com/B.B.A.	48%	4 Semester	50
2.	Business Administration	Graduate in any Discipline	48%	4 Semester	50
3.	Banking & Business Economics	Graduate in any Discipline	48 %	4 Semester	50

- $\begin{tabular}{ll} Admission on merit basis on minimum pass marks for SC/ST and OBC (Except creamy layer). \\ For SC and ST minimum 50\% marks. \\ \end{tabular}$

Self-Finance Courses (Full Time)

S.No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks % (in qualifying examination)	Duration	Seats	Fees
Unde	r Graduate Courses					
1.	B.Com.	10+2 in any Discipline	48%	3 Years	1024	₹ 15,000
2.	B.Com.(Hons.)	10+2 in any Discipline	48%	6 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000
3.	B.B.A.	10+2 in any Discipline (Entrance Test)	48%	6 Semesters	Normal 60+ Pay. Seat 15 NRI Seat 05	₹ 20,000 ₹ 40,000 ₹ 60,000
4.	B.Voc. (Accounting Taxation and Auditing)	10+2 in any Discipline	48%	6 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000
	: NRI Candidates are exempt Graduate Courses	ed from entrance Test.				
1.	M.H.R.M.	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 25,000 ₹ 75,000
2.	M.F.C.	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 5	₹ 20,000 ₹ 40,000
3.	M.I.B.	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000
4.	M.B.I.	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 5	₹ 20,000 ₹ 40,000
5.	M.Voc. (Accounting, Taxation & Auditing)	Graduate in commerce or equivalent	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000

Note: Admission in above P.G. (self finance) courses will be given through entrance test / on merit basis.

Self Finance Courses (Part Time)

S.No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees		
Part'	Part Time Post Graduate Diploma							
1.	Cost & Management Accounting	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 15,000		
2.	Taxation	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 15,000		
3.	Entrepreneurship Development	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 15000		
4.	E-Banking	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 16000		
Add-	on Course							
1.	Practical Accounting	Optional (As additional p	paper for Regul	ar Students)		₹ 1250		
2.	Certification Programmes	1. GST, 2. IFRS, 3. Income Taxation, 4. Carbon Taxation (Open for all with registration fee of Rs. 3000 per programme)						
3.	Certification Programmes	Softskill, Foreign Langua	ages (French/ S	panish)		-		

पाठ्यक्रम निदेशक : स्ववित्तपोषित

क्र.सं.		निदेशक
1.	बी. कॉम.	अधिष्ठाता
2.	बी. कॉम. (ऑनर्स)	अधिष्ठाता
3.	बी.बी.ए.	अधिष्ठाता
4.	बी. वॉक. (अकाउन्टिंग, टेक्सेशन एण्ड ऑडिटिंग)	अधिष्ठाता
5.	एम.एच.आर.एम. M.H.R.M.	प्रो. मंजु बाघमार
6.	एम.एफ.सी. M.F.C.	प्रो. शूरवीर सिंह भाणावत
7.	एम.आई.बी. M.I.B.	प्रो. मुकेश माथुर
8.	एम.बी.आई. M.B.I.	प्रो. पी.के. सिंह
9.	एम. वॉक. M.Voc.	प्रो. शूरवीर सिंह भाणावत
10.	पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सेशन (P.G.D.I.T.)	प्रो. शूरवीर सिंह भाणावत

नोट :- इन पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक से सम्पर्क करें।

प्रबन्ध अध्ययन संकाय (Faculty of Management Studies)

निदेशक एवं संकायाध्यक्ष

प्रो. हनुमान प्रसाद

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. मीरा माथुर

संकाय सदस्य (Faculty Members)



डॉ. हनुमान प्रसाद आचार्य



डॉ. मीरा माथुर आचार्य

Tel
Fax
E-mail
Web

(0294) 2470208 2470799 (0294) 2470799 fms@mlsu.ac.in www.mlsu.ac.in



Core Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Post C	Graduate Courses					
1.	M.B.A.	Graduate in any disipline	50%	4 Semester	30 30	₹ 44,625 (GAS) per year 83,965 (SFS) per year

* Fee decided by State Fee Committee

मुख्य पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क
स्नातव	होत्तर पाठ्यक्रम					
1.	एम.बी.ए.	किसी भी संकाय में स्नातक (10+2+3)	50%**	4 सेमेस्टर	30 (GAS) 30 (SFS)	₹ 44,625 ₹ 83,965

Self-Finance Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum Required Marks %	Duration	Seats	Fees
1.	M.B.A. (Financial Services Management)	Graduate in any discipline (10+2+3)	50%**	4 Semester (2 years)	51 9	₹82,950 per Year ₹1,92,500 per Year
2.	M.B.A. (E-Commerce)	Graduate in any discipline (10+2+3)	50%**	4 Semester (2 years)	51 9	₹82,950 per Year ₹1,92,500 per Year
3.	MBA (Executive for Working Professionals)	Graduate 10+2+3	50% 2 years Supervisory Experience	2 Years	30	₹82,950 per Year
4.	BBA (Entrepreneurship Development)	10+2	50%	3 Years (6 Semester)	30 30 06	₹25000 per Year ₹40000 per Year ₹75000 per Year
5.	M.T.T.M. (Master in Travel & Tourism Management)	Graduate in any discipline (10+2+3)	48%**	4 Semester (2 years)	30	₹ 20000/- per Year
6.	ВВА-НМ	10+2	45%**	3 Years (6 Semesters)	60	₹ 60000 per Year
7.	BBA-TTM	10+2	45%**	3 Years (6 Semesters)	30	₹ 25000 per Year

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

	स्वावस्य वाचित् वार्वक्रम							
क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क		
स्नातव	होत्तर पाठ् यक्रम							
1.	एम.बी.ए. (विशेषज्ञताः वित्तीय सेवा प्रबन्धन)	किसी भी संकाय में स्नातक (10÷2÷3)	50%**	4 सेमेस्टर	51 09 (व्यवसाय प्रायोजित)	₹ 82,950/- ₹ 1,92,500/-		
2.	एम.वी.ए. (ई-कॉमर्स)	किसी भी संकाय में स्नातक (10÷2÷3)	50%**	4 सेमेस्टर	51 09 (व्यवसाय प्रायोजित)	₹ 82,950/- ₹ 1,92,500/-		
3.	एम.बी.ए. (एक्जीक्यूटीव) कार्यरत प्रोफेशनल्स के लिए	स्नातक (10÷2÷3)	50% + 2 साल का सुपरवाईसरी अनुभव	2 साल	30	₹82,950/-		
4.	बी.बी.ए. (उद्यमिता-विकास)	10+2	50%	3 साल 6 सेमेस्टर	30 30 06	₹ 25,000/- ₹ 40,000/- ₹ 75,000/-		
5.	एम.टी.टी.एम.	किसी भी संकाय में स्नातक (10÷2÷3)	48%**	2 साल 4 सेमेस्टर	30 03 (व्यवसाय प्रायोजित)	₹ 20,000/- \$1000 (एन. आर.आई.)		
6.	बी.बी.एएच.एम.	10+2	45%**	3 साल 6 सेमेस्टर	60	₹ 60,000/- प्रति वर्ष		
7.	बी.बी.एटी.टी.एम.	10+2	45%**	3 साल 6 सेमेस्टर	30	₹ 25,000/-		

पाठ्यक्रम निदेशक

एम.बी.ए. (फाइनेन्सियल सर्विसेज मैनेजमेन्ट)

प्रो. हनुमान प्रसाद

बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेन्ट एवं एम.टी.टी.एम.

प्रो. मीरा माथुर

एम. बी. ए. (ई-कॉमर्स)

^{*} ए.आई.सी.टी.ई. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण नीति के अनुसार।





Atal Bihari Center for Entrepreneurship & Small Business and Skill Development

Introduction

Atal Bihari Centre for Entrepreneurship and Small Business Development (CESBD) by Mohanlal Sukhadia University is a step towards promoting entrepreneurship among the youth and preparing them as Gen Next Entrepreneurs.

Objectives

- ✓ Impart a very comprehensive grounding in Entrepreneurship.
- To collaborate with other govt. agencies to impart the requisite skills for entrepreneurs & start ups.
- ✓ Training, support and sustenance of entrepreneurs, potential & existing.
- ✓ To provide a hands-on approach for developing business plans.
- ✓ Provide an opportunity to work closely with budding and established entrepreneurs.
- ✓ To motivate the entrepreneurial instinct of students and expose them to family owned business challenges and issues.
- ✓ Start-up Incubation / Training in Small Scale Industries.

Eligibility for Admission

Passed/Passing Senior Secondary Examination (10+2) or equivalent in any discipline with 48% marks (passing marks for SC/ST) in aggregate.

TOTAL SEATS: 66 (30 Free Seats + 30 SFS + 6 Business Sponsored)

RESERVATION: As per University rules.

SELECTION CRITERIA: Admission will be made on Merit basis.

MEDIUM OF INSTRUCTION: English

Course Architecture

The course is offered through six semesters over a three year period. The course offers induction module, core courses, electives, seminar courses and projects apart from summertraining in the last semester.

Fee Structure

Components	I Year	II Year	III Year
Free Seats	25000/-	25000/-	25000/-
SFS	40000/-	40000/-	40000/-
Business Sponsored	75000/-	75000/-	75000/-

Faculty of Management Studies

Mohanial Sukhadia University (New campu

Mohanlal Sukhadia University (New campus)

Udaipur - 313001

Telephone :- (0294) 2470208, 2470799 | Fax :- (0294) 2470799

Note: The information given in this brochure con be amended without any imitation. Any dispute in regard to any matter shall be subject to the rules and regulations issued by MI, Sukhodia University, Udaipur.

RUSA Sponsored Programme

		The state of the s	0			
S.No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks % (in qualifying examination)	Duration	Seats	Fees
1.	Diploma in Digital Marketing	Graduation (10+2+3)	Pass Marks	12 Months	30	₹ 8000 (Excluding Examination Fees, to be charged as per University Rules)
2.	Certificate Programme in Digital Marketing	10+2	Pass Marks	6 Months	30	₹ 5000 (Excluding Examination Fees, to be charged as per University Rules)
3.	Diploma in Retail Marketing Management	Graduation (10+2+3)	Pass Marks	6 Months	30	₹ 5000 (Excluding Examination Fees, to be charged as per University Rules)

रूसा द्वारा वित्तपोषित पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क
1.	डिप्लोमा-डिजिटल मार्केटिंग	स्नातक (10÷2÷3)	न्यूनतम उत्तीर्णांक	12 माह	30	₹ 8000/- (परीक्षा शुल्क अतिरिक्त, विश्वविद्यालय नियमानुसार)
2.	सर्टिफिकेट प्रोग्राम- डिजिटल मार्केटिंग	10÷2	न्यूनतम उत्तीर्णांक	6 माह	30	₹ 5000/- (परीक्षा शुल्क अतिरिक्त, विश्वविद्यालय नियमानुसार)
3.	डिप्लोमा-रिटेल मार्केटिंग मेनेजमेंट	स्नातक (10÷2÷3)	न्यूनतम उत्तीर्णांक	6 माह	30	₹ 5000/- (परीक्षा शुल्क अतिरिक्त, विश्वविद्यालय नियमानुसार)

विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय

University College of Social Sciences and Humanities

Tel Fax E-mail Web 0294-2470143 0294-2470209 ucssh@mlsu.ac.in www.mlsu.ac.in



अधिष्ठाता प्रो. सी.आर. सुथार

सह–अधिष्ठाता प्रो. प्रदीप त्रिखा

सहायक अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण डॉ. जी.एल. पाटीदार

प्रॉक्टर डॉ. पी. एस. राजपूत


कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना डॉ. डोली मोगरा डॉ. मनीष श्रीमाली डॉ. पी.एस. राजपूत

स्काउट, रोवर डॉ. खुशपाल गर्ग

मानविकी संकाय (Faculty of Humanities)

संकायाध्यक्ष प्रो. प्रदीप त्रिखा

अंग्रेजी विभाग (Department of English)



डॉ. प्रदीप त्रिखा आचार्य



डॉ. मीनाक्षी जैन सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. खुशपाल गर्ग



डॉ. कोपल वत्स सहायक आचार्य



डॉ. भानुप्रिया रोहिला



डॉ. अंजिल सिंह



श्री महेन्द्र सिंह पुरोहित सहायक आचार्य



श्रीमती स्नेहलता टेलर सहायक आचार्य



श्री सौरभ मीणा सहायक आचार्य

हिन्दी विभाग (Department of Hindi)



डॉ. नीतू परिहार



डॉ. नवीन नंदवाना सह आचार्य



डॉ. आशीष सिसोदिया सह आचार्य



डॉ. राजकुमार व्यास सहायक आचार्य



डॉ. नीता त्रिवेदी सहायक आचार्य

दर्शनशास्त्र विभाग (Department of Philosophy)



डॉ. <mark>सुधा चौधरी</mark> आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग (Department of Jainology & Prakrit)



डॉ. ज्योति बाबू जैन सहायक आचार्य एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष



डॉ. सुमत कुमार जैन सहायक आचार्य

राजस्थानी विभाग (Department of Rajasthani)



<mark>डॉ. सुरेश सालवी</mark> सहायक आचार्य एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष

संस्कृत विभाग (Department of Sanskrit)



डॉ. नीरज शर्मा आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. अंजना पालीवाल आचार्य



डॉ. गट्टूलाल पाटीदार सहायक आचार्य



डॉ. मुरलीधर पालीवाल सहायक आचार्य

उर्दू विभाग (Department of Urdu)



डॉ. हदीस अंसारी आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. हेमन्त द्विवेदी आचार्य



डॉ. मदन सिंह राठौड़ आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. डी. वी. वशिष्ठ सह आचार्य



डॉ. शाहिद परवेज सहायक आचार्य



डॉ. दीपिका माली सहायक आचार्य

सामाजिक विज्ञान संकाय (Faculty of Social Sciences)

संकायाध्यक्ष

प्रो. सुरेन्द्र कुमार कटारिया

अर्थशास्त्र विभाग (Department of Economics)



डॉ. नेहा पालीवाल सहायक आचार्य



डॉ. दीपा सोनी सहायक आचार्य एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष



डॉ. विनीता राजपुरोहित सहायक आचार्य



सुश्री अनिता जोया सहायक आचार्य 46



श्री मुकेश कुमार मीणा सहायक आचार्य

इतिहास विभाग (Department of History)



डॉ. दिग्विजय भटनागर आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. प्रतिभा आचार्य



डॉ. पीयूष भादविया



डॉ. मनीष श्रीमाली सहायक आचार्य



डॉ. कैलाश चन्द गुर्जर सहायक आचार्य

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग (Department of Library & information Science)



डॉ. पी. एस. राजपूत सहायक आचार्य एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष

राजनीति विज्ञान विभाग (Department of Political Science)



डॉ. विजया दीक्षित सहायक आचार्य एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष



डॉ. सतीश चन्द सहायक आचार्य



डॉ. <mark>बालूदान बारहठ</mark> सहायक आचार्य

मनोविज्ञान विभाग (Department of Psychology)



डॉ. कल्पना जैन आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. तरुण कुमार शर्मा सहायक आचार्य



डॉ. रिश्म सिंह सहायक आचार्य



डॉ. वर्षा शर्मा सहायक आचार्य



डॉ. हेमा कुमारी मेहर सहायक आचार्य

लोक प्रशासन विभाग (Department of Public Administration)



डॉ. सी. आर. सुथार आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. सुरेन्द्र कुमार कटारिया आचार्य



डॉ. गिरिराज सिंह चौहान सहायक आचार्य

समाजशास्त्र विभाग (Department of Sociology)



डॉ. पूरणमल यादव आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. राजू सिंह सहायक आचार्य



डॉ. सुमित्रा शर्मा सहायक आचार्य



डॉ. संगीता अठवाल सहायक आचार्य



डॉ. राजकुमारी अहीर सहायक आचार्य

अन्य पाद्यक्रम एवं केन्द्र

पत्रकारिता विभाग (Department of Journalism)



डॉ. कुंजन आचार्य सहायक आचार्य एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष

फैशन प्रौद्योगिकी एवं डिजाइनिंग विभाग (Department of Fashion Technology & Designing)



<mark>डॉ. डोली मोगरा</mark> सहायक आचार्य एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष

समाजकार्य विभाग (Department of Social Work)



डॉ. राजकुमारी अहीर पाठयक्रम समन्वयक

भाषा प्रयोगशाला (Language Laboratory)

मानद निदेशक

प्रो. प्रदीप त्रिखा

जनसंख्या अध्ययन में डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठयक्रम

निदेशक

प्रो. कल्पना जैन

यूजीसी महिला अध्ययन केन्द्र (UGC Centre for Women's Study)



डॉ. गरिमा मिश्रा सहायक आचार्य

योग केन्द्र शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर

निदेशक समन्वयक प्रो. शूरवीर सिंह भाणावत डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान

आनन्द आरोग्य केन्द्र

निदेशक

प्रो. नीरज शर्मा

मुख्य पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	प्रवेश क्षमता			
कला	स्नातक (B.A.)							
1.	कला स्नातक	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	48%	3 वर्ष	460			
2.	कला स्नातक ऑनर्स							
	अंग्रेजी	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	25			
	हिन्दी	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	25			
	इतिहास	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	25			
	संस्कृत	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	25			
	अर्थशास्त्र	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	25			
	राजनीति विज्ञान	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	25			
	समाजशास्त्र	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	25			
3.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (सी.बी.सी.एस.) में स्नातक	स्नातक या किसी भी संकाय में स्नातकोत्तर	45%	1 वर्ष (2 सेमेस्टर)	40 सामान्य सीट ₹ 6000 ÷ स्थानीय शुल्क 20 स्ववित्त पोषित सीट ₹ 10,000÷ स्थानीयशुल्क (वार्षिक)			
	कला निष्णात (M.A.) (सी.बी.सी.एस.) सेमेस्टर पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2017 से प्रभावी							
1.	चित्रकला	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	12 नियमित + 6 SFS (SFS ₹15,000+ स्थानीय शुल्क)			
2.	अर्थशास्त्र	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40			

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	प्रवेश क्षमता
3.	अंग्रेजी साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
4.	भूगोल	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
5.	हिन्दी साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
6.	इतिहास	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
7.	दर्शनशास्त्र	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
8.	राजनीति विज्ञान	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
9.	जैनविद्या एवं प्राकृत	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
10.	मनोविज्ञान	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	20
11.	लोक प्रशासन	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
12.	राजस्थानी साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
13.	संस्कृत साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
14.	समाजशास्त्र	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
15.	उर्दू साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
16.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	स्नातक उपाधि (B.Lib.)	45%	2 सेमेस्टर	20 नियमित (वार्षिक ₹10000+ स्थानीय शुल्क) 20 SFS (वार्षिक ₹16000+ स्थानीय शुल्क)
17.	समाज कार्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	60 SFS (प्रति सेमेस्टर ₹15000+ स्थानीय शुल्क)
18.	एम.वॉक. (फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग)	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	20 SFS
एम.	फिल. (M.Phil.)				
1.	अर्थशास्त्र	कला निष्णात (अर्थशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
2.	अंग्रेजी साहित्य	कला निष्णात (अंग्रेजी)	55%**	3 सेमेस्टर	***
3.	भूगोल	कला निष्णात (भूगोल)	55%**	3 सेमेस्टर	***
4.	हिन्दी साहित्य	कला निष्णात (हिन्दी)	55%**	3 सेमेस्टर	***

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	प्रवेश क्षमता
5.	इतिहास	कला निष्णात (इतिहास)	55%**	3 सेमेस्टर	***
6.	दर्शनशास्त्र	कला निष्णात (दर्शनशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
7.	राजनीति विज्ञान	कला निष्णात (राज. विज्ञान)	55%**	3 सेमेस्टर	***
8.	जैनविद्या एवं प्राकृत	कला निष्णात (प्राकृत)	55%**	3 सेमेस्टर	***
9.	मनोविज्ञान	कला निष्णात (मनोविज्ञान)	55%**	3 सेमेस्टर	***
10.	राजस्थानी	कला निष्णात (राजस्थानी)	55%**	3 सेमेस्टर	***
11.	संस्कृत साहित्य	कला निष्णात (संस्कृत)	55%**	3 सेमेस्टर	***
12.	समाजशास्त्र	कला निष्णात (समाजशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
13.	उर्दू साहित्य	कला निष्णात (उर्दू)	55%**	3 सेमेस्टर	***

^{*} अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

^{**} एम.फिल. में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांगजन हेतु निर्धारित अर्हता 50% अंक।

^{***} प्रति संकाय सदस्य तीन विद्यार्थी।

Core Courses

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
Bache	elor of Arts (B.A.)				
1.	B.A.	Former Graduate/10+2	48%	3 Years	460
		/Arts/Science/Commerce			
2.	B.A. Honours				
	English	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	25
	Hindi	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	25
	History	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	25
	Sanskrit	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	25
	Economics	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	25
	Political Sc.	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	25
	Sociology	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	25
3.	B.Lib. & Inf. Sc. (C.B.C.S.)	Graduation or P.G. in any discipline	45%	1 Year (2 Semester)	40 General (₹6000+ Local Fund Per Year) 20 SFS (₹10000+ Local Fund Per Year)
Mast	er of Arts (M.A.) (CBCS) S	Semeter Scheme			
1.	Drawing	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	12 Regular +06 SFS (SFS Fee ₹15,000+ Local Fund)
2.	Economics	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
3.	English Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
4.	Geography	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
5.	Hindi Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
6.	History	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
7.	Philosophy	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
8.	Political Science	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
9.	Jainology & Prakrit	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
10.	Psychology	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	20
11.	Public Adm.	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
12.	Rajasthani Lit.	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
13.	Sanskrit Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
14.	Sociology	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
15.	Urdu Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
16.	M.Lib & ISE	Graduate (10+2+3) (B.Lib.)	45%	2 Semester	20 Regular (Fee ₹16,000+ Local Fund Per Year) +20 SFS (SFS Fee ₹16,000+ Local Fund Per Year)
17.	Social Work	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	60 SFS (Fee ₹15,000+ Local Fund Per Semester)
18.	M.Voc. (Fashion Technology & Designing)	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	20 SFS
M. P	hil. (Semester Scheme)				
1.	Economics	M.A. (Economics)	55%**	3 Semester	***
2.	English Literature	M.A. (English)	55%**	3 Semester	***
3.	Geography	M.A. (Geography)	55%**	3 Semester	***
4.	Hindi Literature	M.A. (Hindi)	55%**	3 Semester	***
5.	History	M.A. (History)	55%**	3 Semester	***
6.	Philosophy	M.A. (Philosophy)	55%**	3 Semester	***
7.	Political Science	M.A. (Political Sci.)	55%**	3 Semester	***
8.	Jainology & Prakrit	M.A. (Jainology Prakrit)	55%**	3 Semester	***
9.	Psychology	M.A. (Psychology)	55%**	3 Semester	***
10.	Rajasthani	M.A. (Rajasthani)	55%**	3 Semester	***
11.	Sanskrit Literature	M.A. (Sanskrit)	55%**	3 Semester	***
12.	Sociology	M.A. (Sociology)	55%**	3 Semester	***
13.	Urdu Literature	M.A. (Urdu)	55%**	3 Semester	***

^{*} Admission on merit basis on minimum pass marks for SC,ST and OBC, (Except Creamy Layer).

** For SC and ST, minimum 50% marks.

*** Three students with each member of faculty.

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

			•		
क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता
1.	डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी	10+2	45%	1 वर्ष	20
2.	डिप्लोमा इन फैशन मरकेन्डाइजिंग एण्ड रेडिमेड गारमेन्ट्स	10+2	45%	1 वर्ष	20
3.	डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग	10+2	45%	1 वर्ष	20
4.	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	स्नातक	45%	1 वर्ष	30
5.	पालि, बौद्ध एवं अहिंसा	स्नातक	45%	1 वर्ष	30

Diploma Courses

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
1.	Dip. in Fashion Designing & Technology	10+2	45%	1 Year	20
2.	Dip. in Fashion Merchandising & Readymade Garments	10+2	45%	1 Year	20
3.	Dip. in Textile Designing	10+2	45%	1 Year	20
4.	P.G. Dip. in Journalism	Graduate	45%	1 Year	30
5.	Pali, Buddhism and Non-violence	Graduate	45%	1 Year	30

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता
1.	श्रमण परम्परा और समसामयिक मुल्य	10+2	45%	1 वर्ष	60

Certificate Course

No.	. Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
1.	Shramana Tradition & Contemporary Values	10+2	45%	1 Year	60

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम

			``			
क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता	शुल्क
स्नात	क उपाधि					
1.	स्नातक (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और भूगोल)	10+2	48%	3 वर्ष	300	₹15000 प्रति वर्ष + 250 प्रवेश शुल्क प्रायोगिक कक्षाओं के लिए ₹3000 अतिरिक्त
2.	दृश्य कला	10+2	48%	4 वर्ष	20	₹10000 प्रति वर्ष
3.	बी.एस.सी. इन योगा	10+2	48%	3 वर्ष 6 सेमेस्टर	40	₹ 12500 प्रति सेमेस्टर

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर

		``					
स्नात	स्नातकोत्तर उपाधि						
1.	कंठ संगीत	स्नातक	48%	2 वर्ष	20	₹ 5000 प्रति वर्ष	
2.	एम. ए. (पत्रकारिता एवं जनसंचार)	किसी भी संकाय में स्नातक	50%	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	30	₹ 11000/- प्रति सेमेस्टर÷स्थानीय शुल्क (वार्षिक)	
3.	एम. ए. (कठसंगीत)	किसी भी संकाय में स्नातक	50%	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	30	₹ 10000/- प्रति सेमेस्टर÷स्थानीय शुल्क (वार्षिक)	
4.	एम. ए./ एम. एस. सी. (भूगोल)	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	2 वर्ष	40	₹ 10000/- प्रति सेमेस्टर÷स्थानीय शुल्क (वार्षिक)	
5.	एम. ए./ एम. एस. सी. (योग)	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	2 वर्ष	40	₹ 15000/- प्रति सेमेस्टर÷स्थानीय शुल्क (वार्षिक)	

डिप्लं	डिप्लोमा							
1.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	10+2 किसी भी संकाय में	40%	1 वर्ष	60	₹ 5000+ स्थानीय शुल्क		
2.	सॉफ्ट स्किल्स एन्हांसमेंट में डिप्लोमा और रोजमर्रा की जिंदगी में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग	10+2 किसी भी संकाय में	-	1 वर्ष	30	₹8000+		

स्न	गातकोत्तर डिप्लोमा					
1.	योग शिक्षा	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	1 वर्ष	40	₹25000 प्रति वर्ष
2.	रिमोट सेंसिंग एवं ज्योग्राफिकल सूचना तंत्र	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	50%	1 वर्ष	20	₹ 15000 प्रति वर्ष ÷ रु.10000 लेब फीस
3.	करियर काउंसलिंग में डिप्लोमा कोर्स	स्नातक (मनोविज्ञान विषय में)	-	1 वर्ष	30	-
4.	बाल मनोविज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	स्नातक	-	1 वर्ष	30	-

Self-Finance Courses

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Grad	luation Degree					
1.	B.A. TDC (Hindi, English, History, Sociology, Political Science, Geography)	10+2	48%	3 Years	160	₹15000/- Per year + ₹110/- Admi. Fee ₹3000/- Extra for practical subjects.
2.	Visual Arts	10+2	48%	4 Years	20	₹ 10000 per Year
3.	B.Sc. in Yoga	10+2	48%	3 Years (6 Semester)	40	₹12500/- Per Semester

Post	Post Graduation Degree							
1.	Vocal Music	Graduate	48%	2 Years	20	₹ 5,000 per Year		
2.	MA (Journalism and Mass Communication)	Graduate in any Discipline	50%	2 years / 4 semester	30	₹ 11,000 per semester + annual local fees		
3.	MA (Music)	Graduate in any Discipline	50%	2 years / 4 semester	30	₹ 10,000 per semester + annual local fees		
4.	MA (Geography)	Graduate in any Discipline	48%	2 years	40	₹ 10,000 per semester + annual local fees		
5.	MA/M.Sc. in Yoga	Graduate in any Discipline	48%	2 years	40	₹ 15,000 per semester + annual local fees		

Diplo	Diploma						
1.	Diploma in Library and Information Science	10+2 in any Discipline	40%	1 Year	60	₹ 5,000 + local fund	
2.	Diploma in soft skills enhancement and application of Psychology in everyday life	10+2 in any Discipline	-	1 Year	30	₹ 8,000	

Post	Post Graduate Diploma						
1.	Yoga Education	Graduate Arts/Sci./Commerce	45%	1 Year	40	₹ 25,000/- Per Year +	
2.	Remote Sensing & Geographical Information Sys.	Graduate Arts/Sci./Commerce	50%	1 Year	20	₹ 15,000 Per Year + ₹ 10,000 Lab Fee	
3.	Diploma course in Career Counselling	Undergraduate (one subject should be psychology)	-	1 Year	30	-	
4.	Diploma course in Child Psychology	Graduation	-	1 Year	30	-	

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
1.	अंग्रेजी भाषा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	10+2	45%	1 वर्ष	60	प्रथम वर्ष कला के समान
2.	फ्रेंच भाषा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्नातक अध्ययनरत अथवा स्नातक	50%	छः माह	20	₹3000/-
3.	जर्मन भाषा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्नातक अध्ययनरत अथवा स्नातक	50%	छः माह	20	₹3000/-
4.	सर्टिफिकेट कोर्स इन इंग्लिश फोनेटिक्स	स्नातक	50%	छः माह	20	₹3000/-
5.	सर्टिफिकेट कोर्स इन रिटन कम्यूनिकेशन इन इंग्लिश	स्नातक अध्ययनरत अथवा स्नातक	50%	छः माह	20	₹3000/-
6.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	-	-	छः माह	40	₹ 3500/- + स्थानीय शुल्क
7.	सर्टिफिकेट कोर्स ऑन वुमन एण्ड लीगल राइट्स	10+2	45%	छः माह	30	₹3500/-
8.	योग शिक्षा में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	10+2	45%	छः सप्ताह	60	₹10,000/-
9.	एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्नातक (किसी भी विषय में)	-	छः माह	60	₹8,000/-
10.	सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्नातक (किसी भी विषय में)	-	1 वर्ष	30	-

अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

सूचना : पूर्णकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

^{**} In addition to local fund fee.

^{***} विदेशी छात्रों के लिए।

Certificate Courses

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
1.	English Language	10+2	45%	1 Year	60	At Par with First Year Arts
2.	Certificate Course in French	Doing Graduation or Graduates	50%	6 Months	20	₹3000/-
3.	Certificate Course in German	Doing Graduation or Graduates	50%	6 Months	20	₹3000/-
4.	Certificate Course in English Phonetics	Graduation Completed	50%	6 Months	20	₹3000/-
5.	Certificate Course in Written Communication in English	Doing Graduation or Graduates	50%	6 Months	20	₹3000/-
6.	Certificate in Lib. & Inf. Sc.	-	-	6 Months	40 (SFS)	₹3500/- + Local Fund
7.	Certificate Course on Women & Legal Rights	10+2 in any Discipline	47%	6 Months	30	₹3500/- + Local Fund
8.	Certificate Course in Yoga Education	10+2	45%	6 Weeks	60	₹1000/-+ Local Fund
9.	Certificate course in Employability skills	Graduation (in any subject)	-	6 Months	60	₹8000/-
10.	Certificate course in Community Mental Health	Graduation in any subject preferably from psychology, social work, sociology, Counseling and related discipline	-	1 Year	30	_

टिप्पणियाँ :

- 1.(i) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जाएँगे।
- (ii) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- 2. ऑनर्स पाठ्यक्रम में कम से कम पाँच विद्यार्थियों का प्रवेश होना आवश्यक है।

3. विशेष आरक्षण** :

- (i) पुस्तकालय विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु आठ स्थान सुरक्षित हैं। इनमें प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। इस श्रेणी में केवल उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सवैतिनक पूरा किया है। विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिए जाएँगे कि अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करेंगे। एक स्थान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में कार्यरत किनष्ठ तकनीकी सहायकों के लिए आरक्षित रहेगा, जिसके लिए प्रार्थना पत्र किसी साधिकार अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- (ii) पुस्तकालय विज्ञान स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु पाँच स्थान आरक्षित है। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। इस श्रेणी में उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सवैतिनक पूरा किया है। पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिये जाएँगे कि कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करना होगा।
- (iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा में 42% प्राप्तांक रखी गई है।
- 4. ओपन स्कूल की 10+2+3 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु योग्य माने जाएँगे, यदि वे उक्त परीक्षा में पाँच विषयों में उत्तीर्ण होंगे एवं न्यूनतम अर्हक योग्यता रखते हों।
- 5. माध्यिमक शिक्षा बोर्ड अजमेर में व्यावसायिक पाठ्यक्रम (10+2) के उत्तीर्ण विद्यार्थी केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश के योग्य होंगे। प्रवेश के समय उनके कुल प्राप्तांकों में से सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक सत्रांक का योग करते हुए उन्हें वरीयता में सिम्मिलित किया जाएगा।

(क) प्रथम वर्ष कला के लिए विषय चयन

अनिवार्य विषय: 1. सामान्य अंग्रेजी 2. पर्यावरण अध्ययन

ऐच्छिक विषय : निम्निलिखित विषयों में से केवल तीन विषयों का चयन करना होगा। एक वर्ग में से एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकता। कोष्ठक में विषयवार उपलब्ध स्थान अंकित हैं।

वर्ग :

- 1. अर्थशास्त्र (150)/संस्कृत साहित्य (50)/संगीत (20)
- 2. भूगोल (145)/राजस्थानी साहित्य (30)/दर्शनशास्त्र (30)/महिला अध्ययन (20)/फैशन टेक्नोलॉजी एवं डिजाइनिंग (20)
- 3. राजनीति विज्ञान (150)/उर्दू साहित्य (25)/चित्रकला (20)
- 4. मनोविज्ञान (25)/प्राकृत साहित्य (30)/इतिहास (150)/पत्रकारिता एवं जनसंचार (20)
- लोक प्रशासन (70)/हिन्दी साहित्य (150)/शारीरिक शिक्षा (25)
- 6. समाजशास्त्र (150)/अंग्रेजी साहित्य (75)/मानवाधिकार (20)

विषय चयन सम्बन्धित टिप्पणियाँ :

- (I) विद्यार्थी द्वारा कुल 3 विषयों का चयन किया जाना है। उपर्युक्त वर्गों में से एक वर्ग में एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकेगा।
- (ii) (क) नियमित विद्यार्थी दो से अधिक प्रयोगशाला के विषय नहीं ले सकेगा।
 - (ख) प्रयोगशाला के संचालित विषय हैं संगीत, भूगोल, चित्रकला एवं मनोविज्ञान।
- (iii) दो साहित्य से अधिक साहित्य विषय नहीं चूने जा सकते हैं।
- (iv) चुने गए तीन विषयों में भी प्रवेश योग्यता क्रम एवं विषय के निर्धारित स्थानों के अनुसार देय होगा। अन्तिम प्रवेश सूची में उल्लिखित विषय ही स्वीकृत माने जाएँगे। इन विषयों में बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- (v) स्नातक प्रथम वर्ष कला सामान्य पाठ्यक्रम/आनर्स में प्रवेश हेतु एक ही आवेदन पत्र भरना होगा तथा वरीयता सूची भी अलग-अलग जारी की जाएगी।
- (vi) प्रथम वर्ष (कला) में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों का यिद सामान्य/ऑनर्स पाठ्यक्रम नहीं मिल पाता है तो वे स्विवत्त पोषित पाठ्यक्रम (SFS) में प्रवेश ले सकेंगे। इस पाठ्यक्रम में लोकप्रिय विषयों के निश्चित समूह बनाए हैं। अर्थात् आवेदक को उपलब्ध समूहों में से सभी तीन विषय चुनने होंगे। SFS की कक्षाएँ अपराह में संचालित होंगी तथा ऐसा विद्यार्थी सामान्य या ओनर्स में परिवर्तित नहीं हो सकेगा। प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय जो समूह चुना गया है वह तीनों वर्षों के लिए लागू रहेगा, इसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा।

(ख) द्वितीय वर्ष कला के लिए विषय

अनिवार्य विषय : (i) सामान्य हिन्दी (ii) एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन ऐच्छिक विषय : प्रथम वर्ष कला में लिए गए विषय

- (i) द्वितीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण के समय नियमित विद्यार्थी चाहे तो एक वैकल्पिक विषय का पिरवर्तन कर सकता है, यिद वह प्रथम वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण है तथा उसके द्वारा चुने गए वर्ग का विषय उस महाविद्यालय में नियमित अध्यापन किया जा रहा है। नया चुना हुआ विषय इस वर्ष के लिए निर्धारित ग्रुप/ समूह के अनुसार होगा, किन्तु वह प्रायोगिक न हो ।
- (ii) द्वितीय वर्ष में परिवर्तित विषय के अध्ययन, नियमानुसार परीक्षा आदि की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।

(ग) तृतीय वर्ष कला के लिए विषय

ऐच्छिक विषय: द्वितीय वर्ष कला में लिए गए विषय

(घ) बी.ए. ऑनर्स (B.A. Hons.) त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम का विषय चयन

बी.ए. ऑनर्स (विषय)	स्थान	
1. संस्कृत	25	
2. अर्थशास्त्र	25	
3. राजनीति विज्ञान	25	
4. अंग्रेजी साहित्य	25	
5. इतिहास	25	
6. समाजशास्त्र	25	
7. हिन्दी	25	

यह पाठ्यक्रम तीन वर्ष का है। इसमें मुख्य विषय (Main Subjects) के साथ किसी अन्य वर्ग में से एक विषय गौण विषय (Subsidiary Subject) के रूप में लिया जाना है, जिसकी सीटे इस प्रकार हैं-

Group	Subsidiary Subjects & Seats for Honours
G-1	Economics (15), Sanskrit (10), Music (05)
G-2	Geography (15), Rajasthani (4), Philosophy (4), Women Studies (5)
G-3	Political Science (15), Urdu (3), Drawing & Painting (5)
G-4	History (15), Psychology (5), Jainology & Prakrit (4)
G-5	Public Administration (10), Hindi Lit (15), Physical Education (5)
G-6	Sociology (15), English Lit. (10), Human Rights (5)

नोट : बी.ए. स्ववित्तपोषित (SFS) की सीटें पृथक् से हैं तथा इसमें उपलब्ध समूहों में से एक समूह के सभी विषय लेने होते हैं।

- (ङ) स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (B.Lib & Information Sc.) एक वर्षीय पाठ्यक्रम
- (च) स्नातकोत्तर (M.A.) द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर (M.A.) शिक्षण निम्नांकित विषयों में होता है -
- (i) सामाजिक विज्ञान विषय : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, इतिहास एवं मनोविज्ञान।
- (ii) मानविकी विषय : संस्कृत, जैनविद्या एवं प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी, चित्रकला एवं दर्शनशास्त्र।
- (iii) पृथ्वी विज्ञान विषय : भूगोल।
- (iv) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातकोत्तर (M.Lib. I.Sc.) (एक वर्षीय/दो सेमेस्टर पाठ्यक्रम)
- (छ) एम.फिल. (М.Рhil.) तीन सेमेस्टर्स पाठ्यक्रम निम्निलखित विषयों में संचालित हो रहे हैं -
- (i) सामाजिक विज्ञान : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान।
- (ii) मानविकी विषय : संस्कृत, जैनविद्या एवं प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास, दर्शनशास्त्र एवं राजस्थानी।
- (iii) पृथ्वी विज्ञान : भूगोल।
- (ज) पीएच.डी. (Ph.D.)

विद्यावाचस्पति की उपाधि हेतु निम्नांकित विषयों में शोध कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है - अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, जैनविद्या एवं प्राकृत, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान राजस्थानी, इतिहास, चित्रकला, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, पत्रकारिता एवं जनसंचार।





विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय University College of Law

Tel Fax E-mail Web 0294-2470958 0294-2470209 uclaw@mlsu.ac.in www.mlsu.ac.in



अधिष्ठाता प्रो. आनन्द पालीवाल

सहायक अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण

डॉ. भाविक पानेरी

प्रॉक्टर कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना डॉ. कल्पेश निकावत श्री पंकज एस. मीणा, डॉ. प्रियदर्शी नागदा

विधि संकाय (Faculty of Law)

संकायाध्यक्ष





डॉ. आनन्द पालीवाल आचार्य



डॉ. राजश्री चौधरी सह आचार्य



डॉ. शिल्पा सेठ सह आचार्य



डॉ. प्रियदर्शी नागदा सहायक आचार्य



डॉ. भाविक पानेरी सहायक आचार्य



श्रीमती स्नेहा सिंह सहायक आचार्य



श्री पंकज एस. मीणा सहायक आचार्य



डॉ. कल्पेश निकावत सहायक आचार्य

मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता
स्नात	क पाठ्यक्रम				
1.	विधि स्नातक (LL.B.)	स्नातक	45%*	3 वर्ष	120+180 स्ववितपोषित प्रतिवर्ष ₹10410 +स्थानीय शुल्क
स्नात	कोत्तर पाठ्यक्रम				
1.	विधि निष्णात (LL.M.)	विधि स्नातक	55%**	2 वर्ष	40+80 स्ववितपोषित प्रतिवर्ष 14080 +स्थानीय शुल्क
स्नात	स्नातकोत्तर डिप्लोमा				
1.	श्रम विधि, श्रम कल्याण एवं कार्मिक प्रवन्ध में डिप्लोमा (D.LL)	विधि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि/ निम्न विषयों के साथ स्नातक [#]	48%***	1 वर्ष	60

[#]समाजशास्त्र/अर्थशास्त्र/सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/लोक प्रशासन/बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के साथ एम.कॉम./एम.बी.ए./एम.एच.आर.एम./कंपनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा

Core Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	
Unde	er Graduate Course					
1.	Bachelor of Laws (LL.B.)	Graduate	45%*	3 Years	120 + 180 (SFS) Per annual ₹10,400 +Local Fund	
Post	Graduate Course					
1.	Master of Laws (LL.M.)	Law Graduate	55%**	2 Years	40 + 80 (SFS) ₹14080 + Local Fund	
Post	Post Graduate Diploma					
1.	Diploma in Labour Law Labour welfare and Personnel Management	Post Graduate or Post Graduate in following Subjects#	48%***	1 Year	60	

[#] M.Com./M.B.A./M.H.R.M./Diploma in Company law and Secretarial Practice along with graduate in Sociology/ Economics/Social Work/Psychology/Public Administration/Banking and Financial Economics.

स्ववित्तपोषित मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक*	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क
स्नातव	ह पाठ् यक्रम					
1.	कला एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.A. LL.B) Integrated	10+2 कला/विज्ञान/ वाणिज्य	45%*	5 वर्ष	120	₹ 36,165/- स्था. शुल्क + प्रतिवर्ष
स्नातव	होत्तर डिप्लोमा					
1.	कम्पनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा (D.C.S.)	एम.कॉम या विधि स्नातक	48%***	1 वर्ष	30	₹ 10,000/- + स्था. शुल्क
2.	अपराध विज्ञान एवं सामाजिक-आर्थिक अपराध विषय में डिप्लोमा (D.C.L.)	विधि स्नातक/ सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर/ D.C.S./D.L.L	48%***	1 वर्ष	30	₹ 10,000/- + स्था. शुल्क
3.	बौद्धिक सम्पदा विधि में डिप्लोमा	विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर	48%***	1 वर्ष	25+5 पेमेन्ट सीट	₹ 10000/- ₹ 15000/- + स्था. शुल्क
4.	बैंकिंग विधि में डिप्लोमा	विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर	48%***	1 वर्ष	25+5 पेमेन्ट सीट	₹ 10000/- ₹ 15000/- + स्था. शुल्क
5.	साइबर विधि में डिप्लोमा	विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर	45%***	1 वर्ष	60 पेमेन्ट सीट	₹ 14000/-

टिप्पणी 1. (1) LL.B. (2) LL.M. (3) B.A. LL.B. Five Years Integrated Course में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा।

Self-Finance Core Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Unde	er Graduate Course					
1.	Bachelor of Arts and Law Integrated (B.A. LL.B.)	10+2	45%*	5 Years	120	₹36,165/- Per Annual + Local Fund
Post	Graduate Diploma					
1.	P.G. Diploma in Company Law and Secretarial Practice (D.C.S.)	M. Com/LL.B.	48%***	1 Year	30	₹ 10,000/- + Local Fund
2.	P.G. Diploma in Criminology and Socioeconomic Crimes (D.C.L.)	LL.B/ P.G. in any subject	48%***	1 Year	30	₹ 10,000/- + Local Fund
3.	Diploma in Intellectual Property Law	LL.B/ P.G. in any subject	48%***	1 Year	25+5 SFS	₹ 10,000/- ₹ 15,000/- + Local fund
4.	Diploma in Banking Law	LL.B/ P.G. in any subject	48%***	1 Year	25+5 SFS	₹ 10,000/- ₹ 15,000/- + Local fund
5.	P.G. Diploma in Cyber Law	LL.B/ P.G. in any subject	45%***	1 Year	60 SFS	₹ 14,000/-

^{*} 40% for SC/ST and 42% for OBC (Non-creamy layer)

Note: Admission in DLLB (2), LLM (3), BALLB (5) year in course will be given basis of Entrance Exam/Merit List.

• केन्द्र (Centre)

1. निःशुल्क विधि सहायता क्लिनिक (Free Legal Aid Clinic)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से महाविद्यालय में स्थापित विधि सहायता क्लीनिक द्वारा निर्धनों, अशिक्षितों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनकी दैनिक विधिक कठिनाइयों एवं मुकदमेबाजी के कार्य में प्रशिक्षित एवं अनुभवी वकीलों द्वारा नि:शुल्क परामर्श दिया जाता है।

^{*40%} अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु व अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 42%।

^{**}अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 50%।

^{***}अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्णांक।

^{** 50%} for SC/ST

^{***} Minimum pass marks for for SC/ST and OBC (Non-creamy layer)

2. पीएच.डी. कार्यक्रम

1. परिचय

पीएच.डी. पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय संबंधित विषय में रिक्तियाँ होने पर यूजीसी नियम 2009 और 2016 के अनुसार शोध प्रवेश परीक्षा (RET) आयोजित करेगा।

2. योग्यता

इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति विद्यार्थियों के 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। RET प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की आयोजित की जाएगी, जो 2 घण्टे की होगी। प्रश्न पत्र दो भाग का होगा-भाग अ - R.M. पर आधारित होगा एवं भाग व विषय से संबंधित होगा। न्यूनतम उत्तीर्णाक 50% होंगे SC, ST, OBC-NCL, PH को 5% की राज्य सरकार के नियमानुसार छूट देय होगी। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विभागीय समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा जहाँ उन्हें शोध सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे और अंत में वरियतानुसार शोध निर्देशक आवंटित किए जाएँगे।

3. अनुशासन/विषय:

विश्वविद्यालय में नौ संकाय हैं - वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, पृथ्वी विज्ञान संकाय, मानविकी संकाय, दृश्यकला संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, विधि संकाय, प्रबंध अध्ययन संकाय और शिक्षा संकाय। इन संकायों में विविध विषय उपलब्ध हैं और उपयुक्त संकायों में विद्यार्थी अनुमोदित शोध निर्देशक के निर्देशन में अपना शोध क्षेत्र चुन सकता है।

- विज्ञान संकाय : भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पित विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, प्राणि विज्ञान, गणित और सांख्यिकी भैषज विज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान।
- II. वाणिज्य संकाय : लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी, व्यवसाय प्रशासन, बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र।
- III. प्रबंध अध्ययन संकाय : प्रबंध अध्ययन।
- IV. पृथ्वी विज्ञान संकाय : भू विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और भूगोल ।
- V. विधि संकाय : विधि
- VI. सामाजिक विज्ञान संकाय : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, पत्रकारिता, समाजशास्त्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, गृह विज्ञान, लोक प्रशासन और इतिहास।
- VII. मानविकी संकाय : हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जैन विद्या एवं प्राकृत, दर्शनशास्त्र, राजस्थानी और संगीत।
- VIII. शिक्षा संकाय : शिक्षा योग शारीरिक शिक्षा।
- IX. दृश्यकला संकाय : दृश्यकला- चित्रकला, मुर्तिकला, छापाकला, व्यवसायिक कला, कला इतिहास।

4. प्रवेश प्रक्रिया :

जो विद्यार्थी RET परीक्षा की अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें विभागीय सिमिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। विभागीय सिमिति द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त स्थान के आधार पर पीएच. डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

5. पंजीयन :

प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार विभाग में अपनी उपस्थिति (Joining) देने पर अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन द्वारा अभ्यर्थी को पंजीयन पत्र (Registration letter) जारी किया जाएगा।

6. कोर्स वर्क :

पंजीयन पश्चात् कार्यालय, अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन द्वारा आयोजित संकायानुसार कोर्स वर्क <mark>पूरा करना होगा।</mark> कोर्स वर्क के तीन भाग होंगे (पृथक्-पृथक् न्यूनतम 55% उत्तीर्णांक):

प्रथम प्रश्न प्रत्र : Research Methodology and ICT - कोर्स वर्क में आयोजित कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। कक्षाओं पर आधारित सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

द्वितीय प्रश्न प्रत्र :

- (a) Term Paper on Contemporary Issues पंजीयन पश्चात् किसी समसामयिक विषय पर एक टर्म पेपर उचित माध्यम से अधिष्ठाता, स्नात्तकोत्तर अध्ययन कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसको बाह्य परिक्षक द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा।
- (b) Research and Publication Ethics कार्स वर्क कक्षाएँ पूर्ण होने के पश्चात् लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- तृतीय प्रश्न पत्र : साहित्य समीक्षा (Review of Literature) साहित्य समीक्षा का कार्य पूर्ण कर हार्ड कॉपी में जमा कराना होगा जो कि बाद में स्नातकोत्तर शोध समिति (PGRB) द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा और उसे स्नातकोत्तर शोध समिति (PGRB) के समक्ष पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रदर्शित करना होगा।
 - * वे शोधार्थी जिन्होनें कोर्स वर्क में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अर्जित की है, वे अपनी रूपरेखा (Synopsis) और आहित्य समीक्षा (Review of Literature) उचित माध्यम से कार्यालय, अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन में जमा करा सकेंगे और स्नातकोत्तर शोध समिति (PGRB) के समक्ष उपस्थिति हो सकेंगे।
 - * प्रत्येक शोधार्थी को उचित माध्यम से अपना छः माही प्रगति प्रतिवेदन जमा कराना होगा। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का विभागीय समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रदर्शन करना होगा और उस समिति द्वारा अनुमोदित होने पर जमा करवाना होगा।
 - * समयबद्ध शोध प्रग्रति प्रतिवेदन (6 माह व एक वर्ष) को जमा नही करने पर शोधार्थी का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

7. शोध प्रबंध प्रस्तृति :

शोधार्थी अपना पीएच.डी. शोध प्रबंध पंजीयन तिथि से तीन वर्ष से पूर्व जमा नहीं करा पाएगा और इसे वह चार वर्षों तक जमा करा सकेगा। यद्यपि यह अविध अनुमोदन के आधार पर दो वर्ष (1+1)तक बढ़ाई जा सकती है। (4+2=6)

* यूजीसी के नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगों के लिये दो वर्ष की अतिरिक्त छूट के साथ अधिकतम समय सीमा 8 वर्ष रहेगी।

8 शुल्क संरचना :

शोध प्रवेश परीक्षा शुल्क	₹ 1500/- सामान्य वर्ग एवं ₹ 750/-आरक्षित वर्ग हेतु।
शोध प्रवेश पंजीयन शुल्क	₹ 8000/-
कोर्स वर्क शुल्क	₹ 5000/-
कोर्स वर्क परीक्षा शुल्क	₹ 1000/-
शोध प्रबंध प्रस्तुति	₹ 18000/-
पाँचवे वर्ष के लिए विस्तार	₹ 5000/-
छठें वर्ष के लिए विस्तार	₹ 8000/-
सातवें वर्ष के लिए विस्तार	₹ 9000/-
आठवें वर्ष के लिए विस्तार	₹ 11000/-

महाविद्यालय शुल्क अपने संबधित महाविद्यालय में प्रतिवर्ष जमा कराना अनिवार्य है।

9. शोध प्रबंध का मूल्यांकन :

शोध प्रबंध जमा कराने के पश्चात् शोध निर्देशक द्वारा प्रेषित विशेषज्ञ पेनल में से माननीय कुलपित द्वारा अनुमोदित दो बाह्य परीक्षकों को शोध प्रबंध मूल्यांकनार्थ प्रेषित किया जाएगा। शोध मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात् सम्बंधित विभाग द्वारा मौखिकी (Viva Voce) आयोजित की जाएगी। मौखिकी समिति की अनुशंसा पर माननीय कुलपित द्वारा अनुमोदित होने पर एक अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और वीक्षांत समारोह में उसे उपाधि प्रदान की जाएगी।

10. पीएच.डी. नियमों में अकादिमक परिषद् के निर्णयों के आधार पर समय-समय पर परिवर्तन संभव है। विद्यार्थियों को सलह दी जाती है कि वे नवीनतम सूचनाओं के लिए समय-समय पर www.mlsu.ac.in/www.dpsmlsu.org वेबसाइट देखते रहे।



3. प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया (Admission Rules and Procedures)

(क) सामान्य सूचनाएँ (General Information)

- ग्रीष्मकाल के पश्चात् विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य 1 जुलाई, 2022 से प्रारम्भ होगा।
- 2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण-पत्रों सिहत प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची आवेदन-प्रपत्र में दी गई है। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
- 3. विभिन्न कक्षाओं के लिए प्रवेश-सूचियाँ, प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि सिहत संकाय/महाविद्यालयों/विभागीय सूचना पट्ट पर या वेब साईट पर यथासमय लगा दिया जाएगा। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रवेश की जानकारी हेतु संकाय/ महाविद्यालय/विभागीय सूचना पट्ट देखते रहें। इस संबंध में डाक द्वारा कोई सुचना नहीं दी जाएगी।
- 4. निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले और शुल्क नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश के अधिकार से स्वतः ही वंचित हो जाएँगे तथा उनका नाम प्रवेश-सूची से हटा दिया जाएगा। एक बार जमा कराया गया शुल्क इस विवरणिका में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जाएगा।
- स्नातकोत्तर में प्रवेश की सभी प्रक्रियाएँ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष करेंगे। विद्यार्थी उनसे ही प्रवेश सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करें।

(ख)सामान्य नियम (General Rules)

- 1. विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं तथा अन्य पाठ्यक्रम जिनके बारे में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी, को छोड़कर विभिन्न कक्षाओं में सभी नए प्रवेश योग्यता के आधार पर एवं सूचित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार दिए जाएँगे। विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं तथा अधिघोषित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयता/प्रवेश परीक्षा द्वारा दिया जाता है। इन कक्षाओं में प्रवेश, प्रवेश क्षमता के अनुसार वरीयता क्रम में दिए जाएँगे। प्रवेश हेतु वरीयता क्रम 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक (प्रायोगिक को छोड़कर) अंकों के आधार पर निर्धारित होगा। विधि संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयता अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों में विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियों के अधिभार अंक जोड़कर निर्धारित की जाएगी।
- 2. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक नियमित पूर्णकालीन उपाधि, डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों का एक साथ अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अंशकालीन डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का पठन-पाठन विश्वविद्यालय में सामान्य पठन-पाठन समय से भिन्न समय पर हो तो विद्यार्थी उपाधि पाठ्यक्रम के साथ एक अंशकालीन डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का एक साथ अध्ययन कर सकेगा।
- उ. एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक विद्यार्थी किसी भी एक उपाधि/पाठ्यक्रम जिसमें वह अध्ययन करना चाहता है, के बारे में प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि व व्यक्तिगत साक्षात्कार (Counselling) में निश्चित करना अनिवार्य होगा और दूसरे प्रवेश आवेदन को रद्द करना होगा अन्यथा उसे कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- 4. राजस्थान राज्य के बाहर के बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आवेदक के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र होने पर ही राजस्थान का निवासी माना जाएगा अन्यथा ऐसे आवेदकों के पास न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा तथा उन्हें बाहरी राज्य का आरक्षित वर्ग होने पर भी राजस्थान में सामान्य वर्ग का माना जाएगा।
- 5. प्रथम वर्ष बी.कॉम./बी.ए. के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 55% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें द्वितीय वर्ष में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोडकर) के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पर प्रवेश के योग्य माने जाएँगे।
- 6. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (कला और वाणिज्य) के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 50% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें स्नातकोत्तर फाइनल (कला और वाणिज्य) में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर प्रवेश मानकर कक्षा में बैठने की सुविधा दी जा सकेगी परन्तु उन्हें परीक्षा स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में ही देनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश के योग्य माने जाएँगे।

टिप्पणियाँ:

- (i) राज्य के समस्त योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो 60% से कम प्राप्तांकों वाले राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है, यदि वे न्यूनतम योग्यता मानदण्ड पूरा करते हों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के अन्तर्गत भू-विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 25% तक स्थानों पर राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देना अपेक्षित है अत: यहाँ यह नियम लागू नहीं होगा।
- (ii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उदयपुर बस जाने पर उनके बच्चों/आश्रितों को प्रवेश के मामले में स्थानीय विद्यार्थियों के समकक्ष माना जाएगा। यह नियम केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष तक ही लागू होगा।
- (iii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अलावा किसी भी विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में नियमित/स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के इस विश्वविद्यालय के अपूर्ण पाठ्यक्रम में भी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। द्वितीय वर्ष में प्रवेश उपलब्ध विषय ग्रुप/समूहों के अनुसार ही दिया जाएगा। इन विषय ग्रुप/समूहों में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की कोई भी अपूर्णता उसे प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर पूर्ण करनी पड़ेगी।
- (iv) यदि किसी सैनिक अधिकारी की नियुक्ति 'कुटुम्ब-विहीन स्थान' (Non-Family Posting) पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो उसे राजस्थान में उपस्थित कर्मचारी के समकक्ष माना जाएगा।
- (v)(a)िकसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को उसी कक्षा में अथवा उसी विषय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी कारण से महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर छोड़ने पर अगले सत्र में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम में लगातार दो वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे विश्वविद्यालय के संघटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से परीक्षा का फार्म नहीं भरता है अथवा परीक्षा में नहीं बैठता है अथवा उपस्थित की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो उसे अनुत्तीर्ण की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसी श्रेणी के छात्र आगामी सत्र में एक्स-स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल वे छात्र ही एक्स-स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष में उपर्युक्त कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो और उपर्युक्त विर्णित किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाए हों।
- (b) स्नातक/स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि संकाय की किसी भी कक्षा में लगातार तीन अवसर प्रदान किए जाएँगे, जिनमें अनुत्तीर्ण होने पर पुन: उसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित नहीं दी जाएगी एवं ऐसे विद्यार्थी की उस पाठ्यक्रम की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। उसे पुन: उस पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सिम्मिलित होने की ही अनुमित दी जा सकेगी। तीन अवसर में विद्यार्थी के परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले वर्ष की भी गणना की जाएगी। जहाँ पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, वहाँ पुन: प्रवेश परीक्षा देकर ही प्रवेश प्राप्त किया जा सकेगा।
- (c) जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष एवं एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम. में प्रवेश चाहते हैं किन्तु उन्होंने तत्काल विगत सत्र में आयोजित अर्हक परीक्षा पास करने के बजाय उससे पूर्व आयोजित परीक्षा पास की है तथा उनके अध्ययन की निरन्तरता में अंतराल (गेप) आ गया है, ऐसे प्रवेशार्थियों को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथपत्र (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।
- (vi) स्नातकोत्तर/स्नातक स्तरीय कक्षा में प्रवेश हेतु किसी विद्यार्थी को, जिसे इस विश्वविद्यालय/बोर्ड की पूरक परीक्षा देनी है, उस विषय में जिसमें पूरक परीक्षा देनी है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उसकी योग्यता निर्धारित कर स्थान रिक्त होने पर अन्त में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश की अन्य प्रक्रिया उसे पूरी करनी होगी।
- (vii) जहाँ प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश होते हैं, वहाँ विद्यार्थी को अपने प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता के प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी को जमा कराने होंगे अन्यथा उसका नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं होगा।
- (viii) यदि किसी विद्यार्थी को तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में बैठना हो तो उसे सामान्यतया स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा तथापि यदि समस्त योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उसे केवल एम.ए./एम. कॉम. कक्षा में प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस विषय में विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देनी है उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जोड़कर योग्यता निर्धारण किया जाएगा, यदि वह न्यूनतम प्रवेश योग्यता रखता हो। एम.एससी./एल.एल.बी. स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित विद्यार्थी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

- (ix) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जाएँगे।
- (x) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि गणित एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- (xi) जिन विभागों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा , डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित हैं, उनका विवरण संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
- (xii) एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय में दो स्थान राजस्थान के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक आवेदकों (T.R.F.) के लिए आरक्षित हैं।
- (xiii) किसी भी विद्यार्थी को आवश्यक न्यूनतम योग्यता से एक भी अंक कम होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ग) आरक्षण (Reservation)

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्थानों का निम्नलिखित प्रकार से आरक्षण रहेगा -

 (I)
 अनुसूचित जातियाँ
 16%

 (ii)
 अनुसूचित जनजातियाँ
 12%

 (iii)
 अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)*
 21%

 (iv)
 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग*
 10%

*(ई डब्ल्यू एस तथा ओ बी सी (non creamy layer) का प्रमाण पत्र एक वर्ष तक मान्य है किंतु यदि आवेदक की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो तो एक वर्षीय मूल प्रमाण पत्र की तिथि से आगामी दो वर्ष तक आवेदक स्वप्रमाणित शपथ पत्र दे कर पात्र रह सकेगा।)

(v) दिव्यांग अभ्यर्थी (क्षैतिजिक आरक्षण)*

5%

*(मूक बधिर एवं दृष्टि बाधित को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश देय होगा तथा ये सीटें अतिरिक्त मानी जाएँगी।)

(vi) विस्थापित कश्मीरी (हिन्दू एवं पंडित)

1%

(vii) अति पिछड़ा वर्ग

5%

(viii) एम. फिल. कक्षाओं में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा

2 स्थान

मनोनीत शिक्षक (TRF) (प्रत्येक विभाग में अतिरिक्त स्थान)

(ix) प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र बलों/राजस्थान पुलिस किर्मियों 3 प्रतिशत के पुत्र/पुत्रियों को प्राथिमकता (क्रमशः एक्शन में मृत्यु, निःशक्तता, गैलेण्ट्री अवार्ड तथा पुरस्कार प्राप्त पूर्व सैनिक) को आरक्षण।

- नोट : (1) प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुत्र/पुत्री को वरीयता निर्धारण में 3 प्रतिशत की वृद्धि दी जाएगी।(2) प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवा में रहते हुए शहीद हुए के पुत्र/पुत्री का न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश होगा।
- (x) स्कूली शिक्षा के निदेशक द्वारा मनोनीत शिक्षक के लिए प्रत्येक एम.एससी. प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में एक सीट/अभ्यर्थी न होने पर सीट सामान्य वरीयता से भर दी जाएगी।
- (xi) तृतीय लिंग (Transgender) अभ्यर्थियों को सहिशक्षा महाविद्यालय में प्रवेश न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर होगा।
- (xii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सेवा में तीन वर्ष या उससे अधिक वर्ष स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण रहेगा –

(a)	एम.एससी. (पूर्वाद्ध)	विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर	1 स्थान
(b)	एम.एससीपोलिमर विज्ञान	शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	1 स्थान
(c)	तैयार वस्त्र अध्ययन प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम	शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	1 स्थान
(d)	पुस्तकालय विज्ञान स्नातक	संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत जेटीए के लिए (सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर)	जेटीए के लिए आरक्षित आठस्थानों में से एक स्थान

- (xiii) स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के अतिरिक्त बची हुई सीटों को 50 प्रतिशत सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों के लिए होगी। अनु, जाति/जजा, आरक्षित वर्गों की मेरिट अलग बनेगी। अनु, जाति/जजा के लिए आरक्षित सीटों के 50 प्रतिशत स्थानों पर इस विश्वविद्यालय के अनु, जाति/जजा छात्रों के लिए रखी जाएगी। उचित संख्या में इस विश्वविद्यालय के अनु, जाति/जनजाति वर्ग के छात्र उपलब्ध न होने पर ये सीटें इन्हीं वर्गों के लिए (अनु, जाति/जनजाति) छात्रों को दी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने पर एवं प्रवेश की स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक के बाद यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों से भरी जा सकेंगी। आरक्षित वर्ग की एक सीट होने पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।
- (xiv) (अ) स्विवित्त पोषित पाठ्यक्रमों में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए ही रहेगा। अन्य किसी प्रकार का आरक्षण इन पाठ्यक्रमों में नहीं रहेगा।
 - (ब) विश्वविद्यालय <mark>के सभी पाठ्यक्र</mark>मों (स्ववित्त पोषित सहित) में अनुसूचित जाति व जनजाति अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) आवेदन पत्र की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।
- (xv) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारी/उनके पुत्र या पुत्री -
 - (अ) शैक्षणिक कर्मचारी

3%

(ब) गैर-शैक्षणिक कर्मचारी

3%

(उपर्युक्त आरक्षण का लाभ पाठ्यक्रमों के सभी सामान्य पाठ्यक्रमों में उपलब्ध होगा)।

नोट:इस आरक्षण के अन्तर्गत किसी शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह लाभ शैक्षणेतर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को देय होगा। इसी तरह शैक्षणेतर कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने पर यह आरक्षण का लाभ शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को भी मिलेगा।

टिप्पणियाँ :

- यदि सामान्य रूप से ही किसी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश पाने वाली छात्राओं की संख्या कक्षा की कुल क्षमता के 5%
 अथवा उससे अधिक हैं तो महिला वर्ग का आरक्षण वहाँ लागू नहीं होगा।
- (ii) आरक्षण के लाभ हेतु कर्मचारियों के केवल पुत्र या पुत्री ही उनके आश्रित समझे जाएँगे।
- (iii) यदि जाँच के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवेदक आरक्षित स्थान में किसी विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के लाभ का हकदार नहीं है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु

- (i) िकसी भी कक्षा व पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के उत्तीर्णांकों (बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ऑनर्स व अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु XII कक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांकों व स्नातकोत्तर व समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. इत्यादि परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक) पर इन्हीं वर्गों की मेरिट के क्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें
 सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जाएगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलत नहीं किया जाएगा।
- (iii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी संकायों और विभागों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व डिप्लोमा में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा।
- (iv) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आरिक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा तथा समस्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित अनु. जाति/जनजाति के छात्रों के लिए प्रवेश हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक के बाद रिक्त आरिक्षत स्थानों पर सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को प्रवेश की अन्य समस्त शर्तें पूरी करने पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (v) यदि अनुसूचित जाित व जनजाित के छात्रों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे के लिए पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुन: नवीन आवेदन पत्र मांगने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर अनुसूचित जाित व जनजाित के छात्रों को सूचना दी जाएगी। जहाँ प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है वहाँ नवीन आवेदन पत्र प्रवेश परीक्षा के पूर्व मांगे जाएँगे। तथािप प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अपरिवर्तित रहेगी।
- (vi) अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरिक्षत स्थानों में से किसी भी एक वर्ग के रिक्त स्थानों को (अनुसूचित जाति व जनजाति) आरिक्षत वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर भरा जाकर कुल आरिक्षत स्थान भरे जा सकेंगे।
- (vii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम व डिप्लोमा के लिए जहाँ प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) निर्धारित है वहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को

प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) के लिए पात्रता पिछली कक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (विधि स्नातक के लिए 40%) (Pass Marks) के आधार पर होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जाएगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बचे हुए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम निर्धारित अंक (Cutoff Point Marks) नहीं रखते हुए इन्हीं की वरीयता क्रम में निम्नगामी क्रम (Descending Order) में आरक्षण कोटे के पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जाएगा।

- (viii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर (प्रीवियस एवं फाइनल) स्तर पर वैकल्पिक विषयों व ग्रुप को उनकी वरीयता के विषय आरक्षण प्रतिशत के अनुसार दिए जाएँगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय व ग्रुप में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 16% जनजाति के लिए 12% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% नियमानुसार रखा जाएगा।
- (ix) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रवेश में 21% आरक्षण देय होगा।
- (x) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्तपोषित सहित) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।
- (घ) योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण (Relaxation and Weightage in Determination of Merit)
- (i) बी.बी.एम., एम.बी.ए., विधि संकाय, पुस्तकालय विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान प्रवेश परीक्षा एवं सभी अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई रियायत एवं भारण देय नहीं है।
- (ii) अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विशेष गुण सम्पन्न विद्यार्थियों, जिनमें खिलाड़ी/एन.सी.सी. कैंडेट बी एवं सी सर्टिफिकेट आदि सम्मिलत हैं उन्हें योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण प्रदान किए जा सकते हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत चार वर्षों में प्राप्त की हो। एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट धारकों के लिए भी यह अविध विगत चार वर्ष मानी जाएगी। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को समाहित कर निम्नांकित तालिकानुसार रियायत/भारण अंक उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रदान किए जाएँगे –
- 1 खेलकूद एवं अन्य भारांक (Games, Sports & Other Weightage)

1.1 अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

	Total and acting military in the section of the sec					
क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ				
अ	(i) भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व (iii) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता / उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता / उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता / उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश				

	(v) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी.एफ. आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (vi) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलो में विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम,द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
অ	(i) पश्चिम क्षेत्रीय अन्तरविश्वविद्यालीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल का सदस्य (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)/नवोदय विद्यालय संगठन (एन.वी.एस)/आई.पी.एस./सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से)	6 प्रतिशत
स	(i) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (ii) अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी. एस. संगठन/सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (iv) सी.बी.एस.ई. की क्लस्टर/जोन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता/उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	5 प्रतिशत
द	(i) राजस्थान राज्य कीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता / उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व/जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी. एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) के रीजनल/क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	3 प्रतिशत

य	(i) राजस्थान राज्य कीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर	
	(ii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय	
	प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर प्रतिनिधित्व करने पर	
	(iii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय	2 प्रतिशत
	प्रतियोगिता में विद्यालय का	
	(iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	
	(v) सी.बी.एस.ई. केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय	
	संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की	
	क्लस्टर/जोन/रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	

विशेष टिप्पणी :

- (अ) के बिन्दु संख्या i व ii के अलावा उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।
- 1.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा

जारता ह	रना होगा,।जसके अमाव में अंथत लाम देव नहीं होगी ————————————————————————————————————				
क्रम संख्या	उपलब्धि	जिनका प्रमाण पत्र मान्य होगा			
1	अ(i) से(vi)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ. एस.जी.एफ.आई. सी. बी.एस.ई. संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी/आयोजन सचिव			
2	ब से स के (i) से (iv)	विश्वविद्यालय कीडा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी. एस.ई. संगठन आई.पी.एस. संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी /आयोजन सचिव, आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित ।			
3	द का(i) से(v) एवं य का(i) से(v)	राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी/उपजिला शिक्षा अधिकारी/आयोजन सचिव/आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।			

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे-

18. जिमनास्टिक

,		
एथलेटिक्स (क्रॉस कन्ट्री दौड़ सहित)	19.	जूडो
जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पोलो)	20.	मुक्केबाजी
बैडिमन्टन	21.	मिनी गोल्फ
बास्केटबॉल	22.	तीरन्दाजी
शतरंज	23.	निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल
क्रिकेट	24.	सॉफ्टबॉल
साइकिलिंग	25.	अमेरिकन फुटबॉल
<mark>फुटबाल</mark>	26.	बॉल बैडमिटंन
हॉकी	27.	नेट बॉल
कबड्डी	28.	रोलबॉल
खो-खो	29.	रग्बी
टेबिल टेनिस	30.	स्कवैश रैकिट
टेनिस	31.	ताइक्वांडो
वॉलीबॉल	32.	वुशू
हैण्डबाल	33.	योगा
कुश्ती	34.	पॉवर लिफ्टिंग
भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव	35.	ब्रिज
	जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पोलो)	जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पोलो) 20. बैडिमिन्टन 21. बास्केटबॉल 22. शतरंज 23. किकेट 24. साइकिलिंग 25. फुटबाल 26. हॉकी 27. कबड्डी 28. खो-खो 29. टेबिल टेनिस 30. टेनिस 31. वॉलीबॉल 32. हैण्डबाल 33. कुश्ती 34.

1.3 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	सीनियर डिवीजन/विंग (तीन सत्रों में) जूनियर डिवीजन/विंग (पाँच सत्रों में)	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ ब	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व। एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वेश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
स	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर •गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान •पैरा जिम्पंग कोर्स में स्काई डाउविंग कोर्स पूर्णकर्त्ता कैडेट •एडवेंचर माउण्टेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेयरिंग कोर्स पूर्णकर्त्ता कैडेट •सी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट •बी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	6 प्रतिशत

द	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना।	
	गणतंत्र दिवस कैम्प	
	अखिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प	
	पैरा जम्पिंग कोर्स	
	आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान	
	(20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना।	
	विद्यार्थी विंग में सी प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	5 प्रतिशत
	विद्यार्थी विंग में बी प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	जूनियर डिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ	
	स्नो-स्कीइंग कोर्स	
	सीनियर अण्डर ऑफिसर/सीनियर कैंडिट कैप्टन/कैंडिट	
	फ्लाईट सार्जेन्ट रैंक पर नियुक्ति।	
य.	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता	
	अर्जित करने पर।	
	सी प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ	
	बी प्रमाण पत्र सी ग्रेड के साथ	
	जूनियर डिवीजन ए प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ	
	ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प	3 प्रतिशत
	ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स	
	नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स	
	वॉटर स्कीइंग कोर्स	
	अण्डर ऑफीसर/कैडिट कैप्टन/कैडिट सार्जेन्ट रैंक पर नियुक्ति	

1.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर पर्वतारोहण शिलारोहण एवं वॉलक्लाइम्बिंग में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
অ	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच	6 प्रतिशत
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	5 प्रतिशत
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	3 प्रतिशत

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए बिन्दु 1,2 में दिया गया नियम लागू होगा।

1.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
অ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	6 प्रतिशत
स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
द.	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत

1.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर, रेन्जर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्राप्तकर्ता।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
অ	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर अथवा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो।	5 प्रतिशत
स.	तृतीय सोपान स्काउट/गाइड अथवा निपुण रोवर/रेंजर अथवा स्टेट रोवरमूट/रेंजर मीट में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय एडवेंचर गतिविधि अथवा डेजर्ट ट्रेकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का अधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता को।	3 प्रतिशत

1.7 अभ्यर्थी <mark>द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय</mark> स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास (शिक्षा) एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णाक पर प्रवेश
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	6 प्रतिशत

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय / राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणी : उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्ब) कॉलेज अथवा विभाग द्वार आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	3 प्रतिशत

1.8 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब में सत्र पर्यन्त सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपस्थिति का प्रमाण-पत्र होने पर।	1 प्रतिशत
ब	राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य का प्रमाण पत्र होने पर।	2 प्रतिशत

1.9 समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान पर अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ	मान्य प्रमाण–पत्र
अ	तीन सत्र तक लगातार राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान करने पर	1 प्रतिशत	अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी
অ	साक्षरता अभियान में तीन सत्र में तीन व्यक्तियों को अर्थात् प्रति सत्र एक व्यक्ति को साक्षर करने पर	0.5 प्रतिशत	साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
स	अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपनी कक्षा की सम्पूर्ण पुस्तकें लगातार तीन सत्र तक बुक बैंक में जमा कराने पर	0.5 प्रतिशत	प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

1.10 महिला अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
34	महिला अभ्यर्थी (केवल सहिशक्षा महाविद्यालयों हेतु य आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय महाविद्यालय में उपलब्ध न हो।)	

1.11 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए. कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

- 1.12 जिन अभ्यर्थियों के माता / पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पित की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में न्यूनतम् उत्तीर्णाक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी। यह लाभ तभी देय होगा, जबिक अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी /अस्पताल द्वारा जारी डेथ समरी / मुख्यमंत्री सहायक कोष से कोविड-19 महामारी में मृतक के परिवारजन को दी गई आर्थिक सहायता के आदेश में कोविड- 19 द्वारा मृत्यु होने का उल्लेख होने पर माता / पिता अथवा दोनों की एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके पित की मृत्यु कोरोना से होना अंकित हो ऐसे अध्ययनरत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश दिया जावेगा।
- 1.13 नियम संख्या 1.1 से 1.11 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।
- 1.14 ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों ओर से स्केन कर अपलोड करना होगा। आवश्यकता होने पर ऑफलाईन आवश्यक दस्तावेज मूल एवं प्रतिलिपि में प्रस्तुत करने होंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन हो सकती है। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 1.15 उपर्युक्त नियम में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा।
- 1.16 उपर्युक्त नियम में वर्णित लाभों में से किसी एक गतिविधि में एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।
- 1.17 प्रवेश शुल्क छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस तथा स्थानीय निधि मदों की राशि ली जायेगी।

टिप्पणी :

- (1) नियम 1.1 से 1.11 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की न्यूनतम पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं है।
- (2) न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सीधे प्रवेश के लिए योग्य विद्यार्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों के साथ एक शपथ-पत्र भी लगाना होगा जिसको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना है। भारण समिति (Weightage Committee) के समक्ष उपस्थिति के समय उनकी पात्रता तय की जाएगी।
- (3) उपर्युक्त लाभ प्राप्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। प्रमाण-पत्र बाद में स्वीकार नहीं किए जाएँगे या ऐसे प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। मूल प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित संस्थान से प्रमाणीकरण के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित होगा।
- (4) उपर्युक्त नियम 1.1 से 1.6 में वर्णित लाभों में से किसी एक उपलब्धि (जो भी अधिकतम) का लाभ अभ्यर्थी को देय होगा, चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न रहा हो।
- (5) उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक ही बार लाभ देय होगा।
- नोट : सीधे प्रवेश योग्य (Out-Right) विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय/ग्रुप में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त स्थान दिया जा सकता है।
- (ङ) प्रवेशार्थियों के रियायत/भारण अंक सम्बन्धी मामलों की जाँच के लिए केन्द्रीय समिति (Central Committee for Verification of Cases for Concessions, Weightage etc.)
- (1) कुलपित द्वारा गठित सिमिति रियायत/बोनस अंक प्राप्त करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के मामलों की जाँच करेगी। रियायत/भारण चाहने वाले सभी विद्यार्थी अपने आवेदन-पत्र सभी प्रपत्रों सिहत इस सिमिति को प्रस्तुत करेंगे और इस सिमिति की संस्तुति के पश्चात ही प्रवेश सिमिति द्वारा उनके प्रवेश निश्चित किए जाएँगे।
- (2) सीधे प्रवेश योग्य (Outright) आवेदकों की पात्रता, साक्षात्कार, मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ के प्रमाणीकरण के आधार पर तय होगी। ऐसे प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश/जिलाधीश से अपना शपथ-पत्र/मूल प्रमाण-पत्र प्रमाणित करा प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा। किसी भी स्तर पर आयोज्य आमंत्रण प्रतियोगिता के प्रमाण-पत्र भार अंक हेतु विचार योग्य नहीं माने जाएँगे।
- (च) प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ होंगी -

- 1. (अ) प्रवेश सम्बन्धी विज्ञप्ति (Admission Notification) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व कुल सचिव/अधिष्ठाता प्रवेश सम्बन्धी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे। अधिसूचना में विभिन्न पाठ्यक्रम, प्रवेश स्थान, आवश्यक योग्यता, आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि एवं आवेदन पत्र किस अधिकारी को प्रस्तुत करना है, आदि के सम्बन्ध में सूचना रहेगी। अधिसूचना की प्रतियाँ महाविद्यालयों/विभागों के सूचना पट्ट पर भी लगाई जाएगी।
 - (ब) प्रवेशार्थ आवेदन-पत्रों का वितरण (Distribution of Application Forms) आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mlsu.ac.in पर ऑनलाइन (online) भरा जाएगा। भरे हुए आवेदन पत्र की एक प्रति मय आवेदन फीस रु.100/- की रसीद के साथ में अंतिम तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएँ। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा क्यों कि इसके अभाव में डेटा का सत्यापन संभव नहीं होगा। इस हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं हेल्पलाईन से सहायता ले सकते हैं।
- 2. आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि (Last Date for submitting Application Form) पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से सूचित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में अथवा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान रिक्त रहने की स्थिति में आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। तथापि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 3. <mark>प्रवेश-अयोग्य विद्यार्थी (Candidates not eligible for Admission)</mark> निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विभागों/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होंगे।
- (i) वे आवेदक जिनके विरुद्ध विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संघटक महाविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी अथवा शिक्षक अथवा उसके कारण कर्मचारी ने पुलिस में अधिकृत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो और उन्हें उसके कारण सजा हुई हो या किसी अन्य प्रकार दण्डित किया गया हो।

- (ii) वे आवेदक, जो किसी फौजदारी मुकदमें में दोषी पाए गए हों अथवा जो न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए गए हों या जिन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो।
- (iii) वे आवेदक, जिन्होंने सम्बन्धित प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा उससे पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यापक/अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया हो तथा जिन्होंने परीक्षा में अनुचित साधन आदि का प्रयोग किया हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित किया गया हो/या अन्य प्रकार से दिण्डत किया गया हो।
- (iv) वे आवेदक, जिन्होंने संतापन (Ragging) जैसी घृणित, जघन्य एवं अमानवीय गतिविधियों में भाग लिया हो तथा जिन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3/21/शिक्षा ग्रुप.111/83, दिनांक 3 जुलाई, 1984 के अनुसार दण्डित किया गया हो।
- (v) यदि किसी आवेदक की शारीरिक अक्षमता किसी विशिष्ट विषय की पढ़ाई-लिखाई में बाधक हो सकती है तो उस विषय में उसे प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।
- 4. आवेदकों को निर्देश (Instructions for Applicants)
- (i) सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा स्वयं भरी जानी चाहिये तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं हो तो 'लागू नहीं' लिखिए। प्रविष्टि खाली छोड़ने पर आवेदन-पत्र अपूर्णता के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।
- (ii) सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन-पत्र उसमें बताए गए प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सिहत ऑनलाईन या महाविद्यालय/संकाय/ कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक पहुँच जाना चाहिए।
- (iii) आवेदक का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि तथा जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि सभी दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा प्रमाण-पत्र के अनुसार होने चाहिए।
- (iv) रेल तथा बस के किराये की रियायत केवल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित लम्बे अवकाश के समय ही, आवेदक के स्थायी पते वाले स्थान, जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लिखित है, के लिए दी जाएगी।
- (v) निवास का पूर्ण पता देना है। यदि पते में पिरवर्तन हो तो कार्यालय को तुरन्त सूचित करना है। सम्पर्क करने हेतु स्वयं का एवं अभिभावक का मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई डी भी दें। किसी अन्य का सम्पर्क सूत्र मान्य नहीं होगा।
- (vi) परिचय पत्र प्रवेश की कार्रवाई पूरी होने पर दिया जाएगा।
- (vii) प्रवेश सूची महाविद्यालय/संकाय/सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। प्रवेश पाए हुए छात्रों को निर्धारित दिनांक तक शुल्क अवश्य जमा कराना होगा, अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- (viii) गलत घोषणा एवं प्रमाण पत्र देने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा उसे महाविद्यालय से निकाल दिया जाएगा।
- (ix) स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षा में जो आवेदक एक से अधिक विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक अतिरिक्त विषय में प्रवेश के लिए स्नातक कक्षाओं के तीनों वर्षों की सत्यापित अंकतालिकाओं सिहत अलग आवेदन पत्र भरना होगा। प्रवेश होने पर विद्यार्थी उसी विषय में प्रवेश शुल्क जमा कराए जिसमें वह अंतिम रूप से प्रवेश लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसका अन्य विषयों में प्रवेश निरस्त माना जाएगा।
- (x) ऑनलाईन प्रवेश आवेदन के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र पूर्णतया पठनीय एवं सही होने चाहिए। गलत या किसी अन्य के या धुंधले प्रमाण पत्र या अपूर्ण होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 5. आवेदक की घोषणा (Declaration by the Applicant) प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी यह घोषित करेगा कि -
- मुझे किसी फौजदारी मुकदमें में सजा नहीं हुई है अथवा किसी फौजदारी मुकदमें के सम्बन्ध में मुझे जमानत पर रिहा नहीं किया गया है।
- (ii) किसी भी न्यायालय में मेरे विरुद्ध फौजदारी का अथवा नैतिक अधमता का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।
- (iii) मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय ने अथवा संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिष्ठाता/आचार्य ने अथवा अन्य सक्षम अधिकारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं कराई है और न उसके लिए मुझे कोई दण्ड दिया गया है।
- (iv) गत सत्र में मैंने अनुशासनहीनता व परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग आदि का कोई कृत्य नहीं किया है।
- (v) उपर्युक्त सूचनाओं में से यदि कोई झूठी निकलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाए।
- (vi) प्रवेश के पश्चात् भी यदि मैं (i) से (v) तक किसी प्रवृत्ति में लिप्त पाया गया तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त
 प्रभाव से रद्द कर दिया जाए।

6. आवेदन पत्र जमा कराना (Depositing of Application Forms)

उन सभी प्रवेशार्थियों को जो नवीन पाठ्यक्रम में अथवा उसी पाठ्यक्रम में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की कक्षा में प्रवेश चाहते हैं अथवा पूरक परीक्षा में बैठ रहे हैं एवं अगली कक्षा में प्रवेश चाहते हैं तो अपना आवेदन-पत्र सभी दृष्टियों से पूरा कर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करा देना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र यदि तिथि न बढ़ाई गई तो रद्द कर दिए जाएँगे।

प्रवेशार्थ दिए गए आवेदन-पत्र एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किए जाएँगे। साथ ही प्रवेश के बाद एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किए जाएँगे। अलग-अलग आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों सहित सम्बन्धित विभागों/महाविद्यालय में देने होंगे।

7. आवेदन-पत्र के साथ लाए जाने वाले प्रपत्र (Documents to be brought with Application Form)

प्रत्येक नवीन प्रवेश के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना रंगीन फोटो एवं निम्नलिखित प्रपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ साथ लानी होंगी।

- (i) अर्हक परीक्षा/परीक्षाओं की अंकतालिका/तालिकाएँ। एम.ए./एम.कॉम. पूर्वार्द्ध में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रथम वर्ष,
 द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपियाँ लगाएँ।
- (ii) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
- (iii) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से चरित्र प्रमाण पत्र।
- (iv) उच्च माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो।
- (v) यदि आवेदक शुल्क में रियायत का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।
- (vi) यदि आवेदक आरक्षित स्थानों पर प्रवेश का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।
- (vii) रियायत अथवा योग्यता निर्धारण हेतु दिए गए बोनस अंक का यदि आवेदक पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (viii) अंतिम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं आवेदन पत्र देने में एक अथवा उससे अधिक वर्षों का अंतर हो तो अंतर के सम्बन्ध में वांछित स्पष्टीकरण दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथपत्र देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वह अनुत्तीर्ण छात्र नहीं है।
- (ix) यदि आवेदक नौकरी में हो तो सम्बन्धित नियोजक का अनापत्ति एवं अच्छे व्यवहार व चरित्र का प्रमाण पत्र।
- (x) आवेदक एवं उसके माता-िपता/अभिभावक द्वारा इस आशय की घोषणा कि आवेदक नियमित रूप से कक्षाओं में
 उपस्थित रहेगा तथा ऐसा कोई पूर्णकालिक व्यवसाय ग्रहण नहीं करेगा जिसमें उसके नियमित अध्ययन में बाधा पड़े।

टिप्पणियाँ:

- यदि आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में से प्रवेश की आवश्यकतानुसार किसी प्रपत्र को उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा। मूल प्रपत्र भी मांगे जा सकते हैं तथा उन्हें कुछ समय तक रोका जा सकता है।
- (ii) आवेदन-पत्र के साथ नहीं दिया गया योग्यता एवं आरक्षण आदि को प्रमाणित करने वाला प्रपत्र बाद में स्वीकार नहीं होगा एवं आरक्षण/बोनस अंक/शुल्क में रियायत के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी ने यदि आरक्षण, रियायत अथवा अतिरिक्त अंक भार नहीं चाहा तो उसे कोई आरक्षण रियायत एवं अंक भार नहीं दिया जाएगा।
- (iii) प्रवेश समिति के संयोजक आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रपत्र के आधार पर ही योग्यता का निर्धारण करेंगे। शुल्क निर्धारण हेतु आवेदक माता-पिता/अभिभावक की आय स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।

8. आवेदन-पत्रों का पंजीकरण (Registration of Application Forms)

महाविद्यालय/विभाग के अधिष्ठाता/अध्यक्ष के कार्यालय में प्रवेशार्थ दिए गए आवेदन-पत्रों की सम्बन्धित सचिवालय सहायक द्वारा प्रारम्भिक जाँच के पश्चात् पंजीकरण किया जाएगा। तत्पश्चात् ये आवेदन-पत्र विभिन्न कक्षाओं/ विभागों में प्रवेश हेतु गठित समितियों को अग्रेषित कर दिए जाएँगे।

9. प्रवेश समिति (Admission Committee)

किसी संकाय में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा किए गए आवेदन-पत्र प्रवेश सिमित द्वारा एक साथ विचारार्थ लिए जाएँगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश सिमित का गठन संघटक महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए सम्बन्धित संकाय समन्वयक/विभागों के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

10. प्रवेश प्रक्रिया (Procedure of Admission)

- (i) उन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, सभी प्रवेश योग्यता के आधार पर किए जाएँगे। प्रवेश के लिए योग्यता का निर्धारण अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक तथा नियमानुसार होने वाले भार अंक एवं समय-समय पर सृचित किए गए अन्य प्राप्त नियमों के आधार पर होगा।
- (ii) विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कक्षा में प्रवेश के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक परीक्षा (प्रायोगिक को छोड़कर) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
- (iii) प्रत्येक श्रेणी के निर्धारित स्थान के लिए अलग-अलग योग्यता सूचियाँ बनाई जाएँगी। प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों से पहले प्रवेश निश्चित किए जाएँगे एवं बचे हुए आवेदकों के नाम यदि कोई हो तो उन्हें सामान्य योग्यता सूची में योग्यता के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।
- (iv) प्र<mark>वेश प्रक्रिया के अन्त</mark>र्गत गठित किए गए समन्वयकों के कार्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी -
- 1. स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (कला संकाय के सभी विषय) में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के आवेदन-पत्र स्वीकार करना। इसके लिए केन्द्र पर दो काउन्टर होंगे। एक काउन्टर पर रियायतें एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन-पत्र जमा होंगे तथा दूसरे काउन्टर पर बिना रियायत एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन पत्र जमा होंगे। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन होने पर यह प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। आवेदक वेबसाईट पर सूचना देखें। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया नहीं होने की स्थिति में अग्रलिखित हो सकती है।
- 2. रियायतें एवं भारण चाहने वाले प्रत्याशी आवेदन पत्र कार्य दिवस में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ सम्बन्धित संकाय की वेटेज कमेटी के समक्ष उपस्थित होंगे। समिति के समक्ष अनुपस्थित रहने पर आवेदन-पत्र पर रियायत एवं भारण देय नहीं होगा।
- 3. वेटेज सिमिति को मूल प्रमाण-पत्रों में प्रमाणीकरण और प्रत्याशी से व्यक्तिगत साक्षात्कार के उपरान्त देय रियायतें एवं भारण उसके आवेदन-पत्र पर अंकित कर प्रतिदिन के आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रवेश सिमित को भिजवाना है। सीधे उत्तीर्णांक पर प्रवेश लेने वालों के मूल प्रमाण-पत्र प्रमाणीकरण के लिए कार्यालय में जमा किए जाएँगे। इसके साथ इन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणीकृत शपथ-पत्र भी जमा कराना होगा।
- 4. प्रवेश सिमिति, प्रतिदिन प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को कम्प्यूटर में डेटा एन्ट्री अपने कार्यालय में कराएगी एवं प्रिण्ट आउटपुट का मूल आवेदन-पत्र की प्रविष्टियों से जाँच करती रहेगी। डेटा एन्ट्री एवं जाँच का कार्य आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के अगले दो दिन तक पूर्ण कर लेना होगा।
- 5. आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के आरक्षित स्थानों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि पूर्व घोषित सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से तीन दिन बाद की होगी।
- ऐसे विज्ञापन के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की डेटा एन्ट्री व जाँच कार्य सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि के चौथे दिन तक पुरा कर लिया जाएगा।
- 7. प्रत्येक केन्द्र पर योग्यता वरीयता क्रम के (स्नातक कक्षाओं हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार शतमक-परसेंटाइल आधार पर) अनुसार तथा प्रथम विषय वरीयता क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी की समस्त प्रत्याशी सूची आवेदन-पत्र जमा करने की सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से 4 दिन बाद सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी।
- 8. योग्यता वरीयता क्रम की प्रसारित सूची के अनुसार व्यक्तिगत प्रवेश प्रक्रिया का परामर्श कार्यक्रम सूचना पट्ट पर लगाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन को बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों का विवरण उल्लिखित होगा। उसी क्रम से प्रत्याशी अपने अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्रों, स्व सत्यापित प्रतिलिपियों एवं आवश्यक शुल्क आदि लेकर परामर्श के लिए प्रवेश सिमित के समक्ष निर्धारित केन्द्र पर निश्चित दिन व समय पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने वाले प्रत्याशियों का प्रवेश अधिकार स्वत: समाप्त माना जाएगा।
- 9. समस्त परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त तथा निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात् यदि किसी श्रेणी में किसी केन्द्र पर स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें भरने के लिए योग्यता प्रवेश सूची में सिम्मिलित किन्तु अवसर से वंचित प्रत्याशियों को परामर्श प्रक्रिया में सिम्मिलित होने पर एक अन्तिम अवसर और दिया जा सकेगा। यह अवसर केवल उन प्रत्याशियों को दिया जाएगा जिनके पुनर्विचार के लिए लिखित में आवेदन-पत्र उनकी पूर्व में निर्धारित परामर्श तिथि के दो दिन के भीतर केन्द्र में प्राप्त हो चुके होंगे। आवंटित विषय परिवर्तन हेतु भी लिखित रूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसी पुनः परामर्श प्रक्रिया में विचार किया जाएगा।

- 10. यह अन्तिम पुनः परामर्श प्रवेश प्रक्रिया पूर्व में आरम्भ हुई परामर्श प्रक्रिया के दिन के आठ दिन बाद दो दिन में पूरी कर ली जाएगी और अन्तिम प्रवेश सूची का प्रसारण सभी महाविद्यालयों में करने के साथ ही विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को वह सूची प्रेषित कर दी जाएगी।
- 11. परामर्श प्रवेश प्रक्रिया के दिन प्रत्याशी को पूर्ण शुल्क का ड्राफ्ट/नकद केन्द्र पर ही जमा कराना होगा।
- 12. समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् किसी कारणवश यदि कोई स्थान रिक्त रहता है तो उसके लिए आवेदन पत्रों के अभाव में पुन: आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं। किन्तु यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर प्रवेश समिति द्वारा पूरी कर ली जाएगी।
- (v) विधि सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया
- विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश भारत विधिज्ञ परिषद् (Bar Council of India) के नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अधीन होंगे तथा रियायतों एवं भार (Concession & Weightage) से मुक्त होंगे।
- विधि स्नातक (एलएल.बी. त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष के लिए प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्रवेश परीक्षा/वरीयता के आधार पर कक्षा की क्षमता तक प्रवेश दिए जा सकेंगे। कक्षा की कुल क्षमता 120 (स्ववित्त पोषित 60) विद्यार्थी हैं।
- 3.(i) प्रवेश परीक्षा देने के लिए वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, विज्ञान, औषधि, प्रौद्योगिक, कृषि अथवा अन्य किसी विषय में स्नातक की उपाधि (10+2+3) पद्धित से अथवा उपर्युक्त किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (10+2+3) पद्धित से स्नातक के बाद) में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किए हैं।
- (ii) राजस्थान के बाहर के प्रवेशार्थियों पर प्रवेश सामान्य नियम संख्या 4 लागु होगा।
- (iii) इस बुलेटिन के अन्य कोई प्रावधान होते हुए भी किसी विद्यार्थी को विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि उसने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश की पात्रता अर्जित नहीं की है।
- 4. यदि किसी अभ्यर्थी का उपर्युक्त विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है तब भी वह प्रवेश परीक्षा दे सकेगा किन्तु प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र तभी माना जाएगा जबिक वह प्रवेश के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेगा तथा उसका प्रवेश उपर्युक्त नियम 2 के अधीन होगा।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत प्राप्तांक केवल विधि प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन करने की योग्यता है, इससे प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित एवं पुनर्मूल्यांकन कराने वाले प्रवेशार्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
- 7.(i) किसी विद्यार्थी के आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांकों से एक भी अंक कम होने पर उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। विधि स्नातक के लिए अजा, जजा, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता पिछली परीक्षा के पास अंक (40%) रहेगी। विवरणिका में उल्लिखित तथा संबंधित निर्देशानुसार आरक्षण दिया जाएगा।
- (ii) सभी पाठ्यक्रमों में (स्विवत्त पोषित सहित) अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।
- 8. ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी विभाग (सरकारी अथवा गैर-सरकारी) में कार्यरत हो उनको विधि संकाय में प्रवेश तब ही दिया जाएगा जबिक वे अपने नियोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें कि वे उदयपुर नगर की सीमा में कार्यरत हैं। उदयपुर नगर की सीमा के बाहर कार्यरत विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उदयपुर नगर में कार्यरत विद्यार्थियों को बिना उपर्युक्त प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र तथा प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र महाविद्यालय से निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित तिथि पर प्राप्त किए जा सकेंगे।
- 10. भारत की विधि परिषद् की अपेक्षा की पालना के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस विवरणिका में कोई बात इसके विपरीत होते हुए भी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय विधि स्नातक की परीक्षा देने पर विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कराकर आगे की कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कर लें। उक्त अविध की समाप्ति के पश्चात् वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। परीक्षा में असफल घोषित होने पर उनको नियमानुसार शुल्क वापस किया जा सकेगा।
- 11. विधि स्नातक का पाठ्यक्रम जो तीन वर्ष का है यदि कोई विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं होता है और विश्वविद्यालय के प्रोन्नत (Promoted) के नियमों के अनुसार द्वितीय वर्ष विधि में प्रवेश पा लेता है लेकिन

विधि पाउ्यक्रम के तृतीय वर्ष में उसे प्रवेश तभी दिया जाएगा जबिक वह पूर्ण रूप से प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो चुका हो।

- 12. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद <mark>किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।</mark>
- 13. विधि पाठ्यक्रम बार कौन्सिल के नियमों के अध्याधीन है। अतः 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी तथा उसे उपस्थिति की कमी के बारे में सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाएगी। नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थिति के बारे में जानकारी रखने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vi) एम.ए. के लिए योग्यता निर्धारण

एम.ए. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के निर्धारण हेतु जिस विषय में अभ्यर्थी प्रवेश चाह रहा है उस विषय में उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों को बी.ए. के कुल प्राप्तांकों से जोड़कर योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। प्रवेश के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार प्रवेशार्थी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें। प्रवेश हेतु उन्हीं संकाय के स्नातक डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों की योग्यता वरीयता का निर्धारण 5% अतिरिक्त अंक देकर दिया जाएगा। इसके लिए प्रवेशार्थ न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। एम.कॉम. में प्रवेश बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.बी.एम. में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर ही देय होगा।

(vii) प्रपत्रों की मूल प्रति जमा कराना (Depositing of Original Documents)

विभिन्न कक्षाओं में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने के पश्चात् ही शुल्क/डी. डी. जमा कराके उनके प्रवेश को निश्चित किया जाएगा।

11. वैकल्पिक विषय एवं लघु शोध प्रबन्ध (Optional Subjects & Dissertation)

जिन ऐच्छिक पेपर/पेपर्स को विद्यार्थी लेना चाहता है उसका उल्लेख आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। किसी कक्षा में ऐच्छिक पेपर्स को योग्यता के आधार पर उन आवेदकों को दिया जाएगा, जो उन विषयों को लेने के इच्छुक हैं। कक्षा में पेपर्स की क्षमता तक ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में ऐच्छिक पेपर व्यक्तिगत परामर्श के उपरान्त दिए जाएँगे, जिनमें सामान्यतया परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी. पूर्वार्द्ध परीक्षा में यदि किसी विद्यार्थी ने 55 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं तो उत्तरार्द्ध परीक्षा के लिए सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रावधान के अनुसार एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र के स्थान पर लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) को विभाग द्वारा वांछित सुविधा उपलब्ध होने पर ही अनुमित दी जा सकेगी। (अजा/जजा हेतु 50% अंक माने जाएँगे।)

- 12. विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के जिन विद्यार्थियों का आरक्षण कोटे के भरने के बाद भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थी अगर उदयपुर के किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके आवेदन पत्र स्थानीय महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किए जा सकेंगे।
- 13. प्रवेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Admission)

अधोलिखित परिस्थितियों में आवेदकों का प्रवेश संस्थाध्यक्ष द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है -

- (i) आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया हो एवं गलत जानकारी/तथ्य दिए गए हों।
- (ii) यदि आवेदन-पत्र पर माता या पिता अथवा अभिभावक आदि के जाली हस्ताक्षर किए गए हों।
- (iii) यदि जाली प्रपत्र/प्रमाण-पत्र संलग्न किए गए हों।
- (iv) यदि आवेदक पूरक परीक्षा या अन्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए जिसके आधार पर उसे आगे की कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे दिया गया हो।
- (v) यदि आवेदक को संस्था/न्यायालय द्वारा किसी अनुशासनहीनता या अपराध के लिए दिण्डत किया गया हो ।
- (vi) परिस्थितिजन्य अन्य कोई समुचित कारण/आदेश होने पर।
- 14. पाठ्यक्रम को स्थगित करना (Suspension of Course of Study)

यदि किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध न हो पाए तो विद्यार्थियों को प्रवेश दे देने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय द्वारा उस पाठ्यक्रम को स्थिगत किया जा सकता है। यदि किसी नवीन पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या स्नातक पाठ्यक्रम में 10, ऑनर्स में 5 एवं स्नातकोत्तर में 3 न हो तो उस पाठ्यक्रम की अनुमित नहीं दी जाएगी। प्रविष्ट विद्यार्थी यदि अन्य पाठ्यक्रम के पात्र हो तो उन्हें उसमें जाने की अनुमित अथवा प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस लेने की अनुमित दी जाएगी।

15. उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन पर उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Candidates qualifying on Reevaluation of Answer-Books)

किसी नियमित विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में

उसे आगे की कक्षा में तभी प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र देने की अनुमित दी जा सकती है यदि वह पुर्नमूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर आवेदन पत्र दें। ऐसे विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जाएगा यदि जिस कक्षा में वह प्रवेश का इच्छुक है उसमें स्थान रिक्त हो एवं उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्रतिशत से कम न हो। प्रवेश से वंचित विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में नियमानुसार अपना अध्ययन कर सकेंगे।

16. पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Students Qualifying at Supplementary Examination)

पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक तभी प्रवेश ले सकेंगे, जब सभी योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त हो एवं नियम 7 के अधीन वे योग्यता सूची में आते हों। निर्धारित तिथि वही होगी जो पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं तथा यह सुविधा केवल स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए है।

17. राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्रों का प्रवेश (Admission of Students coming from other Universities of Rajasthan)

राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण यहाँ द्वितीय वर्ष में 30 सितम्बर तक प्रवेश दिया जा सकेगा। उन्हें दो वर्ष की उपाधि प्रदान की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की श्रेणी का निर्धारण उनके द्वारा विश्वविद्यालय में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा। किन्तु तृतीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश किसी भी परिस्थित में नहीं दिया जाएगा।

18. अतिरिक्त विषय/समूह ग्रुप की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश (Admission of Students Appearing in Additional Subjects Group)

किसी विषय की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी विषय के किसी अतिरिक्त विषय समूह में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी को कक्षा में रिक्त स्थान होने पर नियमित प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को केवल अतिरिक्त विषय/समृह की अंकतालिका ही दी जाएगी।

19. प्रवेश वर्जित

(i) अन्य महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश देय नहीं हैं।

20. प्रवेश सम्बन्धी सामान्य टिप्पणियाँ

- (I) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आधिकारिक रूप से प्रवेश का हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होने पर भी किसी विद्यार्थी को बिना कारण बताए प्रवेश से वर्जित किया जा सकता है।
- (ii) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश रद्द किया जा सकता है, यदि वह विश्वविद्यालय अधिनियम व उपनियमों की धाराओं का अथवा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन अथवा किसी अपराध के लिए दिण्डत हुआ हो अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त हो अथवा यह पाया जाए कि उसने प्रवेश के लिए गलत जानकारी अथवा प्रपत्र दिए हैं।
- (iii) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, विधि संकाय के पाठ्यक्रमों, विद्यावाचस्पति (Ph.D.) तथा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जिनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं, उनको कृपया अलग से देखें।
- (iv) अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नियम इस विवरणिका में उल्लिखित तथा संबंधित निर्देशानुसार लागू रहेंगे।

21. प्रवेश अधिकारी

स्नातक स्तर के सभी प्रवेश समन्वयक/अधिष्ठाता द्वारा किए जाएँगे तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश समन्वयक/विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएँगे। विशेष पाठ्यक्रमों के प्रवेश अधिकृत संचालक द्वारा किए जाएँगे। इस संबंध में निर्णय का इन्हें विश्वविद्यालय के नियमों तथा निर्णयों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार होगा।

22. Special Rules Regarding Foreign Students

A. ADMISSION

1. Candidates who obtain required qualifications from outside India and are now willing to join any course with the University must first apply to Association of Indian Universities (AIU) Delhi for equivalence certificate, having obtained such certificate, they should apply for eligibility letter for admission to the University. In order to obtain eligibility letter for admission

- to Ph.D. Programme, the candidate must also submit approved synopsis of Ph.D. by a recognised supervisor, along with the application.
- 2. In respect of students who produce letter of admission eligibility from this University, the Indian mission abroad will issue Student Visa/Research Visa.
- 3. The foreign students seeking admission to any course of the University including Ph.D. should apply through their Embassy/High Commission. Those who have passed their qualifying examination from a University within India (other than MLSU) should also apply under intimation to their embassy/high commission. They also have to submit migration certificate within one month from the date of provisional admission.
- 4. A foreign national shall be eligible for admission to any course of this University provided he/she has obtained minimum 60% marks in the qualifying examination. This rule, however, will not apply in case of those candidates who qualify their graduation from this University.
- 5. For admission to First Year of Three Year Degree Course in any faculty, only those candidates shall be eligible who had English as a subject in their qualifying examination.
- 6. For admission to First Year of the Three-Year Degree Course in science faculty, only those candidates shall be eligible who had General Science as a subject in their qualifying examination.
- 7. The Dean, P.G. Studies will decide the cases for Ph.D. enrollment of foreign students in consultation with the International Students' Advisor.
- 8. The foreign students are required to submit a Medical Fitness Certificate from the specified authority by the Ministry of Home at the time of their admission. They will also submit an AIDS Test Report from S.M.S. Hospital, Jaipur /R.N.T. Medical College, Udaipur for ICMR AIDS SURVEILLANCE Centre.
- 9. Residential permit granted for studies and entry-visa for more than six months will be treated at par with student visa.
- 10. All foreign students seeking admission to this University should be apprised that the medium of instruction in the University is generally Hindi at the Undergraduate level.
- 11. All foreign students will be admitted, if otherwise found eligible, only as regular students in the college concerned. Foreign students are not eligible to appear as a Non-Collegiate (Private) candidate at any examination of this University.
- 12. If a student does not pass any exam he/she shall be allowed to take regular admission in the same class only two more times, in the immediate successive sessions. He/she shall not be entitled to become Ex-student in any case. In case he/she does not pass any class within three years, he/she will have to go back to his/her country.
- 13. The University shall not accept any admission on transfer and/or allow to change his/her admission from other educational institutes/from any other University into this University during packaged programme of study.
- 14. A foreign student is required to submit a copy of the registration with Criminal Investigation Department, Udaipur after he/she is admitted.
- 15. Foreign students are required to submit all original documents for verification to the Head of the Institution while seeking admission in the college concerned.
- 16. Students who fail to furnish the required documents at the time of admission, their admission shall remain provisional for a period not beyond 31 December every year. Thereafter provisional admission shall be cancelled by the University/Institution and the matter shall be reported to the Ministry and Embassy concerned.

B. FEE (Revision under consideration)

1. Tuition Fee

(i) Undergraduate Courses	
First Year	Rs. 340 per month
Second Year and Third Year	Rs. 440 per month
(ii) Post-Graduate Courses	Rs. 540 per month
(iii) M.Phil	Rs. 800 per month
(iv) Ph.D.	Rs. 9600 per year

- 2. University shall charge Rs. 100 (One Hundred only) as eligibility verification fee on admission.
- 3. Fees under all other heads charged from local students, shall be payable by foreign students at the same rates.

C. DISCIPLINE

Foreign students are required to maintain good conduct during the course of studies in the University and are to act according to the advice of the Dean Students Welfare, International Students Advisor, Head of the Institution concerned and other University authorities. Otherwise, disciplinary action shall be taken as per provisions in the Information Bulletin of the University/Institute. They shall not participate in local politics and local franchise except Students' Union Election wherein they will be eligible to cast vote only.

- 2. The student shall make payment of college fee and University dues on the prescribed dates.
- 3. If a foreign student remains absent from the class for one month continuously, his/her admission will stand cancelled and he/she will be no more a student of the college.

D. MISCELLANEOUS

- 1. In case, a foreign student desires to leave for abroad during the course of study, he/she should obtain No Objection Certificate from the Head of Institution/Department and immediately on return, he/she should submit a certificate of medical fitness to the concerned Institution/Department.
- 2. So long as the student is not registered for any course, the University authorities will not issue a bonafide student certificate to him.
- 3. The Head of the Institution/Dean P.G. Studies will send the details of the foreign students, mmediately after their admission, to the Registrar and the International Students' Advisor.
- 4. All other rules and regulations for local students shall apply for foreign students also.





4. उपस्थिति नियम (Attendance Rules)

- विश्वविद्यालय के समस्त नियमित पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रतिवर्ष आयोजित कुल कालांशों (जिनमें ट्यूटोरियल्स तथा प्रायोगिक कालांश सम्मिलित है) की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय-समय पर किए गए रूपान्तरणों एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगा।
- 3. प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उपस्थिति के बारे में स्वयं सम्बन्धित प्राध्यापकों से जानकारी प्राप्त करेगा एवं अपने प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र के अनुसार उपस्थिति का विवरण रखेगा। यह जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी।
- 4. जो छात्र संस्थान/विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के अनुमत सह-पाठ्यक्रम गितविधियों, जैसे खेल-कूद, गणतंत्र दिवस परेड, शैक्षणिक यात्रा आदि में प्रतिनिधित्व करने के लिए महाविद्यालय/जिला स्तर पर भेजे गए उन्हें उपर्युक्त गितविधियों के कारण अनुपस्थिति के समय में कक्षा में दिए गए व्याख्यान के बराबर उपस्थिति का लाभ दिया जाएगा, इसमें यात्रा के दिन भी सिम्मिलत किए जाएँगे परन्तु यह सुविधा एक शैक्षणिक वर्ष की कुल अविध में अधिकतम 15 अनुपस्थिति के दिनों के लिए ही दी जाएगी। उपस्थिति के संदर्भ में उपर्युक्त छूट के अतिरिक्त और कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।
- जो विद्यार्थी अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है उस विद्यार्थी का नाम सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा छात्रा एवं उसके माता/पिता को सूचित किया जाएगा। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- जो परीक्षार्थी उपर्युक्त अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में सिम्मिलत होने से रोक दिया जाएगा।
- 7. ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अपेक्षित उपस्थित की कमी के कारण उन पाठ्यक्रमों में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सिम्मिलत होने से रोका गया है, जिनमें स्वयंपाठी (Non-collegiate) परीक्षार्थी के बैठने का विधान है, उन विद्यार्थियों को उसी वर्ष, स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमित दी जा सकती है, यदि वे इसके लिए लिखित आवेदन करें और शेष आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दें।

5. शुल्क (Fees)



शिक्षण शुल्क जुलाई से जून तक बारह महीनों के लिए अग्रिम किश्त में महाविद्यालय अधिष्ठाता को निर्धारित तिथि पर देय होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर शुल्क नहीं जमा करा पाता है तो उसे अधिष्ठाता को विलम्ब के कारणों को बताना होगा। यदि अधिष्ठाता कारणों के औचित्य से संतुष्ट होते हैं तो शुल्क जमा कराने की अनुमित दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रवेश के समय देय होंगे।

1. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)

	कक्षा	आयकर न देने वाले के आश्रित	आयकर देने वाले के आश्रित
1,	स्नातक कक्षाएँ त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	₹ 110/- प्रतिमाह ₹ 145/- प्रतिमाह	₹ 165/- प्रतिमाह ₹ 220/- प्रतिमाह
2.	स्नातकोत्तर कक्षाएँ छात्र	₹ 220/- प्रतिमाह	₹ 330/- प्रतिमाह

टिप्पणियाँ

- 1. निम्नलिखित श्रेणी के सभी विद्यार्थियों से उचित प्रमाण-पत्र की उपलब्धि पर कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा-
- (i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय छात्राएँ।
- (ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थी।
- (iii) पूर्व सैनिक जो स्थायी रूप से असमर्थ हों गए हो और राजस्थान में बस गए हों, वे स्वयं अथवा उनके आश्रित छात्र तथा भारतीय सीमाओं पर हुए युद्धों में मृतक सैनिकों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान में बस गए हों (अन्य सैनिकों को कोई शुल्क छृट उपलब्ध नहीं होगा)।
- (iv) सन् 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गए अथवा स्थायी रूप से असमर्थ हो गए राजस्थान से सम्बन्धित सेना/सीमा सुरक्षा बल/सशस्त्र पुलिस के सदस्यों के बच्चे अथवा पत्नी। (इस श्रेणी के छात्रों से परिचय-पत्र शुल्क छोड़कर शेष स्थानीय शुल्क भी नहीं लिए जाएँगे।)
- (v) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, पंचायत सिमित तथा जिला पिरषद् के आयकर नहीं देने वाले कर्मचारियों के संरक्षित। (कोई भी विद्यार्थी जिसके पिता जीवित है और अपंग नहीं है, के संरक्षक उसके पिता ही होंगे। पिता के अपंग होने अथवा मृत होने पर उसका सगा भाई/अविवाहित बहिन/माता उसके संरक्षक होंगे।)
- (vi) सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं राजस्थान राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियमानुसार आगे पढ़ने की अनुमित मिली हुई है एवं आयकर नहीं देते हैं।
- (vii) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित परिवारों के बच्चे (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)।
- 2. विद्यार्थी के अनुचित व्यवहार एवं अनुचित आचरण का दोषी पाए जाने पर उपर्युक्त रियायतें तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगी।
- विद्यार्थी शुल्क की रसीदों को सुरक्षित रखें। एन.सी.सी. का गणवेश, पुस्तकालय पाठक कार्ड आदि शुल्क की रसीद दिखाने पर ही दिया जाएगा।

4. विद्यार्थी को यह रियायत सेना के अभिलेख कार्यालय अथवा पुलिस अधिकारियों से 'एन्टाइटलमेन्ट पत्र' प्रस्तुत करने पर अनुज्ञेय होगी। रियायत स्थायी रूप से असमर्थ स्वयं सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में अध्ययन <mark>करना चाहते हैं, को भी</mark> उपलब्ध होगी।

ऐसी शुल्क मुक्ति का पुनर्भरण महाविद्यालय शिक्षा निदेशक, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 4 (2) शिक्षा जी.आर. 11/72,दिनांक 4.4.73 के अन्तर्गत किया जाएगा।

5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के दृष्टिबाधित विद्यार्थी निम्न शुल्क के भुगतान से मुक्त होंगे -

(क) शिक्षण (ख) परीक्षा

(ग) पुस्तकालय अवधान द्रव्य (घ) पुस्तकालय

(ভ) विद्यार्थी सहायता

2. अन्य शुल्क (Other Fees)

1.	प्रवेश शुल्क	₹ 250/- (केवल नए विद्यार्थियों से)
2.	प्रयोगशाला शुल्क	
	(विज्ञान एवं कला संकाय में प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए)*	
	स्नातक कक्षा तक	₹ 330/- प्रतिवर्ष
	स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए	₹ 385/- प्रतिवर्ष
3.	नामांकन शुल्क**	₹ 275/- प्रतिवर्ष
4.	योग्यता शुल्क	
(i)	राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	₹ 220/- एक बार
(ii)	राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि.	₹ 550/- एक बार
	एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	
5.	एलीमेन्ट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन	₹ 550/- प्रतिवर्ष
	(केवल द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों से)	
6.	एम.ए. (उत्तरार्द्ध)/एम.लिब.	₹ 1045/- प्रतिवर्ष
	(कम्प्यूटर एप्लीकेशन ऐच्छिक प्रश्न-पत्र)	

3. स्थानीय शुल्क (Local Fees)

1,	क्रीड़ा शुल्क	₹200/- प्रतिवर्ष
2.	स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क	₹ 250/- प्रतिवर्ष
3.	वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	₹65/- प्रतिवर्ष
4.	विषय/संकाय परिषद् शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष
5.	मनोरंजन शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष
6.	विकास शुल्क	₹ 250/- प्रतिवर्ष

7. परिचय पत्र शुल्क	₹50/- प्रतिवर्ष
8. छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 100/- प्रतिवर्ष
9. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	₹60/- प्रतिवर्ष
10. छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 100/- प्रतिवर्ष
11. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 50/- प्रतिवर्ष
12. मुक्त प्रणाली (वाचनालय)	₹ 100/- प्रतिवर्ष
13. छात्र सहायता निधि शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष
14. वाहन स्टेण्ड शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष
15. वाहन स्टेण्ड शुल्क (स्वयंपाठी छात्रों से परीक्षा के दौरान)	₹ 100/- प्रतिवर्ष
16. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹75/- प्रतिवर्ष
17. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹50/- प्रतिवर्ष
18. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 250/- एक बार
19. प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 250/- एक बार
20. वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ	₹ 100/- प्रतिवर्ष
21. शैक्षणिक भ्रमण शुल्क	₹ 350/- प्रतिवर्ष
(जहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।)	
22. केन्द्रीय पुस्तकालय शुल्क	₹ 150/- प्रतिवर्ष
(केवल स्नातकोत्तर विद्यार्थियों से)	
23. परिसर स्वच्छता शुल्क	₹ 150/- प्रतिवर्ष
24. नेतृत्व कौशल विकास शुल्क	₹ 125/- प्रतिवर्ष

- कला संकाय में संगीत, भूगोल, चित्रकला, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा भाषा प्रयोगशाला में प्रयोगशाला शुल्क लिया जाएगा।
- उन विद्यार्थियों से जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन होना है।

4.	एम.	फिल, शुल्क (M.Phil. Fees)	
	1,	शिक्षण शुल्क	₹ 500/- प्रतिमाह
	2.	प्रवेश शुल्क	₹400/- प्रतिवर्ष
	3.	क्रीड़ा शुल्क	₹ 220/- प्रतिवर्ष
	4.	स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क	₹ 250/- प्रतिवर्ष
	5.	वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	₹ 125/- प्रतिवर्ष
	6.	मनोरंजन शुल्क	₹75/- प्रतिवर्ष
	7.	विकास शुल्क	₹ 750/- प्रतिवर्ष

8. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	₹ 250/- प्रतिवर्ष
9. परिचय-पत्र शुल्क	₹75/- प्रतिवर्ष
10. छात्र सहायता निधि शुल्क	₹100/- प्रतिवर्ष
11. वाहन स्टेण्ड शुल्क	₹100/- प्रतिवर्ष
12. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	₹125/- प्रतिवर्ष
13. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹100/- प्रतिवर्ष
14. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹75/- प्रतिवर्ष
15. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 350/- एक बार
16. छात्र-संघ शुल्क (महाविद्यालय)	₹150/- प्रतिवर्ष
17. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	₹75/- प्रतिवर्ष
18. छात्र-संघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 150/- प्रतिवर्ष
19.) छात्र-संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹75/- प्रतिवर्ष
20. वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ	₹ 150/- प्रतिवर्ष
21. केन्द्रीय पुस्तकालय शुल्क	₹ 150/- प्रतिवर्ष
22. परिसर स्वच्छता शुल्क	₹ 150/- प्रतिवर्ष
23. नेतृत्व कौशल विकास शुल्क	₹ 150/- प्रतिवर्ष

5. विद्यावाचस्पति शुल्क

1,	पंजीकरण शुल्क (विश्वविद्यालय में)	₹ 10,000/- एक बार
2.	शिक्षण शुल्क (केवल छात्रों से) (महाविद्यालय में)	₹ 5 ,000/- प्रतिवर्ष
3.	परीक्षण शुल्क (थीसिस प्रस्तुत करते समय) (विश्वविद्यालय में)	₹ 25,000/- एक बार

- शोध विद्यार्थी को पंजीयन आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय विवरणिका उपलब्ध करवाई जाएगी।
- ** शोध छात्र द्वारा पंजीकृत होने की तिथि से शुल्क देय होगा। प्रवेश के समय निम्नांकित स्थानीय शुल्क भी जमा करना होगा।
- *** पंजीकृत होने की तिथि के पश्चात् 500/- प्रतिमाह अथवा अधिकतम 1000/- प्रतिवर्ष विलम्ब शुल्क देय होगा।

स्थानीय शुल्क

1.	प्रवेश शुल्क	₹ 500/- एक बार
2.	वाचनालय शुल्क	₹ 200/- प्रतिवर्ष
3.	छात्र सहायता निधि शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष
4.	परिचय-पत्र शुल्क (RFID/Smart Card)	₹ 110/- प्रतिवर्ष
5.	साईकिल स्टेण्ड शुल्क	₹ 110/- प्रतिवर्ष
6.	प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान संकाय)	₹ 500/- प्रतिमाह
	(गणित व सांख्यिकी को छोड़कर)	

7. छात्र-संघ शुल्क	(महाविद्यालय)	₹ 100/- प्रतिवर्ष
8. छात्र-संघ चुनाव	गशुल्क (महाविद्यालय)	₹ 50/- प्रतिवर्ष
9. छात्र-संघशुल्क	(विश्वविद्यालय)	₹ 100/- प्रतिवर्ष
10. छात्र-संघ चुनाव	म शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 50/- प्रतिवर्ष
11. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹75/- प्रतिवर्ष
12. पत्रिका शुल्क (वेश्वविद्यालय)	₹ 50/- प्रतिवर्ष
13. पुस्तकालय अव	धान द्रव्य (वापस देय)	₹ 250/- एक बार
14. प्रयोगशाला अव	धान द्रव्य (विज्ञान संकाय में)	₹ 400/- एक बार
15. पुस्तकालय मुक	त प्रणाली शुल्क	₹ 150/- प्रतिवर्ष
16. विकास शुल्क		₹ 600/- प्रतिवर्ष
17. विषय/संकाय प	ारिषद् शुल्क	₹75/- प्रतिवर्ष
18. केन्द्रीय पुस्तका	लय शुल्क	₹ 150/- प्रतिवर्ष
19. परिसर स्वच्छता	शुल्क	₹ 150/- प्रतिवर्ष
20. नेतृत्व कौशल वि	त्रेकास शुल्क	₹ 150/- प्रतिवर्ष

टिप्पणियाँ :

- विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी से, जो विद्यावाचस्पित की उपाधि हेतु पंजीकृत होते हैं, शिक्षण तथा प्रयोगशाला शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें केवल प्रवेश एवं पंजीकरण शुल्क देना होगा।
- 2. आई.सी.पी.आर., यू.जी.सी., आई.सी.एस.एस.आर. इत्यादि की शोध योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे शोध छात्रों को जो विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत हैं और यदि वे अधिष्ठाता की पूर्वानुमित से विभाग के शिक्षण कार्य में आवश्यक कालांश का शिक्षण कार्य करते हैं तो उन्हें शिक्षण शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।
- 3. अध्यापक शोधकर्ता (Teachers Research Fellow) जो संकाय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करते हैं, के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
- 4. छात्राओं के लिए भी शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
- 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के शोधकर्ता के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
- 6. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आश्रितों को जो कि विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत है, शिक्षण शुल्क से मुक्ति या पुनर्भरण देय नहीं है।
- अवधान द्रव्य जो देय है, की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर यदि छात्र द्वारा वापस नहीं ली गई तो अदेय होकर विश्वविद्यालय के लिए व्ययगत (Lapse) हो जाएगी।
- 8. विवरणिका में इंगित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस देय नहीं होगा।
- परिचय पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए ₹ 100/- शुल्क देना होगा। स्मार्ट कार्ड की दूसरी प्रति के लिए शुल्क ₹ 200/- देना होगा।
- 10. शोधार्थी प्रतिवर्ष सभी प्रकार के अपेक्षित शुल्क रजिस्ट्रेशन तिथि से एक माह के भीतर जमा कराएगा अन्यथा ₹ 500 . प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा अन्यथा अधिकतम प्रतिवर्ष ₹ 1000 विलम्ब शुल्क देय होगा।

- (1.) पीएच.डी कार्यक्रम में जिन छात्रों को प्रवेश मिलता है विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक महीने के अन्दर महाविद्यालय शुल्क जमा कराना होगा।
- (2.) महाविद्यालय शुल्क जमा कराने के लिए उपस्थिति पत्र शोध निर्देशक के हस्ताक्षर और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।
- (3.) यदि कोई शोधार्थी एक वर्ष से अधिक समय तक महाविद्यालय शुल्क नहीं जमा कराता है तो उसका पंजीयन निरस्त हो जाएगा।
- (4.) पंजीकरण के द्वितीय वर्ष के पश्चात् महाविद्यालय शुल्क उन्हीं शोधार्थियों से प्राप्त की जाएगी जिन्होंने सम्बंधित विभागाध्यक्ष से वार्षिक प्रतिवेदन जमा करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।
- <mark>11. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत</mark> करने पर स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 12. ऐसे विद्यार्थी जो अपनी पीएच. डी. सम्पूर्ण कर जमा कराने जा रहे है उनके लिए वार्षिक शिक्षण शुल्क, वे रजिस्ट्रेशन की दिनांक से एक माह की अवधि में यदि अपना शोध ग्रंथ (Thesis) जमा करवाते हैं तो शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
- 6. शुल्क वापसी (Refund of Fees)
- (क) विद्यार्थी द्वारा जमा कराए गए समस्त शुल्क में से ₹ 1000/- (एक हजार रुपये) प्रवेश प्रक्रिया का काटकर पुन: तभी लौटाया जा सकेगा जब उसने अन्य महाविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो तथा प्रवेश की अंतिम तिथि तक उसको आवंटित की गई सीट किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा भर ली गई हो।
- (ख) जिस विद्यार्थी को किसी प्रलेख के प्रस्तुत नहीं करने के कारण अस्थायी प्रवेश दिया गया है और वह निर्धारित अवधि में उस प्रलेख को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रवेश रद्द होने पर उसका अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- (ग) यदि किसी विद्यार्थी को पूरक परीक्षा अथवा अन्य किसी भी कारण से अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाता है परन्तु बाद में पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा अन्य कारण से अगली कक्षा में प्रवेश के अयोग्य घोषित होने के कारण उसका अगली कक्षा का प्रवेश निरस्त हो जाता है तो उसके द्वारा अगली कक्षा के लिए जमा कराया गया शुल्क 500 रूपये काट कर लौटा दिया जायेगा।
- (घ) शुल्कों की वापसी के लिए सभी कार्रवाई प्रत्येक सत्र में अक्टूबर माह के पश्चात् ही होगी परन्तु विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अंत तक इस राशि की मांग नहीं करने पर वह राशि व्ययगत (Lapse) हो जाएगी।
- 7. परीक्षा से सम्बन्धित अन्य शुल्क

1.	नामांकन	₹250/-
2.	योग्यता शुल्क	
	(i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	₹ 300/- एक बार
	(ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि.	₹ 600/- एक बार
	एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	
3.	माइग्रेशन प्रमाण पत्र	₹200/-
4.	वरीयता प्रमाण पत्र	₹100/-
5.	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	₹100/-
6.	बाह्य विद्यार्थियों के परीक्षा फार्मों का अग्रेषण	₹20/-
7.	चरित्र प्रमाण पत्र/नियमित छात्र प्रमाण पत्र	₹20/-
8.	प्रोविजनल प्रमाण पत्र	₹100/-

9.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क - स्नातक स्तर	₹350/- प्रति पेपर
10.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क - स्नातकोत्तर स्तर	₹400/- प्रति पेपर
11,	आवेदन पत्र शुल्क - ऑनलाइन	₹50 /-
12,	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	₹1200/- प्रति पेपर
13.	डुप्लिकेट अंकतालिका स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर प्रति कक्षा (परीक्षा 2009 से)	₹600/-
14.	डुप्लिकेट अंकतालिका स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर प्रति कक्षा (परीक्षा 2008 व इसके पूर्व की)	₹1200/-
15.	डुप्लिकेट प्रोविजनल प्रमाण पत्र	₹600/-
16.	डुप्लिकेट माइग्रेशन प्रमाण पत्र	₹400/-
17.	डुप्लिकेट डिग्री	₹1500/-
18.	सत्यापन प्रमाण पत्र (प्रति प्रमाण-पत्र)	₹500/-
19.	ट्रान्सक्रिप्ट (प्रति पार्ट व प्रति कॉपी)	₹600/-
20.	अतिरिक्त शुल्क (परीक्षा प्रक्रिया) वार्षिक एवं सेमेस्टर	₹250/- प्रतिवर्ष/सेमेस्टर

^{*}परीक्षा शुल्क समय-समय पर बढाई जाएगी व परीक्षा फार्म भरते समय उसका निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा शुल्क का निर्धारण (online)परीक्षा फार्म भरते समय किया जाएगा जिसकी सूचना तत्समय उपलब्ध कराई जाएगी।

9. परीक्षा आवेदन पत्र (Admission Card)

परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क तथा प्रलेखों के साथ प्राप्त होने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी जांच की जाएगी तथा उसके समुचित पाए जाने पर परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र खो जाने अथवा नष्ट होने के बारे में परीक्षा नियंत्रक/केन्द्राध्यक्ष के संतुष्ट होने पर ₹ 10 के भुगतान पर दूसरी प्रति दे दी जाएगी।

10. छात्रावास शुल्क (Hostel Fees)

छात्रावास सम्बन्धी शुल्कों के लिए छात्रावास विवरण का अवलोकन करें।

11. विधि महाविद्यालय शुल्क विवरण

(क) शिक्षण शुल्क (जुलाई-जून)

_	स्नातक

	आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹500 प्रतिमाह
	आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹400 प्रतिमाह
-	डिप्लोमा श्रम विधि	
	आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹500 प्रतिमाह
	आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹400 प्रतिमाह
-	निष्णात	₹700 प्रतिमाह

टिप्पणी : विदेशी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क आयकर देने वालों की श्रेणी के शुल्क का पाँच गुणा होगा।

(ख) स्थानीय शुल्क

1.	वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	₹65 प्रतिवर्ष
2.	छात्र सहायता निधि शुल्क	₹100 प्रतिवर्ष
3.	पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	₹100 प्रतिवर्ष
4.	विकास शुल्क	₹ 200 प्रतिवर्ष
5.	साईकिल स्टेण्ड नियमित विद्यार्थी	₹100 प्रतिवर्ष
6.	परिचय पत्र शुल्क	₹ 50 प्रतिवर्ष
7.	मनोरंजन शुल्क	₹100 प्रतिवर्ष
8.	छात्र न्यायालय (मूटकोर्ट) शुल्क	₹165 प्रतिवर्ष

9.	वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ शुल्क	₹100 प्रतिवर्ष
10.	पुस्तकालय निधि (वापस देय)	
	अ- स्नातक	₹ 385 (प्रवेश के समय)
	ब- निष्णात (एलएल.एम./डिप्लोमा इन लेबर लॉ)	₹715 एक बार
11.	क्रीड़ा शुल्क	₹200 प्रतिवर्ष
12.	स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क	₹150 प्रतिवर्ष
13.	छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	₹100 प्रतिवर्ष
14.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	₹60 प्रतिवर्ष
15.	छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹100 प्रतिवर्ष
16.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹50 प्रतिवर्ष
17.	पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹75 प्रतिवर्ष
18.	पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹50 प्रतिवर्ष
19.	प्रेक्टिकल डायरी, टाई एवं लीगल कैम्प	₹275 प्रतिवर्ष
20.	तकनीकी जर्नल एवं साफ्टवेयर फीस	₹165 प्रतिवर्ष
21.	विस्तार व्याख्यान माला शुल्क	₹ 550 प्रतिवर्ष
22.	परिसर स्वच्छता शुल्क	₹ 150 प्रतिवर्ष
23.	नेतृत्व कौशल विकास शुल्क	₹ 125 प्रतिवर्ष

(ग) अन्य शुल्क

प्रवेश शुल्क	₹ 300 (केवल नए विद्यार्थियों)
नामांकन शुल्क*	₹350 प्रतिवर्ष
योग्यता शुल्क**	
(i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	₹ 300/- एक बार
(ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि.	₹ 750/- एक बार
एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	

^{*} केवल उन्हीं से लिया जाएगा जो विश्वविद्यालय में पहले से नामांकित नहीं हुए हो।

नोट:

- 1. शुल्क विश्वविद्यालय के विवेकाधिकार पर समय-समय पर पुनरीक्षित अथवा उपान्तरित किए जा सकते हैं।
- 2. सभी शुल्क प्रवेश के समय लिए जाएँगे।
- अवधान द्रव्य (कॉशन मनी पुस्तकालय सिहत) की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर विद्यार्थी द्वारा वापस नहीं ली गई
 तो विश्वविद्यालय को व्ययगत हो जाएगी और वापस देय नहीं होगी।
- 4. परिचय-पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए ₹ 100 शुल्क लिया जाएगा।
- 5. जुर्माना सहित बकाया (एरियर्स) पुन: प्रवेश शुल्क ₹ 5 के भुगतान पर काटे गए नाम को पुन: लिखना अधिष्ठाता के विवेकाधिकार में होगा।
- 6. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 7. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निम्न श्रेणी के विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 - (a) स्नातक भारतीय छात्राएँ राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 13(25)शिक्षा-1/77, दिनांक 27.12.89, सु.वि.वि. पृ.क्र. 13/(37)/सामान्य/1994-1701, दिनांक 9.1.1990 तथापि पूर्ववत स्ववित्तपोषित व्यावसायिक एवं विस्तारित (Extended) पाठ्यक्रमों में अन्य शुल्कों के साथ-साथ शिक्षण शुल्क भी लिया जाता रहेगा।
 - (b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमिलेयर को छोड़कर) विद्यार्थियों से।
- 8. परीक्षा शुल्क के साथ प्रति परीक्षार्थी ई-सुविधा शुल्क ₹ 100/- लिया जाएगा।

^{**} राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क के अतिरिक्त।



6. सामान्य अनुशासन नियम (General Discipline Rules)

- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामान्य अनुशासन के नियम विश्वविद्यालय तथा इसके सभी संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएँ : सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है। अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार सिम्मिलित हैं -
- (क) उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामृहिक रूप से कक्षाएँ छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना।
- (ख) कक्षा-कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय और विश्वविद्यालय परिसर में अशांति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपदुव करना।
- (ग) विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के नियमानुसार आदेशों, नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना।
- (घ) सभी प्रकार की जाँच परीक्षाओं, परीक्षा-कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सह-पाठ्यक्रम सम्बन्धित कृत्यों, विद्यार्थी संघों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के चुनावों इत्यादि में दुराचरण, दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।
- (ङ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्थान के शैक्षणिक, शैक्षणेतर कर्मचारियों अथवा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान के वैधानिक घटकों के किसी सदस्य अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।
- (च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामियक पित्रकाएँ भी सिम्मिलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षिति पहुँचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरुपयोग करना।
- (छ) भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना।
- (ज) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक पदार्थ/सामग्री का उपयोग करना।
- (झ) मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करने से इंकार करना।
- (ञ) अध्ययन काल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के आपराधिक/ दण्डनीय कृत्यों में लिप्त होना। उपर्युक्त मद 2 (ख) में उल्लेखित विश्वविद्यालय स्थानों में अपने पास अस्त्र-शस्त्र रखना।
- (थ) किसी अवसर पर छद्म व्यक्तिता (Impersonation)
- (द) उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।
- नोट: परीक्षाओं तथा छात्रावासों से संबंधित अनुशासनहीनता के संबंध में अनुशासन सम्बन्धी सामान्य नियमों के साथ छात्रावासों/ परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा अव्यवस्थित व्यवहार के मामले के लिए निर्धारित नियम लागु होंगे।
- 3. अनुशासन पर्यवेक्षण (Supervision of Discipline)
 - अनुशासन विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षित किया जाएगा और इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निम्नलिखित द्वारा सहभाजित किया जाएगा -
 - (अ) अधिष्ठाता
- (आ) परीक्षा केन्द्राधीक्षक
- (इ) चीफ प्रोक्टर
- (ई) केन्द्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष
- (उ) महाविद्यालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता/सहायक कुल सचिव/प्रॉक्टर
- (ऊ) विभागों के अध्यक्ष

- (ए) छात्रावास वार्डन तथा प्रमुख वार्डन
- (ऐ) शारीरिक शिक्षा निदेशक, खेल प्रशिक्षक एवं शैक्षणिक यात्रा प्रशिक्षण प्रभारी।
- 4. प्रॉक्टोरियल बोर्ड (Proctorial Board)
- (क) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपित द्वारा एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय एवं इसके शिक्षार्थियों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय पिरसर अथवा उसके बाहर होने वाले अनुशासन सम्बन्धित सभी प्रकरण/मामले इस प्रॉक्टोरियल बोर्ड के क्षेत्राधिकार में निहित होंगे। इसमें विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास आदि सिम्मिलत हैं।
- (ख) प्रॉक्टोरियल बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित होगा -
 - 1. मुख्य प्रॉक्टर (अध्यक्ष)
 - 2. सभी संघटक महाविद्यालय के प्रॉक्टर
 - 3. सम्बन्धित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत सदस्य

- (ग) प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे -
 - 1. विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अनुशासन प्रकरणों में कुलपति को परामर्श और सहायता देना।
 - 2. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखना।
 - 3. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखन<mark>े के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क रखना।</mark>
 - 4. विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर कार्रवाई करना।
 - 5. ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर रोक लगे।
 - 6. अनुशासन<mark>हीनता के प्रकरणों में आपराधिक एवं अन्य पुलिस मामलों के अभियोजन के</mark> लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों की सहायता करना।
- 5. अधिकारों के प्रयोग हेतु क्रियाविधि (Procedure for Exercise of Powers)
- (क) कुलपित एवं संस्थाध्यक्षों के अतिरिक्त समस्त प्राधिकारी अनुशासनहीनता के मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात् अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कुलपित एवं संस्थाध्यक्ष किसी भी मामले में अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग मामले पर संक्षिप्त विचार के बाद या आवश्यक समझें तो अनुशासन समिति की सहायता से कर सकते हैं।
- (ख) अनुशासन समिति का गठन :

(द)

चीफ प्रॉक्टर

(i) विश्वविद्यालय स्तर (University Level) : कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय स्तरीय अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा -

(अ)	अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय सदस्य(कोई एक)	(अध्यक्ष)
(অ)	छात्र कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स)	विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कोई दो	(सदस्य)

(ii) संस्था/महाविद्यालय स्तर (Institution/College Level) : अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा -

(सदस्य सचिव)

(अ) अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/विष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक)
 (ब) सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता
 (स) महाविद्यालय के दो संकाय सदस्य
 (स) प्रॉक्टर
 (सदस्य सचिव)

- 6. अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया (Procedure to be followed by Discipline Committee)
- (1) सिमिति अनुशासनहीनता के ऐसे प्रकरण की जाँच करेगी जो कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।
- (2) जब कोई विद्यार्थी गंभीर आपराधिक कार्य, गंभीर दुराचरण, कार्य की अनवरत लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार का आरोपी/दोषी हो अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान के कार्यविधि एवं कर्तव्य पालन के समय में दुर्व्यवहार आदि के कारण किसी विद्यार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो तो उसे कुलपित/महाविद्यालय के अधिष्ठाता/विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के अध्यक्ष, जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत हो, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर देंगे। निलम्बन काल में विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधियों में (परीक्षा में बैठने सिहत) भाग लेने तथा अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के अयोग्य होगा। जब विद्यार्थी छात्रावास से भी निलम्बित हो तथा जांच काल में हो तो वार्डन अथवा प्रमुख वार्डन ऐसे विद्यार्थी को छात्रावास से भी निलम्बित कर सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा किसी न्यायालय में विद्यार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा।
- (3) कोई विद्यार्थी जो इस प्रकार निलम्बित किया गया हो अथवा जिसे निकाल दिया गया हो विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय/अन्य शिक्षण इकाई में, बिना उस अधिकारी की अनुमित के जिसने उसे निलम्बित किया/निकाला था, प्रवेश के लिए अयोग्य होगा।
- (4) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी को सूचना दी जाएगी तथा उसे अपने पक्ष को समिति के सामने प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (5) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी की सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के पते पर तथा उसके घर के पते अथवा प्रवेश आवेदन-पत्र में दिए पते पर भेजी जाएगी।
- (6) यदि सम्बन्धित विद्यार्थी जाँच कार्य में अनुपस्थित रहता है अथवा असहयोग करता है अथवा अवरोध प्रस्तुत करता है तो समुचित सूचना देने के बाद जाँच एक पक्षीय पूरी की जा सकती है।

- (7) जाँ<mark>च के किसी भी चरण में किसी भी प</mark>क्षकार की तरफ से किसी अधिवक्ता को उपस्थित करने की अनुमित नहीं होगी।
- (8) अनुशासन समिति अपनी बैठक करके उचित विचार-विमर्श के बाद समुचित दण्ड, जिसमें जुर्माना, निश्चित अवधि के लिए निष्कासन अथवा इन दोनों की अनुशंसा करेगी। दण्ड की क्रियान्विति निलम्बित करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- (9) अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर कुलपित/संस्थाध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा और उचित विचार के बाद वह इस पर जैसा उचित समझे वैसा आदेश प्रदान करेंगे। उस आदेश की एक प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी तथा उसकी अन्य प्रति महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी।
- 7. अपील का अधिकार (Right to Appeal)
- (1) विद्यार्थी को संकाय सदस्य द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध पाँच दिनों के अन्दर-अन्दर संस्थाध्यक्ष से अपील करने का अधिकार होगा।
- (2) विद्यार्थी को संस्थाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कुलपित से एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामलों में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान से अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी अपील आदेश निर्गमन की तिथि के 15 दिन के अन्दर-अन्दर अवश्य कर देनी चाहिए।

टिप्पणियाँ :

- (अ) किसी भी विद्यार्थी को जिसे निलम्बित या निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला गया है, किसी अन्य महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षण इकाई में बिना उस अधिकारी की, जिसने उसे निलम्बित निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला था, पूर्वानुमित के प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा और नहीं कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे अस्थायी रूप से निकाला गया है, इस निष्कासन अविध में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेगा। दण्ड देने वाला अधिकारी ऐसे दण्ड आदेशों को अन्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सुचित तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु संप्रेषित करेगा।
- (आ) निष्कासन एवं रेस्टीकेशन के सभी मामले प्रबन्ध बोर्ड को प्रतिवेदित किए जाएँगे।
- (इ) ऐसा कोई भी मामला जो अनुशासन से संबंधित हो और उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हो,उसे जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, संस्थाध्यक्ष निपटाएगा। ऐसे मामलों पर लिए गए निर्णय कुलपति द्वारा पुनर्विचार योग्य होंगे।
- (ई) संस्थाध्यक्ष दिए जाने वाले दण्ड का आलेख करेंगे और निष्कासन और रेस्टीकेशन या अन्य किसी कठोर दण्ड की दशा में विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र में इसका समुचित उल्लेख करेंगे।
- (3) अनुशासनहीनता के लिए लगाया गया दण्ड बकाया शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा। चूक होने पर उपस्थिति पंजिका से विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा।
- 8. अपील का निस्तारण (Disposal of Appeal)
- (1) संस्थाध्यक्ष स्वयं या उपर्युक्त संख्या 6 के अन्तर्गत गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।
- (2) कुलपति स्वयं या उनके द्वारा गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।
- (3) अपील पर विचार किया जाकर उसका समुचित समयाविध में निस्तारण किया जाएगा। कुलपित या सिमित द्वारा जैसी भी दशा हो, अपीलकर्ता छात्र को चाहने पर उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जा सकेगा और कुलपित अपील पर विचार करने और यदि जाँच सिमित गठित की गई हो तो इस सिमित के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद मामले का पुन: निरीक्षण कर सकेंगे तथा उचित विचार के बाद दण्ड पर सहमित अथवा इसमें वृद्धि अथवा कमी कर सकेंगे अथवा विद्यार्थी को निर्दोष घोषित कर सकेंगे अथवा जैसा उचित समझे आदेश जारी करेंगे जो अन्तिम होगा।





7. रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान (Anti-Ragging Rules and Provisions for Punishment)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास, प्रयोगशाला अथवा परिसरों में ''रैगिंग'' लेना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

रैगिंग का अर्थ :

किसी विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के समूह द्वारा पीड़न, उत्पीड़न या भयाक्रांत करना, मानसिक एवं शारीरिक वेदना पहुँचाना, निर्दयता का व्यवहार करना, मानवाधिकार के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार को क्षिति पहुँचाना अथवा उनका हनन या उल्लंघन करना, कामुक-अश्लील हरकतें करने को बाध्य करना अथवा न करने पर शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ऐसा कायिक एवं वाचिक व्यवहार करना जिसके कारण कोई असुरक्षित, असहाय, शोषित एवं पीड़ित अनुभव करे, संस्थान की सम्पत्ति एवं सुविधाओं को क्षित पहुँचाना, अभद्र भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी की महत्वाकांक्षा, लक्ष्य अथवा प्रशिक्षण में बाधा पहुँचाना अथवा ऐसा अवरोध पैदा करना कि इनकी पूर्ति में कठिनाइयाँ बढ़ जाए, संस्थान द्वारा स्वीकृत अनुशासन के मापदण्डों के विरुद्ध व्यवहार करना रैगिंग के अन्तर्गत माना गया है। नोट: परिचय पार्टी में किए जाने वाले मनोविनोद अथवा हंसी मजाक ''रैगिंग'' में सम्मिलत नहीं है।

रैगिंग निरोधी प्रबन्धन

- (1) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग निरोधी दस्तों का गठन किया गया है एवं उनके द्वारा परिसरों का निरीक्षण किया जाता है।
- (2) रैगिंग विरोधी अधिकारियों के नाम, पद, दूरभाष नं. आदि का प्रकाशन सूचना पुस्तिका में प्रदत्त है। रैगिंग की स्थिति में पीड़ित छात्र/छात्रों द्वारा शीघ्र सम्पर्क किया जाना चहिए।
- (3) नव प्रविष्ट विद्यार्थी को मित्र-समूह के साथ रहने की सलाह दी जाती है। वे अनावश्यक धनराशि साथ न लाएँ।
- (4) रैगिंग विरोधी पोस्टर, संदेश अथवा सूचना पत्रों को ध्यान से पढ़ें एवं उनमें दिए गए सुझावों पर अमल करें।
- (5) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी अथवा किसी परिचित विरष्ठ साथी को नव-प्रविष्ट विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों का विवरण प्रतिदिन बताना चाहिए।

दण्ड के प्रावधान

रैगिंग की सूचना प्राप्त होने एवं प्रक्रिया द्वारा उसके सिद्ध/प्रमाणित होने पर निम्न दण्ड (रैगिंग की गंभीरता के अनुसार) दिए जा सकते हैं :-

- (1) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से देय सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों अथवा सुविधाओं पर प्रतिबंध। इसे दोषी छात्र के अभिभावकों को सुचित करना।
- (2) विश्वविद्यालय में दिए गए प्रवेश को निरस्त करना।
- (3) रैगिंग निरोधी समिति द्वारा विशेष अवधि तक कक्षा में प्रवेश को निषिद्ध करना।
- (4) छात्रावास में दिए गए प्रवेश को निरस्त करना।
- (5) रैगिंग की गंभीरता के अनुसार अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दिए जाने वाले प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।
- (6) ''आपराधिक रैगिंग''में पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाना।

- (7) रैगिंग के दोषी विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण पत्र एवं डिग्री में इस तथ्य का उल्लेख करना कि 'अमुक डिग्रीधारी रैगिंग लेने का दोषी है।'
- (8) रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी के नाम एवं पते के साथ दी गई सजा को समाचार पत्र में प्रकाशित करना ।
- (9) जिला एवं पुलिस प्रशासन को रैगिंग के दोषी विद्यार्थी की सूची देना एवं पुनरावृत्ति न करने को पाबन्द करवाना।
- (10) रैगिंग में व्यक्ति विशेष के दोषी न होने पर रैगिंग लेने वाले पूरे समूह को उपर्युक्त किसी भी दण्ड का पात्र माना जाकर सभी को दण्डित किया जा सकता है।
- (11) यदि किसी अखबार/समाचार पत्रिका में रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित होता है तो इसे भी ''रैगिंग योग्य केस'' मानकर उल्लेखित विद्यार्थी को दण्डित किया जा सकता है। पीड़ित विद्यार्थी द्वारा ''रैगिंग निरोधी दस्ते''को लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है।
- (12) रैगिंग की अधिकतम सजा छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों सजाएँ साथ-साथ दी जा सकती हैं।
- (13) रैगिंग लेना अथवा रैगिंग लेने को उकसाना समान रूप से दण्डनीय है।
- (14) प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों में सक्षम अधिकारियों द्वारा रैगिंग योग्य संवेदनशील स्थानों की ऑडियो- विडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसमें ''रैगिंग समकक्ष व्यवहार'' प्रमाणित होने पर संबंधित छात्र के प्रति प्रकरण बनाकर उसे प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जा सकेगा।
 - रैगिंग सम्बन्धी मामलों की सुनवाई एवं निर्णय माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

सुझाव/मार्गदर्शन

- (1) विरष्ठ विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किनष्ठ साथियों को संरक्षण, सुरक्षा एवं सुविधा देकर उनका प्रेम/आदर प्राप्त करें, न कि उन्हें पीड़ित एवं प्रताड़ित करके।
- (2) इस तरह के हानिकारक, प्रतिष्ठा गिराने वाले, असामाजिक एवं अवांछनीय कृत्य से स्वयं को एवं साथियों को बचाएँ। भविष्य को उज्ज्वल, सुखद एवं गौरवशाली बनाएँ।





8. परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन (Discipline During Examination)

1. अनुशासनहीनता (Indiscipline)

परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन का अर्थ है परीक्षा के दौरान अच्छा आचरण। परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे –

- (क) दुराचरण तथा दुर्व्यवहार, जैसे -
- (I) बहिष्कार तथा बहिर्गमन।
- (ii) दूसरों को बहिष्कार तथा बहिर्गमन के लिए उकसाना।
- (iii) <mark>उत्तर-पुस्तिका अथवा प्र</mark>श्न-पत्र फाड़ना, अन्य परीक्षार्थियों से उत्तर-पुस्तिकाएँ अथवा प्रश्न-पत्र छीनना तथा हटाना।
- (iv) परिवीक्षक-वर्ग को अथवा सह-परीक्षार्थियों को गाली देना, छेड़ना तथा डराना और रोकना।
- (v) परीक्षार्थियों के निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करना/पालन नहीं करना, प्रवेश पत्र/परिचय पत्र देने से इन्कार करना शिक्त का प्रदर्शन अथवा प्रयोग करना, हथियार व चोट करने वाले पदार्थ साथ में रखना ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे विश्वविद्यालय परीक्षा-कार्य के नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न हो। उपर्युक्त किसी एक अथवा अधिक कार्यों को बढावा देना या स्वयं करना।

(ख) अनुचित साधनों का प्रयोग जैसे -

- (I) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अथवा उनके कार्यालय के किसी व्यक्ति अथवा परीक्षा अधीक्षक अथवा परीक्षा संचालन से सम्बद्ध किसी व्यक्ति अथवा प्रश्न-पत्र बनाने वाले परीक्षक तथा अन्य परीक्षक के नाम पूछने के लिए अथवा प्रश्न-पत्र में आने वाले प्रश्न जानने के लिए, अंक देने के लिए, परीक्षक पर प्रभाव डालने के लिए और इस प्रकार परीक्षा कार्य में परीक्षक को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए सम्पर्क करना और ऐसा प्रयत्न करना।
- (ii) प्रश्न-पत्र हल करने में किसी परीक्षार्थी/परीक्षा भवन के अथवा बाहर के किसी व्यक्ति से सहायता लेना तथा हल करने में किसी को सहायता देना।
- (iii)(अ) परीक्षा के समय प्रश्न-पत्र से सम्बद्ध कोई कागज, पुस्तक अथवा टिप्पणी आदि अपने पास में रखना।
- (आ) दवात के डिब्बे पर, पैमाने पर, प्रवेश पत्र पर अथवा ड्राइंग बॉक्स पर अथवा टेबिल जिस पर छात्र बैठा है इत्यादि पर प्रश्न पत्र से सम्बन्धित कुछ लिखित सामग्री प्राप्त होना।
- (इ) शरीर के अंग, कपड़ों पर, उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कुछ भी प्रश्न-पत्र पर लिखा हुआ होना।
- (iv) परीक्षा काल में परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी अन्य अनुचित साधन जैसे इशारे करना, हाव-भाव करना, बात करना, फुसफुसाना आदि का प्रयोग अथवा प्रयोग का प्रयत्न करना।
- (v) उत्तर-पुस्तिका की परीक्षा भवन से तस्करी अथवा किसी भी विद्यार्थी के स्थान पर अन्य के द्वारा परीक्षा दिया जाना या सहायता करना।
- (vi) परीक्षा में अन्य किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करना।
- 2. अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure for dealing with indiscipline)
 - परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त अनुचित साधनों के मामलों, अनुचित साधनों के प्रयोग की शंका के मामलों में व्यवहार-प्रक्रियाएँ निम्नलिखित होंगी -
- (I) उपर्युक्त अनुशासनहीनता की परिभाषा के अनुसार जब किसी परीक्षार्थी पर अनुचित साधन प्रयोग की शंका की जाती है तथा उसे इसमें लिप्त पाया जाता है तो वीक्षक/उड़नदस्ता अथवा केन्द्र अधीक्षक या तो स्वयं उसकी तलाश ले सकेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति से तलाशी का कार्य करा सकेगा। यदि तलाशी के परिणामस्वरूप परीक्षार्थी के पास से लिखित सामग्री मिलती है तो परीक्षार्थी के साथ इन नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

- (ii) ज्यों ही किसी परीक्षार्थी पर शंका होती है, वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है या उसके अनुचित साधनों के प्रयोग पर आमादा होने का प्रतिवेदन मिलता है, तो उसकी उत्तर-पुस्तिका और उससे प्राप्त अनुचित सामग्री ले ली जाएगी और प्रश्न-पत्र के शेष प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उसे नई उत्तर-पुस्तिका दी जाएगी, परन्तु उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत 'अनुचित' आचरण अथवा दुर्व्यवहार के लिए परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा दण्डित किए जाने की दशा में नई उत्तर-पुस्तिका नहीं दी जाएगी। दोनों उत्तर-पुस्तिकाएँ (जिन पर i a ii अंकित होगा) और परीक्षार्थी से प्राप्त सामग्री जहाँ तक सम्भव हो सके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाकर और परीक्षा कक्ष-वीक्षक या उड़नदस्ता व केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को व्यक्तिगत नाम से भेजी जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करने की दशा में इस तथ्य का प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाएगा।
- (iii) वीक्षक/उड़नदस्ता अपना लिखित प्रतिवेदन देंगे। वीक्षक/उड़नदस्ता के प्रतिवेदन की जानकारी तत्काल परीक्षार्थी को दी जाएगी और उसी स्थान पर उसे अपना लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा।
- (iv) यदि परीक्षार्थी तत्काल अपना मंतव्य लिखने से इंकार करता है या केन्द्र से भाग जाता है तो उसका मामला वीक्षक/उड़नदस्ता और केन्द्र अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निपटाया जाएगा।
- (v) केन्द्र-अधीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उस प्रश्न-पत्र के परीक्षक का
 प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा।
- (vi) (अ) परीक्षक का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् इसकी सम्बन्धित सामग्री के साथ एक समुपयुक्त सिमति द्वारा जाँच की जाएगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण से अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो वे निर्धारित प्रतिमानों के अन्तर्गत इसके लिए अस्थायी दण्ड निर्धारित करेंगे।
- (आ) सम्बन्धित परीक्षार्थी को पंजीयन डाक द्वारा उनके परीक्षा आवेदन-पत्र पर दिए गए पते पर सूचना भेजी जाएगी, जिसमें सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन की अवधि में यह कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसे अनुचित साधन प्रयोग करने का दोषी क्यों नहीं माना जाए तथा उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों नहीं दिया जाए।
- (इ) अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा परीक्षार्थी के उत्तर पर गौर किया जाएगा। यदि वह निर्धारित अविध में प्राप्त हो जाता है तथा तत्पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिए जाने वाले अन्तिम दण्ड का कुलपित की स्वीकृति पश्चात् आदेश प्रसारित किया जाएगा।
- (ई) अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा सम्पूर्ण मामले की जाँच पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिए गए अन्तिम दण्ड के आदेश को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) जहाँ कारण बताओ सूचना का परीक्षार्थी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans examination Committee) द्वारा परीक्षार्थी को दिए जाने वाले दण्ड का प्रस्ताव किया जाएगा।
- (vii) किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को अपनी तरफ से विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली जाँच में किसी वकील को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

3. दण्ड के प्रतिमान

- 1. Norms of Punishment
- 1.1 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any material relevant to the syllabus of the Examination paper concerned but has not copied from or used it:
- (a) If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory

Present Examination shall be cancelled, provided that if the material found in possession of the candidate is or insignificant nature, the punishment may be relaxed to the extent of cancellation of the examination of the particular paper (theory or practical) as the case may be and he/she will be treated as having obtained "Zero" mark in that paper with all the consequences to follow. However, if the candidate so desires, he/she will be given the option of appearing in the subsequent whole examination by canceling the present examination as a whole. If the material found in possession of the candidate is of significant nature then present examination of all papers shall be cancelled.

(b) If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory

Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

1.2 Where a candidate is found to have copied from or used the material caught:

(a) If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory

Present examination shall be cancelled and he shall be further debarred for one subsequent examination. If the examination is held once a year or two subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester exam.), provided that if the material found in possession of the candidate and/or the extent of copying done by the candidate is of insignificant nature the punishment may be relaxed to the extent of canceling the present examination only by Unfairmeans Committee.

(b) If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory

Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred from appearing at two subsequent examination, if the examination is held once a year or debarred from four subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

1.3 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any restricted electronic equipment, mobile, pager, computer diary etc.

(a) If the candidate has not made any use of such electronic equipment behaviour of candidate on being caught is satisfactory.

Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and candidate shall be exonerated by issuing warning for the future.

(b) If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory.

Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and only present theory examination shall be cancelled if the examination is held once a year or two subsequent theory examination if the examination is held twice a year. (i.e. Semester Exam.).

(c) If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory.

Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and present examination shallbe cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year.

1.4 If the candidate is involved in sacrilegious offence of University Examination system or involved in any other serious matter related with sacredness of the examination process.

Candidate shall be disqualified from appearing or passing in any University Examination for one to three years including the present year of examination depending upon the nature and gravity of the offence.

Note:

(1) If the candidate uses resistance or violence against the invigilator or any person on examination duty or consistently refuses to obey the instructions of the superintendent, the above punishment may be enhanced according to the gravity of the offence.

- (2) The present examination is cancelled in 1.1 (a & b), 1.2 (a & b), 1.3 (b & c) and 1.4 refers to cancellation of only theory papers. However, if a candidate has offered dissertation/viva/voce/field work in lieu of any paper and the sessional work (marks)/internal assessment worki (marks) / practical work (marks) will not be cancelled in case the whole examination is cancelled. However, if unfairmeans case is reported during practical examination 1.1 (a) would refer to that particular practical examination only. In case of 1.2 a and b and c & 1.4 theory as well as practical examinations both shall be cancelled.
- (3) After completion of punishment period, if the candidate is reappearing in the subsequent examination, he/she shall have to appear according to the existing scheme as well as syllabus of the class/course. In case scheme of subject/course paper etc. changed, the candidate exempted to appear in sessional examination and obtained theory paper marks will be proportionate out of the maximum marks of that paper (theory + sessional).
- 1.5 Where a candidate is appearing simultaneously in two examinations, the examination in which he/she has been found using unfairmeans will be cancelled, and he/she shall not be allowed to appear in any examination of the University during the period for which he/she is debarred.
- 1.6 The cases of employee candidates, indulging in unfairmeans and resorting to violence and misbehaviour, will be reported to the officers of the department concerned besides the punishment provided under the rules. All such cases of misconduct will be reported to the University forth with for action by the Centre Superintendent on the prescribed form for departmental action.
- 1.7 Notwithstanding the provisions regarding punishment provided in clause (3) above, the Superintendent of the Centre is empowered to expel a candidate from the examination hall in case of misconduct or misbehaviour as defined above.
- 1.8 Cases not covered under any of the above categories will be decided by the appropriate committee on their merit.
- 2. Norms related with tempering in University document etc.
- 2(अ) परीक्षा तथा महाविद्यालयों में प्रवेश से सम्बन्धित अनुशासन में निम्नलिखित कार्यों को भी अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा -
- 1. आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत करके या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना अथवा परीक्षा में प्रवेश पाना।
- अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी समकक्ष संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा परिवर्तन करना।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र/अंकतालिका इत्यादि की फोटो प्रति/प्रतिलिपि/ फोटोस्टेट प्रति में की गई
 प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा परिवर्तन करना।

2 (ब) कार्रवाई की प्रक्रिया:

- 1. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त वर्णित अनुचित साधनों के मामलों में व्यवहार प्रक्रियाएँ विश्वविद्यालय विवरणिका में प्रकाशित ''अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की प्रक्रिया''के अनुसार होगी।
- 2. महाविद्यालय स्तर पर पाए जाने वाले मामलों की अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक द्वारा एक समुपयुक्त समिति द्वारा जाँच करवाई जाएगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण में उपर्युक्त अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के साथ मामलों को परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।
- 2 (स) दण्ड के मानक / प्रतिमान : अनुचित साधन परीक्षण समिति द्वारा दण्ड प्रधान करने के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किए जाते हैं -
- 1. यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाए तो उसका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय की उस वर्ष की किसी भी परीक्षा और आगामी दो वर्षों तक के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए।
- 2. यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाए तो उसकी उस वर्ष की परीक्षा निरस्त कर उस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसे आगामी दो वर्षों तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए।

- 3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उपर्युक्त (अ) 1,2 अथवा 3 की कार्रवाई किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है या लाभ प्राप्त कर लिया हो या लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया हो तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाए। साथ ही यदि छात्र/छात्रा द्वारा उसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हों तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाए।
- 4. कोई भी अभ्यर्थी अपनी अंक तालिका में नाम आदि के भाग को किसी अन्य छात्र/छात्रा की अंक तालिका में प्राप्तांक वाले भाग में चिपकाने पर अथवा इस प्रकार की प्रमाण पत्र/अंक तालिका की फोटो प्रति/फोटो स्टेट/प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही यदि उस छात्र ने इसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हैं तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी दो वर्षों के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाएगा।
- 5. अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पाने की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है तब उसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसे परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को दिखाने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु इसी दौरान यह पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ झूठे प्रलेख अथवा अंक तालिका इत्यादि प्रस्तुत कर गलत तरीके से परीक्षा में बैठने का प्रयास किया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिकाएँ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग अथवा महाविद्यालय अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो रहा है अथवा बहानेबाजी कर रहा है, तो उसे बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी तथा इसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रकरण अनुचित साधन परीक्षण सिमित में रखकर वांछित निर्णय किया जाएगा।
- 6. विश्विवद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण घोषित छात्रों में से किसी के सम्बन्ध में यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कभी भी यह जानकारी प्राप्त हो कि छात्र ने उक्त परीक्षा में प्रवेश असत्य विवरण देकर, तथ्य छिपाकर या प्रविष्टियों में परिवर्तन कर प्राप्त किया था या वह किसी आधार पर उक्त परीक्षा के योग्य नहीं था तो उसकी परीक्षा अथवा परीक्षाएँ निरस्त करने और/या उस मामले के गुण दोषों के आधार पर अन्य दण्ड देने पर भी विचार किया जा सकेगा।
- उपर्युक्त से सम्बन्धित गम्भीर प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से समिति द्वारा वंचित किया जा सकेगा।
- 8. उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी में भी आने वाले मामलों को अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा उनके गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लेकर निपटाया जाएगा या सम्बन्धित प्राधिकारियों को सौंपा जाएगा तथा गम्भीर मामलों में पुलिस कार्रवाई हेतु भी सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जा सकेगा। साथ ही यदि प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस कार्रवाई की जानी है तो वह विश्वविद्यालय कुलसचिव/महाविद्यालय अधिष्ठाता स्तर से की जा सकेगी।

Additional Provision for Dealing with the cases of Using Unfairmeans during the Examination

In addition to the provisions laid down on previous pages deal with cases of unfairmeans during the examination by the University, such candidates will also be dealt with additionally in pursuance of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 which is reproduced below.

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 1992

(Received the assent of The Governor on the 8th day of November, 1992)

An

Act

to prevent the leakage of question papers and use of unfairmeans of Public Examinations and to provide for matter connected there with the incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows:

1. Short title, extent and commencement:

- (1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force at once.

2. **Definitions** - In the Act -

- (a) "examination centre" means any place fixed for holding public examination and includes the entire premises attached thereto.
- (b) "public examination" means any examination specified in the schedule.
- (c) "unfairmeans" in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, recorded or printed, in any form whatsoever or the use of any unauthorised telephone, wireless or electronic or other instrument or gadget; and
- (d) the words and expression used herein and not defined in the Indian Penal Code (45 of 1960) have the meaning, respectively assigned to then in that code.
- **3. Prohibition to use of Unfairmeans :** No person shall use unfairmeans at any public examination.
- **4. Unauthorised possession or disclosure of question paper:** No person who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do shall before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination.
 - (a) procedure or attempt to procure of possess, such question paper or any portion or copy thereof; or
 - (b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have a beating upon such question paper.
- 5. Prevention of Leakage by person entrusted with examination work: No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.
- **Penalty:** Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or section 4 or section 5, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years of with fine which may extend to two thousand rupees or with both.
- 7. **Penalty for offence with preparation to cause hurt:** Whoever commits an offence punishable under section 6 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.
- 8. **Power to amend Schedule:** The Statement Government may be notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respect of which it considers necessary to apply the provision of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have amended accordingly.

The Schedule

(Section 2)

- 1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education of Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, (Act No.42 of 1957).
- 2. Any examination conducted by any University established by law in India.
- 3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commissions or Union Public Service Commission.

J.P. Bansal

Secretary to the Government



9. छात्रवृत्तियाँ एवं वित्तीय सहायता (Scholarships and Financial Assistance)

1. सामान्य नियम (General Rules)

वित्तीय सहायता योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती है। किसी भी छात्रवृत्ति अथवा ऋण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता के नियमित उपस्थिति/संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति एवं अच्छे आचरण के अभाव की दशा में निलम्बित अथवा स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। ऐसी निलम्बित छात्रवृत्तियाँ अथवा ऋण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर पूर्व प्रभाव से पुनः दिया जा सकता है।

सामान्यतया सभी छात्रवृत्तियाँ एवं ऋण सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि तक, जिसके लिए स्वीकृत की गई, नियमित रूप से उपलब्ध रहेगी, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा नियमित उपस्थिति, संतोषजनक प्रगति, अच्छे आचरण तथा महाविद्यालय के अनुशासन का उचित पालन किया गया हो।

2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति (Need-cum-Merit Scholarship)

- (i) सभी विद्यार्थी जिसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है तथा जिन्होंने 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों, आवेदन के योग्य होंगे। वांछनीय योग्यता वाले विद्यार्थियों में से अपेक्षाकृत कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने में वरीयता प्रदान की जाएगी।
- (ii) छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन के अन्य नियम वही होंगे जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए लागू हैं।

3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Scholarship)

भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हों। इसके सम्बन्ध में पूर्ण विवरण महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (UGC Junior Research Fellowship)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किनष्ठ शोध छात्रवृत्ति (जे.आर.एफ.) सीमित संख्या में, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है जो स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पित (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षा (NET) में सफलता प्राप्त की हो। इसके अन्तर्गत किनष्ठ शोधकर्ता को र 25,000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति तथा नियमानुसार वार्षिक आकस्मिक अनुदान के लिए र 12000 विज्ञान संकाय में तथा र 10000 अन्य संकायों में प्राप्त होते हैं।

- 5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राजीव गाँधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं उनको बिन्दु संख्या 4 में दर्शाई गई छात्रवृति राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।
- 6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं उनको बिन्दु संख्या 4 में दर्शाई गई छात्रवृति राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।
- सी.एस.आई.आर. एवं आई.सी.एस.एस.आर. द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को शोधवृत्ति विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है।

8. विभागीय कनिष्ठ शोधवृत्ति (Departmental Fellowship)

प्रत्येक विभाग में एक शोधवृत्ति। न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55% अंक (अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 50% अंक)। प्राप्तकर्ताओं में से छात्रवृत्ति राशि ₹ 600 प्रतिमाह। एक समय एक वर्ष अधिकतम दो वर्ष। दूसरे वर्ष के लिए ₹ 700 प्रतिमाह।

- 9. छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता के सामान्य नियम (General Rules Regarding Scholarship and Financial Assistance)
- (I) छात्रवृत्ति विद्यार्थी के संस्था में प्रवेश के महीने से अगले वर्ष जून तक प्रदान की जाएगी, यदि उसने सम्बन्धित महीने की 15 तारीख तक प्रवेश प्राप्त किया हो अन्यथा छात्रवृत्ति अगले महीने से प्राप्त की जाएगी।
- (ii) विद्यार्थी द्वारा सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने पर छात्रवृत्ति इसी माह में रद्द कर दी जाएगी, जिसमें वह संस्था छोड़ता है।
- 10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृतियाँ
- (i) अनुसूचित जाति/जजा तथा विमुक्त एवं घुमन्तू जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति ।
- (ii) विकलांग छात्रवृत्ति (विकलांग/बधिर/मुक/नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए)
- (iii) देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति नियम 2010
- 11. राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की क्रीड़ा छात्रवृत्ति
- 12. राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्रवृत्ति (NCC Scholarship)
- 13. अन्य छात्रवृत्तियाँ (Other Scholarships)
- (I) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति
- (ii) स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
- (iii) मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति
- (iv) अध्यापकों के बच्चों को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
- (v) भारत-पाक एवं भारत-चीन युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिक के बच्चों एवं विधवाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति ।
- 14. विद्यार्थी सहायता कोष ((Student's Aid Fund)
 - विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा ₹ 40 प्रति विद्यार्थी वार्षिक शुल्क से की जाती है।
- प्रत्येक महाविद्यालय में ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क/परीक्षा शुल्क/पुस्तक क्रय राशि का पुनर्भरण किया जाता है
 जिन्हें अन्य किसी म्रोत से छात्रवृत्ति इत्यादि न मिल रही हो।
- पात्रता हेतु परिवार की वार्षिक आय रूपये 1 लाख से अधिक न हो, परिवार में आय का साधन न हो, पिता का देहांत हो चुका हो, छात्र दिव्यांग हो या जिनके पिता सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड में शहीद की श्रेणी में आते हो।
- (iii) इस कोष का उद्देश्य निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षण अथवा परीक्षा शुल्क अथवा पुस्तकों पर व्यय अथवा अन्य ऐसे किसी व्यय की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना है।
- (iv) कोष का प्रबन्ध इस हेतु गठित समिति के माध्यम से महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा किया जाता है।
- (v) विशेष पिरिस्थितियों के अतिरिक्त कोष में से ऐसे विद्यार्थियों को सहायता नहीं दी जाती है जिन्हें छात्रवृत्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता मिल रही हो।

- (vi) कोष में से सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर अधिष्ठाता द्वारा सूचित तिथि तक आवेदन किए जाने चाहिए।
- (vii) कोष में से अति निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को पूर्ण/अर्द्धशुल्क मुक्ति सहायता (Freeship/ Half Freeship) प्रत्येक श्रेणी के लिए शिक्षण शुल्क देने <mark>वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के 10% तक विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी।</mark>
- (viii) इस सहायता हेतु आवेदन के लिए आय प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।

15. प्राकृत विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता (Financial Assistance for Prakrit Students)

विश्वविद्यालय के जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को स्वीकृत नियमों के अनुसार प्रोत्साहन राशि की सीमित सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

- 16. विश्वविद्यालय में प्रमाण पत्र देने पर अनाथ एवं शहीद के बच्चों की फीस में पूर्णतया छूट दी जाती है।
- 17. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक असक्षम छात्र यू.जी.सी. छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में आवेदन करें।

18. स्वर्ण पदक (Gold Medals) एवं अन्य पुरस्कार

- (I) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा कला, वाणिज्य, विधि एवं विज्ञान संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर (उत्तराद्धी) एवं एम. फिल. परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को प्रथम स्थान पाने पर भी स्वर्ण पदक प्रदान नहीं किया जाता है। स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय के तत्कालीन नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
- (ii) विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से एम.एससी./एम.ए. भूगोल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 'भैरूलाल लीलावती सुखवाल फाउण्डेशन'(यू.एस.ए.) द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा।
- (iii) प्रबन्ध अध्ययन संकाय में एम.बी.ए. नियमित दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'मेहता जगन्नाथ सिंह भौमकुमारी चेरीटेबल फाउण्डेशन' की ओर से ₹ 1001/- का नकद पुरस्कार एवं स्मृति चिहन प्रदान किया जाएगा।
- (iv) एम.एससी. भू-विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'प्रो. आर.के. श्रीवास्तव'(₹ 1001/- नकद) पुरस्कार एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा।
- (v) एम.एससी. भू-विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'विजयसिंह देवपुरा मेमोरियल' रजत पदक
 (गोल्ड प्लेटेड) एवम् ₹ 5000/- नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- (vi) एम.ए. हिन्दी में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'स्व. प्रोफेसर लिलत शंकर पुष्पा देवी शर्मा' रजत पदक(गोल्ड प्लेटेड) एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा।
- (vii) बी. कॉम.तृतीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'डॉ. सी. बी. मामोरिया' स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा।
- (viii) व्यवसाय प्रशासन विभाग के स्नातकोत्तर (एम.कॉम एवं एम.फिल) के वे सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्राएँ जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 'CEWS सिंघवी अवार्ड' छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष अलर्ट संस्थान द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रदान की जाती है।



10. पुस्तकालय सुविधाएँ (Library Facilities)

विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों में समृद्ध आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय हैं। विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र को भरकर एवं आज्ञा प्राप्त कर संबंधित पुस्तकालयों के सदस्य बन सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पुस्तकालयों से सम्बन्धित संक्षिप्त सूचना दी जा रही है।

(क) केन्द्रीय पुस्तकालय (Central Library)

यह पुस्तकालय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थित है। इस पुस्तकालय में सभी विषयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थ, संदर्भ सामग्री आदि उपलब्ध है। इसमें आदान-प्रदान, शोध प्रतिवेदन, छायाप्रति, लिपिकरण तथा सन्दर्भ एवं शोध प्रतिकाओं के स्वतंत्र विभाग है। पुस्तकालय में 'ई. पुस्तकालय' सुविधा भी उपलब्ध है।

जिसके अन्तर्गत INFLIBNET द्वारा निम्नलिखित प्रकाशकों के ई-जर्नल्स एवं डेटाबेस उपलब्ध है:

S. No.	Resource Name	Resource URL
1.	American Chemical Society	http://pubs.acs.org
2.	American Institute of Physics	htt://journals.aip.org/
3.	American Physical Society	http://publish.aps.org/browse.php
4.	Annual Reviews	http://arjournals.annualreviews.org/
5.	Cambridge University Press	http://journals.cambridge.org/
6.	Economic & Political Weekly	http://epw.in/
7.	Institute of Physics	http://lopscience.iop.org/journals
8.	ISID	http://isid.org.in
9.	JCCC	http://www.jccc-ugcinfonet.in/
10.	JSTOR	http://www.jstor.org/
11.	Nature	http://www.nature.com/
12.	Oxford University Press	http://oxfordjournals.org
13.	Project Muse	http://muse.jhu.edu/journals
14.	Royal Society of Chemistry	www.rsc.org
15.	Springer Link	http://link.springer.com/
16.	Taylor & Francis	http://tandfonline.com/
17.	Wiley-Blackwell	http://onlinelibrary.wiley.com/

इसके अलावा निम्नलिखित डेटाबेस एवं सॉफ्टवेयर की सुविधा भी पुस्तकालय के अर्न्तगत प्राप्त की जा सकती है:

1-J-gate 2. Prowess 3. SPSS 4. Tally

ई-पुस्तकालय का उपयोग इसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं शोध-छात्रों के लिए निर्धारित है। 7000 से अधिक जर्नल्स के फुल टेक्स्ट शैक्षिक लेख ऑन लाईन उपलब्ध हैं। इनके उपयोग के लिए इन्टरनेट सेन्टर से पासवर्ड लेना होता है। केन्द्रीय पुस्तकालय का लाभ सभी पाठक सदस्य तो ले सकते हैं, परन्तु पुस्तकालय से लेन-देन की सुविधा विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य, कर्मचारी, शोध-छात्र, एम.फिल एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही प्राप्त है।

केन्द्रीय पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का Online Public Access Catalogue उपलब्ध है जिससे पुस्तक के संग्रहण सम्बन्धी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

(ख) शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क संसाधन सुविधा

(Educational and Research Resources Facility)

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (INFLIBNET) एवं विकासमान पुस्तकालय नेटवर्क (DELNET) द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रोनिक पाठ्य सामग्री को प्राप्त करने की सुविधा, केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। यह सुविधा प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं एवं स्नातकोत्तर छात्रों को शैक्षणिक सामग्री की खोज एवं अनुसंधान की दृष्टि से सूचनाएँ एकत्रित करने में अत्यधिक सहायक है।

इस सुविधा के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी उप-पुस्तकालयाध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) सामान्य ज्ञानार्जन हेतु (For Obtaining General Knowledge)

आध्यात्मिक, व्यावहारिक एवं सामान्य उपयोग के लिए मस्ट रीड सेक्शन में पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन पुस्तकालय में ही बैठकर किया जा सकता है।

महाविद्यालय पुस्तकालय (College Libraries)

विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त संघटक महाविद्यालय स्तर पर स्वतंत्र रूप से निम्नांकित समृद्ध पुस्तकालय हैं-

- 1. विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय पुस्तकालय
- विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय पुस्तकालय
- 3. विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पुस्तकालय
- 4. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय पुस्तकालय
- विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर भू-विज्ञान पुस्तकालय
- 6. विश्वविद्यालय प्रबन्ध अध्ययन पुस्तकालय

नोट : पुस्तकालय से पुस्तक आदान-प्रदान सम्बन्धी प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित पुस्तकालय से सम्पर्क करें।

विभागीय पुस्तकालय:

विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पित विज्ञान एवं गणित विभागों में स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों के उपयोग हेतु विभागीय पुस्तकालय है। कला एवं वाणिज्य संकाय में भी कुछ विभागीय पुस्तकालय हैं। इन विभागीय पुस्तकालयों में पुस्तकों का लेन-देन बाहर ले जाने के लिए नहीं किया जाता है। इनका उपयोग संदर्भ ग्रंथ के रूप में विभागीय स्तर पर होता है।

पुस्तक बैंक :

विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों के लिए, पुस्तक बैंक सुविधा उपलब्ध है। पुस्तक बैंक एवं उसकी नियमावली सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित महाविद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है।





11. छात्रावास (Hostels)

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु आवास की व्यवस्था संकाय के अनुसार की गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्न छात्रावास संचालित हैं। उनमें व्यवस्था निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	संबंधित संकाय	आवास क्षमता	वार्डन	दूरभाष
1,	महाराणा भूपाल छात्रावास विश्वविद्यालय खेल परिसर*	सभी संकाय के लिए	66	डॉ. शैलेन्द्र सिंह राव डॉ. प्रद्युम्न सिंह राणावत	9571555557 9414621487
2.	डॉ. डी.एस. कोठारी शोध छात्रावास, विश्वविद्यालय खेल परिसर	शोध छात्रों के लिए	18	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान	9462053818
3.	गार्गी कन्या छात्रावास	केवल छात्राओं के लिए विज्ञान महाविद्यालय परिसर	147	डॉ. राजकुमारी अहीर	8952904471
4.	कमला नेहरू कन्या छात्रावास * सेक्टर-3 हिरणमगरी	केवल छात्राओं के लिए	79	-	-
5.	विधि छात्रावास *	सभी संकाय के लिए	68	डॉ. कैलाश चन्द गुर्जर	7976324107
6.	महर्षि दयानन्द सरस्वती कन्या ** छात्रावास, विश्वविद्यालय परिसर	केवल TSP जनजाति छात्राओं के लिए सामान्य छात्राओं के लिए	48 74	डॉ. स्नेहा सिंह डॉ. गरिमा मिश्रा	9929771070 9450900001
7.	नेहरू शिक्षक सदन छात्रावास * सेक्टर-3, हिरण मगरी	केवल जनजाति छात्रों के लिए	40	डॉ. भंवर विश्वेन्द्र सिंह	9871968974
8.	राणा पूंजा छात्रावास**	केवल TSP जनजाति छात्रों के लिए	92	डॉ. गिरिराज सिंह चौहान डॉ. राजू सिंह	9461384777 9413474724

नोट:

- (1) क्र.सं. 1 से 5 तक प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 16%, 12%, 21% आरक्षण रहेगा।
- (2) छात्रावास में प्रवेश एवं विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित वार्डन अथवा चीफ वार्डन कार्यालय में सम्पर्क करें।
- ^{*} ये सभी छात्रावास मरम्म्त एवं पुनर्निर्माण कार्य होने के कारण अस्थायी तौर पर छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा । जैसे ही विश्वविद्यालय के संपदा विभाग द्वारा दुरस्त करके विश्वविद्यालय को सूपूर्द कर देगा तो प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
- ** अगर जनजाति छात्र/छात्राओं को देने के पश्चात् अगर सीट खाली रहेगी तो सामान्य वर्ग से भरी जायेगी।



12. यात्रा रियायतें (Travel Concession)

भारतीय रेल, नागरिक उड्डयन व राज्य पथ परिवहन निगम सेवाओं द्वारा प्रदत्त रियायती किराये की सुविधाएँ विश्वविद्यालय के नियमानुसार दी जाएगी। यात्रा के लिए विद्यार्थी को स्वयं सप्रमाण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही यात्रा रियायत दी जाएगी। घर की परिभाषा में वह जगह आएगी जहाँ कि विद्यार्थी के माता-पिता स्थायी रूप से रहते हैं। एक शिक्षण सत्र के लिए प्रवेश आवेदन पत्र में दिया गया घर का पता अपरिवर्तनीय रहेगा। राजकीय सेवारत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर छात्र के अभिभावक का पता महाविद्यालय के अधिष्ठाता/निदेशक के स्वनिर्णय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। किराये में रियायत के लिए विद्यार्थी को प्रस्थान की तिथि से 8 दिन पूर्व महाविद्यालय के अधिष्ठाता को आवेदन करना चाहिए। रियायत सुविधा का उपयोग निम्न उद्देश्य से यात्रा के लिए भी किया जा सकता है –

- शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित या मान्यता प्राप्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में
 भाग लेने के लिए।
- शिक्षाप्रद कार्यक्रमों, शिविरों व संगोष्ठियों में भाग लेने तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए, साक्षात्कार एवं प्रतियोगी परीक्षा में सिम्मिलित होने के लिए।
- सामुदायिक योजनाओं में सेवा कार्य में भाग लेने हेतु।
- शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक महत्व के अखिल भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलनों एवं अन्य सम्मेलनों में भाग लेने के लिए।

टिप्पणियाँ

- (I) रियायत के आदेश एक बार प्रसारित किए जाने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी को यात्रा के दौरान अपना परिचय पत्र साथ रखना अति आवश्यक है क्योंकि परिवहन अधिकारी किसी भी समय उसकी जाँच कर सकते हैं।
- (ii) विद्यार्थी को उसके चयन के अनुसार एक समय में एक ही प्रकार के किराये में रियायत की सुविधा दी जाएगी। यह ध्यान में रहे कि परिवहन अधिकारियों को धोखा देने का प्रयास करने तथा गलत सूचना प्रदान करने की दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी जिसका जिम्मेदार विद्यार्थी स्वयं होगा।
- (iii) लगातार एक महीने अनुपस्थित रहने वाला विद्यार्थी इस यात्रा रियायत सुविधा के योग्य नहीं होगा।



13. छात्रसंघ और इसकी चुनाव प्रक्रिया

विश्वविद्यालय में एक छात्र प्रतिनिधि निकाय छात्रसंघ है। विश्वविद्यालय की संघटक इकाइयों के भी पृथक छात्रसंघ हैं। छात्रसंघ के चुनाव संबंधी सामान्य नियम इस प्रकार हैं –

- नामांकन आवेदन पत्र, छात्रसंघ संविधान की प्रति के साथ ₹ 100 के भुगतान पर अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय तथा समस्त संघटक महाविद्यालयों के चुनाव कार्यालय से अधिसूचित तिथि को प्राप्त कर सकेंगे।
- 2. विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों हेतु नामांकन पत्र कार्यालय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, विवेकानन्द भवन में प्रस्तुत करना होगा।
- 3. महाविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं कक्षा प्रतिनिधियों हेतु नामांकन पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय के चुनाव कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 4. नामांकन, मतदान एवं चुनाव सम्बन्धी प्रत्येक कार्य हेतु विश्वविद्यालय परिचय पत्र (University Identity Card) अनिवार्य है। परिचय पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय से अधिसूचित तिथि तक प्राप्त करने होंगे।
- 5. विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु मतगणना प्रबन्ध संकाय भवन (FMS) में तथा महाविद्यालय छात्रसंघ हेतु मतगणना सम्बन्धित महाविद्यालय भवन में होगी।
- 6. मतदाना केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र हेतु नियुक्त एजेन्ट का भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित छात्र होना अनिवार्य है तथा इस कार्याविध में उसके पास विश्वविद्यालय परिचय पत्र (University Identity Card) होना आवश्यक है।
- 7. चुनाव के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि विश्वविद्यालय का नियमित छात्र नहीं हैं, उसे चुनाव प्रक्रिया में किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- 8. प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा ₹ 5000 है।
- 9. किसी भी उम्मीदवार द्वारा छपे हुए पोस्टर्स (Poster)या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग निषिद्ध है।
- 10. उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग, कॉलेज परिसर में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही कर सकेंगे।
- 11. किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियाँ, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं है।
- 12. प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों एवं जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।
- 13. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रसंघ संविधान, लिंगदोह सिमति की सिफारिशों, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित छात्र के विरुद्ध छात्रसंघ संविधान प्रदत्त कार्रवाई की जाएगी।

- 14. पूर्णकालीन एवं अंशकालीन प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थी छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याक्षी और मतदाता नहीं होंगे।
- 15. छात्रसंघ चुनाव में अधिसूचित तिथि को विद्यार्थी का पूर्व कक्षा में उत्तीर्ण घोषित होना अनिवार्य है। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों पर भी यह नियम प्रभावी होगा। विद्यार्थी प्रयोजन के लिए पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने का आग्रह नहीं करेगा।
- 16. विश्वविद्यालय और इसकी संघटक इकाइयों के छात्रसंघ से संबंधित विस्तृत नियम और प्रकिया अधिष्ठाता, छात्र कल्याण यथासंभव अधिसूचित करेंगे। अधिष्ठाता द्वारा अधिसूचित नियम और प्रक्रिया ही अधिकृत मानी जाएगी।





14. विश्वविद्यालय स्तरीय सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ (University Level Co-curricular Activities)

विश्वविद्यालय स्तर की साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ :

विश्वविद्यालय द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं आयोजन हेतु अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को अधिकृत किया गया है। इस कार्यालय द्वारा निम्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ संचालित होती हैं –

- (I) अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के तत्वावधान में पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालय के ''युवा समारोह''में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम का चयन करना।
- (ii) स्व. श्री मोहनलाल सुखाड़िया की जन्मतिथि के अवसर पर ''मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान'' का विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजन करना। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, विचारक, अर्थशास्त्री अथवा राजनियक को आमंत्रित करना। विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी के साथ ही उदयपुर शहर के गणमान्य नागिरकों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करना।
- (iii) विश्वविद्यालय के सभी संकायों के विद्यार्थियों के लिए''<mark>कैरियर गाइडेन्स व्याख्यान'</mark>'का आयोजन करना एवं इस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना।
- (iv) दो अक्टूबर को राष्ट्रिपता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर ''गांधी जयन्ती व्याख्यान'' का आयोजन करना। राष्ट्रीय स्तर के गांधीवादी चिन्तक अथवा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में गांधी विचार के विश्लेषक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ अथवा दार्शनिक को आमंत्रित करना।
- (v) उदयपुर संभाग में कार्यरत आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का ''सिविल सेवा परीक्षा परिसंवाद''आयोजित करना।
- (vi) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों से चयनित विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय स्तरीय युवा समारोह''गवरी'' आयोजित करना एवं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित करना।
- (vii) देश के विभिन्न भागों से प्राप्त शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अथवा अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं के निमंत्रणों के आधार पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने योग्य प्रतिभागी का चयन/मनोनयन करना।
- (viii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ''<mark>पूर्व छात्र परिषद</mark>''(एल्यूमनी एसोसिएशन) का विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशानुसार सत्रों का आयोजन एवं संचालन करना।
- (ix) छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय की पत्रिका''<mark>शिखर''का सम्पादन, प्रकाशन एवं वितरण करना।</mark>
- (x) राज्य सरकार/राजभवन के आदेशानुसार एवं कुलपित के मार्गदर्शनानुसार महाविद्यालय एवं केन्द्रीय स्तर पर छात्रसंघ के चुनाव करवाना एवं पदाधिकारियों को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करना।
- 2. विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र (University Employment & Guidance Bureau)

इस विश्वविद्यालय में छात्रों एवं बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए एक विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र, कला महाविद्यालय नया परिसर में कार्यरत है। यह केन्द्र जरूरतमंद आशार्थियों को विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रवेश सूचनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति, स्वरोजगार, भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन की सेवाएँ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्र द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में व्यावसायिक वार्ताओं एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा स्विनयोजन साहित्य का सृजन, रोजगार के भावी अवसरों/ प्रवृत्ति से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं अध्ययन केन्द्र के अन्य कार्य किए जाते हैं।

3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ (SC/ST Cell)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से इस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ गठित है। प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु नियमानुसार उनके आरक्षित स्थानों में प्रवेश के लिए सहयोग एवं समुचित कार्रवाई की व्यवस्था की जाती है। यदि उन्हें प्रवेश के सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो वे लिखित में सम्पूर्ण विवरण सहित अपनी समस्याएँ उचित माध्यम से इस प्रकोष्ठ को अवगत करा सकते हैं।

4. प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार केन्द्र (Centre for Adult Education & Extension)

यह केन्द्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सन् 1980 से कार्यरत है। वर्तमान में यह सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में कार्य कर रहा है। देशव्यापी निरक्षरता उन्मूलन हेतु केन्द्र के द्वारा साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश की जनसंख्या नीतियों तथा योजनाओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करने तथा छोटे परिवार के मानक की आवश्यकता का भाव विकसित करने हेतु जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का संचालन भी किया जाता है।

5. जनसंख्या शोध केन्द्र (Population Research Centre)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में यह जनसंख्या शोध केन्द्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सन् 1981 से संचालित है। इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य हैं -

- जनसंख्या विज्ञान में विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य करना एवं शोधार्थियों को प्रोत्साहन करना ।
- 2. राजस्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन करना।
- 3. विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या सम्बन्धी शोध कार्यों का सूक्ष्म अध्ययन करना।
 अब तक इस केन्द्र ने 121 शोध परियोजनाएँ (प्रोजेक्ट्स) सम्पन्न की हैं एवं इस सम्बन्ध में कई शोध पत्र प्रकाशित किए
 हैं।

6. महिला अध्ययन केन्द्र (Centre for Women Studies)

ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना की है। केन्द्र के महिला उत्थान हेतु बहुआयामी उद्देश्य हैं। केन्द्र का उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जानकारी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक सशक्तिकरण करना तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराने का श्रम करना है। केन्द्र, विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुँच को प्रोत्साहित करता है।

इसी दिशा में केन्द्र द्वारा समय-समय पर विस्तार व्याख्यान, वार्ताएँ, संगोष्ठी प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अध्ययन-अध्यापन हेतु''महिला अध्ययन''सामाजिक विज्ञान संकाय के एक विषय के रूप में संस्थापित है। संदर्भ केन्द्र के रूप में महिला से संबंधित विभिन्न पुस्तक-पुस्तिकाओं, शोध पत्रों और सरकारी योजनाओं का संग्रहण एवं संकलन भी करता है।

7. मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र (Centre for Human Rights Studies)

राजस्थान राज्य में मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र की स्थापना सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय में हुई है। यह केन्द्र विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में मानवाधिकारों की स्थिति, समस्याओं और उनके समुचित समाधानों के सम्बन्ध में शोध/शिक्षण आदि में संलग्न है।

8. बौद्ध अध्ययन एवं अहिंसा केन्द्र (Centre for Buddhist Studies and Non-Violence)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय में राजस्थान राज्य में यह प्रथम केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग के आचार्य के निर्देशन में संचालित है। इस केन्द्र द्वारा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और अहिंसा का, समता, समानता, अस्पृश्यता और वैचारिक उदारता आदि मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रचार-प्रसार किया जाता है। केन्द्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी संचालित है।

9. प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (Competitive Examination Coaching Centre)

यह केन्द्र सामाजिक एवं मानविकी महाविद्यालय के परिसर में संचालित है। केन्द्र द्वारा सुयोग्य अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा RAS, ICS, UGC-NET, SLET आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों का शिक्षण विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क लेकर प्रदान किया जाता है। कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि सभी संकायों के प्रत्याशी इसका लाभ ले सकते हैं। SC, ST, OBC (Non Creamy layer) एवं अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है।

10. अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार (International Students Advisor)

विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा अध्ययन संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार की नियुक्ति की गई है।

11. परिषद् समितियाँ, संगोष्टियाँ एवं स्नातकोत्तर अध्ययन समूह (Council, Committees, Conferences & Post Graduate Study Group)

विभान विभागों में स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को विभिन्न अध्ययन परिषदों के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है तािक विद्यार्थी संकाय स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं में सम्मिलत होकर अपनी प्रतिभा को एक छोटे समूह में विकसित कर सकें। इन शैक्षणिक इकाइयों द्वारा सदस्यों के ज्ञानवर्धन एवं बौद्धिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, अध्ययन—समूह आदि का आयोजन किया जाता है। इनके समुचित संचालन हेतु विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता द्वारा प्राध्यापकों को सलाहकार के रूप में मनोनीत किया जाता है, जो विद्यार्थियों के सिक्रय सहयोग से इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सभी नियमित विद्यार्थी इन शैक्षणिक इकाइयों के सदस्य होंगे। विभिन्न गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित वार्षिक शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

12. विशिष्ट आयोजन (Special Programme)

(क) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम (Literacy & Cultural Programmes)

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/विभागों द्वारा विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत यथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, सामान्य-ज्ञान प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है तथा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न राज्य स्तरीय, अंतर-विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग देने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day)

भारत के सपूत दृष्टा एवं सन्त स्वामी विवेकानन्द का जन्म दिवस 12 जनवरी को समस्त देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day)

28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही बहुमुखी प्रगति के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त गतिविधियाँ विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व की बहुमुखी समृद्धि कर जीवन के लिए पाथेय संचित करते हुए नागरिकता के प्रशिक्षण का सुअवसर प्रदान करती हैं।

13. विश्वविद्यालय योग केन्द्र (University Yog Center)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली के सहयोग से विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल परिसर में विश्वविद्यालय के सभी नियमित छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था अनुभवी विशेषज्ञों की उपस्थिति में उपलब्ध है। केन्द्र द्वारा योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी संचालित किया जा रहा है जिसकी प्रवेश क्षमता 30+10 है तथा इसमें 10 पेमेन्ट सीट हैं। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह का योग प्रशिक्षण में प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम का संचालन भी केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

14. नेहरू अध्ययन कोन्द्र (Center for Nehru Studies)

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से भारत के महान आधुनिक विचारकों की योजना के अन्तर्गत नहेरू अध्ययन केन्द्र की स्थापना हुई थी। केन्द्र का उद्देश्य छात्रों को पंडित जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बंधित जानकारी प्रदान करना है।

15. विश्वविद्यालय शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (University Research & Development Cell)

विश्वविद्यालय में स्तरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए और पाठ्यक्रम गुणवत्ता हेतु वर्ष 2010 में इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ में सभी संकायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। प्रकोष्ठ की यह भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के साथ सहयोग कर शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके।

16. समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ का उद्देश्य वंचित समुदायों जैसे - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा, रोजगार और व्यक्तित्व विकास से सम्बंधित जानकारी देना है।

17. सॉफ्ट स्किल केन्द्र (Soft Skill Centre)

इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 2010 में की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान के अवगत कराना है, साथ ही साथ केन्द्र के द्वारा विद्यार्थियों के लिए भाषायी दक्षता, सम्प्रेषण और व्यक्तित्व-विकास के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

18. आइंडिया सेन्टर (IDEA: Centre for Initiative and Development Action)

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. के सहयोग से वर्ष 2010 में इस केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में समाज, राजनीति, संस्कृति एवं अन्य पहलुओं से सम्बंधित मुद्दों का शोध एवं अध्ययन करना तथा उनसे सम्बंधित कार्यशालाएँ, व्याख्यान आदि आयोजित करना है।

19. महिला उत्पीड़न विरोधी समिति (Committee for Action against Women Harassement)

कार्यालयों में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न पर कार्रवाई करने हेतु इस समिति की स्थापना की गई है। समिति का कार्य क्षेत्र विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालय होंगे।



15. UNIVERSITY COMPUTER CENTRE

The main Computer Centre of the University, located in the University Campus, at Vigyan Bhawan is running MCA Programme. The intake capacity of MCA course is 60. Out of these, 30 seats are on self-financing basis. It also conducts training programme for faculties as well as other staff of the university to make them utilise the facilities available in the computer center. The computer center is well equipped with modern computing facilities consisting of UNIX (RISC based Digital Alpha System), Linux (IBM Xeon Server), Windows NT (Compaq Proliant), and Windows 2003 (Wipro Netpower Itanium based servers). It also has a number of PCs (which can work as clients to all the servers as well as can access Internet), multimedia syatems, thin clients, Laser, Line Printers, Network Printer, multifunction printer etc. In addition to standard, thin clients, Laser the Center also has softwares like Oracle Database Server, Web Developer suite, Visual Studio, SPSS, Mathematica, Matlab, Rational Rose, Dview (Network Software), MSDN academic alliance etc. University also has an Internet Centre with optical fiber cabling as well as wireless networking, 100 Mbps/ 1Gbps switches to provide fast and reliable access across the campus. MCA students use these facilities freely for unlimited hours for e-mail, web surfing, down loading lecture notes/technical articles etc. Laboratory facilities are also available for computer hardware, microprocessor, networking and communication practicals. Main facilities are listed below:

Hardware: RISC based Digital Alpha 500au workstations, Compaq Proliant work-stations, SGI Octane workstation, IBM Xenon Server (Dual Processor), Sun Netra Server, Compaq workstations, Wipro Netpower, Pentium based PC's with different configurations, 512 Kbps VSAT, cable based internet connection.

Software: Operating Systems - Digital Tru65 Unix, Microsoft Windows NT Server/ Workstation, Windows 2003 Server, Sun Solaris, Novell Netware, Redhat Linux, Microsoft Window Vista/XP/2000/98 MS-DOS, Database Systems: Oracle Web Developer Suite, Sun Java Workshop, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Studio, WSAD Eclipse. Compilers: C, C++, Cobol, Pascal, Fortran 90, Application Packages: MS Office 2007, SPSS, Adobe Photoshop, Chem Office, Mathematica, Matlab, Rational Rose, Dview etc.

The University Computer Center also offers research programme. Presently, active research programmes going on at University Computer Center are image and analysis, embedded system and computer security. The University Computer Center also organises training programme on IBM Products for its MCA Students. University Computer Center has its own Software Development Center to develop Software for the University and MCA Students are normally encouraged to participate in the programme.



16. UNIVERSITY INTERNET CENTRE

The University has a campus network of computers known as Sukhadia University Network (SUNET) connecting all University Departments, constituent colleges, various units and centres, hostels etc. situated in both the campuses of the university. The University Internet Centre located in the Vigyan Bhavan Block-A is responsible for operation and maintenance of the University network. The campus network is a 1000/100Mbps network with about 600 computers using Optical Fiber Cable back bone connectivity to all main buildings and Wireless connectivity between the campuses. The University has also installed Wi-Fi network in almost all the main buildings. The campus network of the University is fully protected and secured using "Cyberroam" (firewalls and Intruder detection system). The network is also protected from external computer viruses using online subscription to latest network antivirus software. Following facilities are available to the students and staff of the University.

Internet Access

The university has a 1Gbps leased line Internet connectivity at the University Internet Centre with BSNL India under UGC Infonet programme. Internet access is available to all the regular students, research students and faculty members for academic purposes through the campus network from computers installed in the departments, libraries, colleges, offices and hostels.

The undergraduate, post graduate and research students can access Internet for educational and research purpose from following locations:

- 1. e-library, University Central Library
- 2. e-library, College of Science
- 3. e-library, College of Commerce and Management Studies
- 4. e-library, College of Social Sc. & Humanities

Internet access facilities are also available at college of Law, Vigyan Bhawan Block-A and B, Pharmacy building and hostels for the students.

Internet facilities available in the department can also be used by the post graduate and research students.

E-Journal Access

Access to about 5000 electronic research journals and 3 databases under UGC Infonet programme are available from the computers installed in the campus. The computers installed in all the faculty rooms and research laboratories, e-libraries are provided with unlimited access to e-journals. Free training to access e-journals and to search Internet for research materials are provided by the Internet centre and University Central Library. Interested research students can register their names by sending e-mail to suic@mlsu.ac.in with subject: Training.

University Website

The official web site www.mlsu.ac.in provides information about the University. Admission notices, University examination time table, examination results and important announcements are available on the University web site. For information related to web site updating and publication of new information Internet centre may be contacted on 0294-2471310 or e-mail to suic@mlsu.ac.in

Intranet Facilities

- 1. **University Information system:** Student and staff databases, details of the courses, syllabus, Performa and formats for various purposes. are available on the University intranet.
- 2. **Educational Resources:** Tutorials, Power point presentations, digital herbarium, articles etc.
- 3. **Student feedback System:** Students can submit their feed back about courses, classes, teachers etc. using the feed back management system. Students are free to express their views using the system without identifying their name.
- 4. **Student Grievance Submission System:** Students can submit their grievances related to harassments/difficulties faced in courses and examinations.
- 5. **Departmental Information System:** A departmental Information System to collect and view department level data related to teaching and Research

To access University intranet facilities log on to campus network and access web page: http://172.16.0.10

Important Note

User Id and password to access University network can be obtained from Internet Centre by filling up an application form freely available from all libraries and department offices. The application form can be downloaded from University intranet. All students and staff of the University are hereby informed that use of Internet and Intranet from the University campus is allowed only for academic purpose and access of Information is governed under IT act of the country. Un-authorized access of information, use of ID and password of other users to gain access to campus network are criminal offenses and punishable.

All students and staff are hereby notified that access of information from Internet and intranet are recorded automatically by the Access server and Cyber Roam system and information is regularly monitored. Strict action including reporting to University and civil authorities and filing of cases will be taken against those who violate the IT act of the country.

For details facilities, training programs, software developments etc contact Co-ordinator, Internet Centre, Vigyan Bhawan, Mohanlal Sukhadia University, Tel No. 0294-2471310.

Important e-mail Addresses of the University

Important e-mail Addresses of the University	
User's Name	Email Address
Vice Chancellor	vcmlsu@mlsu.ac.in
Registrar	registrar@mlsu.ac.in
Comptroller	compt@mlsu.ac.in
Dean, College of Science	ucs@mlsu.ac.in
Dean, College of Commerce & Mgt. Studies	uccms@mlsu.ac.in
Dean, College of Law	uclaw@mlsu.ac.in
Dean, College of Social Sciences & Humanities	ucssh@mlsu.ac.in
Dean, PG Studies	dps@mlsu.ac.in
Dean, Students' Welfare	dsw@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Science	chscience@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Commerce	chcommerce@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Education	cheducation@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Management Studies	chmanagement@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Law	chlaw@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Humanities	chhumanities@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Social Sciences	socialsciences@mlsu.ac.in
Chairman, Sports Board	chsportsboard@mlsu.ac.in
Co-ordinator, NSS	conss@mlsu.ac.in
Chief Warden	chiefwarden@mlsu.ac.in
University Engineer	uniengineer@mlsu.ac.in
International Students Advisor	isa@mlsu.ac.in
Controller of Examinations	coe@mlsu.ac.in
Deputy Registrar (Exam)	drexam@mlsu.ac.in
Deputy Registrar (GAD)	drgeneral@mlsu.ac.in
Deputy Registrar (Affiliation)	draffiliation@mlsu.ac.in
Deputy Registrar	dyregistrar_gad@mlsu.ac.in

Deputy Registrar (Meeting)
Deputy Registrar (Recruitment)

Deputy Registrar SO, Establishment, UAO

Deputy Registrar RTI, UAO Assistant Registrar (degree)

Director, Faculty of Management Studies Director, University Computer Centre

Head, Department of Physics Head, Department of Botany Head, Department of Chemistry Head, Department of Zoology Head, Department of Geology

Head, Department of Maths & Statistics Head, Department of Environmental Science

Head, Department of Pharmacy

Head, Accountancy & Business Statistics Head, Banking and Business Economics

Head, Business Administration
Head, Department of Biotechnology
Head, Department of English
Head, Department of Hindi
Head, Department of History
Head, Department of Music

Head, Department of Philosophy Head, Department of Jainology & Prakrit

Head, Department of Rajasthani Head, Department of Sanskrit Head, Department of Urdu Head, Department of Visual Arts Head, Department of Economics Head, Department of Geography

Head, Department of Library Science Head, Department of Political Science Head, Department of Psychology

Head, Department of Public Administration

Head, Department of Sociology

Course Director, MIB Course Director, MHRM Course Director, IT&CS Course Director, MFC

Course Director, Microbiology Course Director, Industrial Chemistry

Incharge, Polymer Science Incharge, Computer Science

Incharge, Department of Journalism Incharge, Hotel Management Course Director, Biotechnology University Central Library drmeeting@mlsu.ac.in drrecruitment@mlsu.ac.in

drsoestt@mlsu.ac.in drrti@mlsu.ac.in

degreemlsu@mlsu.ac.in

fms@mlsu.ac.in
ucc@mlsu.ac.in
physics@mlsu.ac.in
botany@mlsu.ac.in
chemistry@mlsu.ac.in
zoology@mlsu.ac.in
geology@mlsu.ac.in
mathstat@mlsu.ac.in
envsc@mlsu.ac.in
pharmacy@mlsu.ac.in

abst@mlsu.ac.in
bbe@mlsu.ac.in
busadm@mlsu.ac.in
biotech@mlsu.ac.in
english@mlsu.ac.in
hindi@mlsu.ac.in
history@mlsu.ac.in
music@mlsu.ac.in
philosophy@mlsu.ac.in
jprakrit@mlsu.ac.in
rajasthani@mlsu.ac.in
sanskrit@mlsu.ac.in

urdu@mlsu.ac.in varts@mlsu.ac.in economics@mlsu.ac.in geography@mlsu.ac.in libsc@mlsu.ac.in polsc@mlsu.ac.in psychology@mlsu.ac.in pubadm@mlsu.ac.in

sociology@mlsu.ac.in
mib@mlsu.ac.in
mhrm@mlsu.ac.in
itcs@mlsu.ac.in
mfc@mlsu.ac.in
mbiology@mlsu.ac.in
indchemistry@mlsu.ac.in
polymer@mlsu.ac.in

compsc@mlsu.ac.in journalism@mlsu.ac.in mtm@mlsu.ac.in biotech@mlsu.ac.in ucl@mlsu.ac.in



17. राष्ट्रीय सेवाएँ (National Services)

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवाओं के अन्तर्गत निम्न चार विकल्प उपलब्ध हैं-

(क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.)

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

(घ) रोवरिंग (Rovering)

विद्यार्थी इन चारों में से कोई एक विकल्प चुनकर उसमें सम्मिलित हो सकता है। इन चारों राष्ट्रीय सेवाओं के संचालन के लिए विभिन्न प्रभारी हैं, जिनसे विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.): इसके अन्तर्गत निम्नलिखित खेल वर्ग हैं -

1. क्रिकेट

2. फुटबॉल

3. दौड़-कूद

4. हॉकी

5. वॉलीबाल

6. बास्केटबॉल

7. हैण्डबॉल

इस कार्यक्रम में सिम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को इन सात वर्गों में से एक को चुनना होगा। अपनी रुचि के खेल की व्यावहारिक परीक्षा देनी होगी और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही इस संगठन में नामांकन होगा। इसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.): इसमें सैनिक प्रशिक्षण, महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्रीष्मकालीन शिविर, पर्वतारोहण के अवसर प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों में अनुशासन एवं सेवा की भावना के साथ-साथ शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इस योजना के अन्तर्गत थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में से एक शाखा को चुना जा सकता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती होने वाले छात्र के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वास्थ्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय कैंडेट कोर की इच्छित शाखा में प्रवेश के आवेदकों में से चयन किया जाएगा। चयन तिथि एवं समय की सूचना केंडेट कोर अधिकारियों द्वारा यथासमय घोषित की जाएगी। जो छात्र एन.सी.सी. की इच्छित शाखा में चयनित नहीं होते हैं उन्हें अन्य निर्दिष्ट शाखा में प्रवेश लेने का विकल्प होगा।

उपस्थिति (Attendance)

एन.सी.सी. कैडेटों के लिए 75 प्रतिशत परेडों में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निर्दिष्ट शिविरों में भी उन्हें भाग लेना होगा। यूनिट द्वारा निर्धारित तिथि पर गणवेश एवं अन्य सामान दिया व लिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी बिना गणवेश एवं सामान लौटाए सत्र के मध्य में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो उसका नाम आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस को प्रेषित कर दिया जाएगा।

शाखाओं (Wings) में अन्तर-परिवर्तन की अनुमित नहीं है। एन.सी.सी. के तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण कुछ चयनित छात्रों को ही दिया जाएगा।

प्रमाण पत्र परीक्षाएँ (Certificate Examinations)

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में वे प्रशिक्षणार्थी 'बी' प्रमाण पत्र के पात्र होंगे जिन्होंने एक शिविर में भाग लिया हो तथा प्रत्येक सत्र में जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत हो।

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए वे ही केडेट पात्र होंगे जिन्होंने 'बी' प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया हो, दो शिविरों में भाग लिया हो तथा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण की हो।

एन.सी.सी. के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में कमीशन

सशस्त्र सेनाओं में कमीशन के लिए आवेदन-पत्र, केडेट अपने एन.सी.सी. यूनिट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर जिस सेवा के लिए उन्होंने आवेदन किया है उसकी चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। कमीशन के प्रत्याशियों की योग्यता का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-

थल सेना

- 1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
- 2. 19 से 22 वर्ष की आयु
- 3. एन.सी.सी. का 'सी 'परीक्षा (थल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

जल सेना

- 1. भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय का स्नातक अथवा अभियांत्रिक उपाधि धारक
- 2. 19 से 22 वर्ष की आयु
- 3. एन.सी.सी. का 'सी 'परीक्षा (जल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

वायु सेना (सामान्य सेवाएँ)

- वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
- 2. 19 से 22 वर्ष की आयु
- एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (वायु शाखा) छोड़ने के एक वर्ष भीतर प्रस्तुत हो ।

निस्सारण (Discharge)

छात्रों को एन.सी.सी. छोड़ने के एक वर्ष के भीतर अपने युनिट कमाण्डर से निस्सारण प्रमाण-पत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने एन.सी.सी. अफसर के माध्यम से आवेदन भेजना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) : इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय के युवा वर्ग की शक्ति को राष्ट्रीय सेवा प्रयोजनाओं में लगाना है। सामान्यतया इसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों का विकास करना एवं श्रम की गरिमा का पोषण करना है। कल्याणकारी गतिविधियों के तीन क्षेत्रों, यथा ग्रामीण, नगरीय एवं संस्थागत की उन्नति के लिए यह योजना सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण देती है।

इसके अतिरिक्त एन.एस.एस. द्वारा ग्रामीण विकास के लिए एक वर्ष में दो अनिवार्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। कुछ विद्यार्थी प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों में भी भेजे जाते हैं। इस योजना में सम्मिलित होने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 65 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करनी होगी।

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में एन.एस.एस. की इकाइयाँ इस प्रकार हैं:-

विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय	5 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय सा. वि. एवं मा. महाविद्यालय	3 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध महाविद्यालय	3 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय	2 इकाई
प्रबन्ध अध्ययन संकाय	1 इकाई

प्रबन्ध अध्ययन संकाय को छोडकर प्रत्येक इकाई 100 विद्यार्थियों पर गठित की जाती है।

(घ) रोवरिंग (Rovering): विश्वविद्यालय स्तर पर स्काउटिंग की गतिविधियों का संचालन रोवर्स के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक छात्र, जिसने विद्यालय स्तर पर स्काउटिंग का अपेक्षित अनुभव ग्रहण किया है, विश्वविद्यालय स्तर पर रोवर के रूप में पंजीकृत हो सकता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोवर कार्यक्रमों में योग्यतानुसार भाग ले सकता है। निम्न कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं –

1.	साक्षरता अभियान, सामाजिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा	2. औषधालय सेवा
3.	गन्दी बस्तियों की सफाई	4. ग्रामीण विकास
5.	जरूरतमंदों की सहायता	6. राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम
7.	परिसर विकास	8. प्रकल्प निदेशकों द्वारा निर्धारित अन्य कार्य ।

18. खेल-कूद (Games & Sports)

अध्यक्ष - प्रो. शूरवीर सिंह सचिव - डॉ. गिरिराज सिंह चौहान योग केंद्र समन्वयक - डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान

विश्वविद्यालय में खेलों के विकास हेतु विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल की स्थापना सन् 1962 में की गई थी, जिसका संचालन विश्वविद्यालय क्रीड़ा समिति द्वारा किया जाता है, समिति का गठन प्रति 2 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीडा मण्डल के लक्ष्य और उद्देश्य शारीरिक शिक्षा व खेलों के द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व खिलाड़ियों का सर्वागाीण विकास करना है। विश्वविद्यालय क्रीडा मण्डल प्रतिवर्ष अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताएँ अन्तर महाविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा प्रदत्त नियमों तथा निर्देशों के आधार पर आयोजित करता है। अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय क्रीडा मण्डल अपना दल भेजता है। हमारे खिलाडियों ने अच्छा प्रदर्शन कर इन प्रतियोगिताओं में कई बार विजय व उच्च स्थान प्राप्त किए हैं।

विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष लगभग 50 अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं (महिला/पुरूष) का आयोजन करता है। विश्वविद्यालय की टीमें अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं (महिला/पुरूष) में भाग लेती है। अंतर विश्वविद्यालयों प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा भारतभर के विश्वविद्यालयों को दी जाती है। इन प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क ट्रेकसूट एवं खेल से सम्बन्धित किट (रू. 1100/- प्रति किट) दिया जाता है।

बास्केटबॉल, टेबल-टेनिस, बैडिमिन्टन, खो-खो, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी, हैण्ड़बॉल, लॉन टेनिस, भारोत्तोलन, पॉवरिलिटिंग, फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज, कुश्ती, तैराकी, बॉक्सिंग, जुडो, तीरंदाजी, सॉटबॉल, शूटिंग, वॉलीबाल, ताईक्वाडों, स्कवेश, वूशु, क्रॉस कन्ट्री, किक बॉक्सिंग, कराटे, कयािकंग व केनोइग एवं योगासन आदि खेलकूदों की महिला/पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय क्रीडा मण्डल द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से क्रीडा मण्डल द्वारा खेल (Adventure Sports) वाटर स्पोर्टस, वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग, रॉक क्लाइम्बंग, पैरासेलिंग, रिवर रॉटिंग आदि खेलों के आयोजन हेतु प्रयासरत है।

विश्वविद्यालय क्रीडा मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस (मेजर ध्यानचन्द जन्म दिवस) के अवसर पर अन्तर्महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों के साथ अन्तर्विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं तथा अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ खिलाड़ियों को माननीय कुलपित महोदय द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

विश्वविद्यालय योग केन्द्र

विश्वविद्यालय योग केन्द्र के तत्त्वावधान में स्ववित्तपोषित आधार पर योग शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एस.सी.), स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ए./एम.एस.सी.), स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय पूर्णकालीन) पाठ्यक्रम संचालित है। प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता 40 है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाश में छः सप्ताह का योग शिक्षा में प्रमाण-पत्र पाठयक्रम भी संचालित किया जाता है जिसकी प्रवेश क्षमता 60 है। विश्वविद्यालय योग केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जिसमें योग शिविर, योग व्याख्यान तथा श्रेष्ठ योग शिक्षकों का सम्मान किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली के सहयोग से स्थापित विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल परिसर में विश्वविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था अनुभवी विशेषज्ञों की उपस्थित में उपलब्ध है। विश्वविद्यालय योग केन्द्र के द्वारा योग शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एस.सी.), स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ए./एम.एस. सी.), स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय पूर्णकालीन) पाठ्यक्रम संचालित है जिसकी प्रवेश क्षमता 40 है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाश में छः सप्ताह का योग शिक्षा में प्रमाण-पत्र पाठयक्रम भी संचालित किया जाता है जिसकी प्रवेश क्षमता 60 है। योग केन्द्र के माध्यम से योग विषय में 25 शोधार्थी पी.एच.डी. कार्यक्रम में पंजीकृत है, जिसमें 6 शोधार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ शोधछात्रवृति (जे.आर.एफ.) प्राप्त है।



19. शैक्षणिक सत्र (Academic Calendar) 2022-2023

S.No.	Schedule	Date
1	Releasing of prospectus of the University	01 June, 2022
2	Inviting applications for UG I year	After declaration of 12 th Result by
		CBSE/RBSE
3	Inviting applications for UG II and III	10 June, 2022
	provisional admission to all	
4	Inviting applications for PG Previous	After declaration of result of UG III year
	(Annual Scheme) and PG (first semester)	by concerned university
5	UG/PG admission Final List	Within 25 days of publication of first list
		of admission
6	Commencement of classes UG for II nd &	01 July, 2022
	III rd and PG Final and Odd Semester	
7	Commencement of classes UG I and PG	After Admission
	Previous (Annual Scheme/Semester Scheme)	
8	University Convocation	To be announced later
9	Student Union Election/ Student Union	As per directions of the State Government
1.0	Office Inauguration	
10	Semester/ Annual examination Application	After admission
11	Vijay Dashmi Holiday	03 October, 2022 to 05 October, 2022
12	Deepawali Break	22 October, 2022 to 29 October, 2022
13	Odd Semester Examination	Affter 90 days of admission
14	Winter Vacation	25 December, 2022 to 31 December, 2022
15	Even Semester commencement	15 January, 2023 onwards
16	Odd semester Examination Result	30 January, 2023 to 15 February, 2023
17	Annual Practical Examination UG/PG	15 February, 2023 onwards
18	Certificate/ Diploma Examination	01 March, 2023 onwards
19	Annual UG Examination	01 March, 2023 onwards
20	Annual PG Examination	01 April, 2023 onwards
21	Semester Results	Till 30 June, 2023
22	Summer Vacation	01 May, 2023 to 30 June, 2023
23	Declaration of Results	UG Part III Results will be declared by
		15 th June, 2023 and other classes results
		will be declared by June 30, 2023



20. महत्त्वपूर्ण दूरभाष (Important Telephone No.)

क्र.सं.	पदनाम	नाम	सम्पर्क सूत्र
1,	कुलपति	प्रो. अमेरिका सिंह	2470597
2.	कुलसचिव	श्री सी.आर. देवासी	2470166
3.	वित्त नियंत्रक	श्री सुरेश कुमार जैन	2470621
4.	परीक्षा नियंत्रक	डॉ. आर.सी. कुमावत	2471372
5.	उप-कुलसचिव (परीक्षा)	डॉ. गिरिराज सिंह चौहान	2470749
6.	उप कुलसचिव (गोपनीय)	श्री मुकेश बारबर	2470707
7.	उप कुलसचिव (जी.ए.डी.)	डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़	2470707
8.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	डॉ. जी.एल. वसीटा	2470863
9.	विश्वविद्यालय अभियन्ता	श्री राकेश जैन	2471900
10.	अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन	प्रो. एम.एस. राठौड़	2471794
11.	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	प्रो. शूरवीर सिंह भाणावत	2413120
12.	संकायाध्यक्ष, एवं अधिष्ठाता विज्ञान महाविद्यालय	प्रो. सी.पी. जैन	2413955
13.	संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय	प्रो. पी.के. सिंह	2411408
14.	अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय	प्रो. सी.आर. सुथार	2470143
15.	अधिष्ठाता विधि महाविद्यालय एवं संकायाध्यक्ष	प्रो. आनन्द पालीवाल	2470958
16.	संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान	प्रो. सुरेन्द्र कुमार कटारिया	2470143
17.	संकायाध्यक्ष, मानविकी	प्रो. प्रदीप त्रिखा	2470143
18.	संकायाध्यक्ष एवं निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन संकाय	प्रो. हनुमान प्रसाद	2470208
19.	संकायाध्यक्ष, पृथ्वी विज्ञान	प्रो. बी.आर. बामनिया	2413955

20.	संकायाध्यक्ष, शिक्षा	प्रो. सी. आर. सुथार	2470143
21.	ऑफिसर इंचार्ज, केन्द्रीय पुस्तकालय	प्रो. आरती प्रसाद	2471370
22.	ऑफिसर इंचार्ज वि.वि. अतिथि गृह	डॉ. हनुमान प्रसाद	2471798
23.	निदेशक, कम्प्यूटर सेन्टर	डॉ. अविनाश पंवार	2471370
24.	मुख्य वार्डन, छात्रावास	प्रो. मंजु बाघमार	2470208
25.	अध्यक्ष, क्रीड़ा मंडल	प्रो. शूरवीर सिंह भाणावत	2417308
26.	निदेशक, महिला अध्ययन केन्द्र	प्रो. प्रतिभा	2470143
27.	निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	प्रो. कल्पना जैन	2470117
28.	विभागाध्यक्ष, भू-विज्ञान विभाग	डॉ. रीतेश पुरोहित	2413955
29.	विभागाध्यक्ष, फॉर्मेसी विभाग	प्रो. ललित सिंह चौहान	2470192
30.	समन्वयक, अनु.जाति व जनजाति प्रकोष्ठ	प्रो. पी. एम. यादव	2471949
31.	समन्वयक, प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	प्रो. प्रदीप त्रिखा	2470143
32.	समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्रो. सी. आर. सुथार	2470143
33.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय	डॉ. रेखा बैरवा	2470602
34.	सचिव, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल	डॉ. गिरिराज सिंह चौहान	2417308
35.	तकनीकी सलाहकार, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल एवं समन्वयक योग केन्द्र	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान	2417308
36.	अन्तर्राष्ट्रीय, विद्यार्थी परामर्शदाता	प्रो. प्रदीप त्रिखा	2470143
37.	पूछताछ – परीक्षा		2470749
38.	प्रशासनिक कार्यालय (ई.पी.ए.बी. एक्स)		2471035 2470918 2470509
39.	विश्वविद्यालय हेल्पलाईन नम्बर (E-mail : helpline@mlsu.ac.in)		2471505 2471506

CHITTORGARH

	EMAIL ID	principalmppq@gmail.com	girlscollegecor@gmail.com	ssgcm1997@gmail.com	college.nimbahera@gmail.com	rntkapasan1@gmail.com	spcollegebsr70@gmail.com	vision_mgmt@yahoo.com	mgimt04@yahoo.co.in	mgctt06@yahoo.com	drgirishsharma385@gmail.com	meeracollege@gmail.com	sntt.barisadri@gmail.com	rntbedcollege@gmail.com	rntkapasan1@gmail.com	bmttcollegechittor@yahoo.in	drgirishsharma385@gmail.com	poonammihir123@gmail.com	asnsvt@yahoo.com	collegeakc@gmail.com	college.suyash@gmail.com	govtcollegekapasan@gmail.com	omparmesh@gmail.com	usostwalprincipal@gmail.com	rawatbhatacollege2016@gmail.com	nttc20017@gmail.com	snttbped@gmail.com	omparmesh@gmail.com	principalbegun@gmail.com	bhattarcr@gmail.com
	IPAL ACT		9414202333	9460057949	9413047058	9828058477	8386953209	9829567678	9829240454	9481464520	8742053586	9414396212	9772298115	9587023090	9828058477	8290141141	8239368421	6375737873	9413214877	7023301055	9928029701	9460281902		9166515020	NIL	9414156322		NIL		
	PRINCIPAL CONTACT	9829217043	9414395827	9414258495	9413047570	9460040118	9829530947	9414156609	9414396303	9414796788	9521413942	9660661106	7891668633	9587076385	8239589903	7728984700	9694227373	9413480165	9413372905	9414202332	9414164608	8003275697	9001789644	9116618991	9414966808	9001087934	9928033300	9414857959	9079647189	9314121841
1	TYPE	GOVT	GOVT	GOVT	GOVT	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	GOVT	PRIVATE	PRIVATE	GOVT	B.ED.	B.PED	B.AB.ED./B.SCB.ED.	GOVT	GOVT
	COLLEGE NAME	MAHARANA PRATAP GOVT. P.G. COLLEGE, CHITTORGARH	GOVT. GIRLS COLLEGE, CHITTORGARH	SHRI SANWALIYAJI GOVT. COLLEGE, MANDPHIYA, CHITTORGARH	DR.BHIMRAO AMBEDKER GOVT. P.G. COLLEGE, CHITTORGARH	R.N.T. P.G. COLLEGE, KAPASAN, CHITTORGARH	S.P COLLEGE, BADI SADRI, CHITTORGARH	VISION COLLEGE OF COMMERCE, CHITTORGARH	MEWAR GIRLS COLLEGE, CHITTORGARH	SMT. CHANDRAWAL GUPTA COLLEGE, REODAR, SIROHI	SHARDHALAYA JAN JATI B.ED. COLLEGE, RAWATBHATA, CHITTORGARH	MEERA MAHILA B.ED COLLEGE, CHITTORGARH	SHRINATH T.T. COLLEGE, BARISADRI, CHITTORGARH	R.N.T.COLLEGE OF B.Ed., CHITTORGARH	R.N.T.COLLEGE OF TEACHERS EDUCATION, KAPASAN, CHITTORGARH	BHAGAWATI MAHILA T.T. COLLEGE, BASSI, CHITTORGARH	SHARDHALAYA WOMEN T.T. COLLEGE, RAWATBHATA CHITTORGARH	BAHUBALI T.T. COLLEGE,BADWAI, CHITTORGARH	ACHARYA SHREE NANESH SAMTA MAHAVIDYALAYA, DANTA, CHITTORGARH	AKC COLLEGE, CHITTORGARH	SUYASH COLLEGE, RASHMI,	GOVT. COLLEGE, KAPASAN, CHITTORGARH	OM SHIV SANSTHAN COLLEGE, MANGALWAD, CHITTORGARH	U.S. OSTWAL SCIENCE, ARTS & COMMERCE TOLL PLAZA, MANGALWAD, CHITTORGARH	GOVT. COLLEGE, RAWATBHATA, CHITTORGARH	NAVKAR TEACHER TRAINING COLLEGE, BHADESAR, CHITTORGARH	SHREE NATH PHYSICAL TEACHER TRAINING COLLEGE, BARISADRI, CHITTORGARH	OM SHIV SANSTHAN T.T. COLLEGE, MANGALWAD, CHITTORGARH	GOVERNMENT COLLEGE, BEGUN, CHITTORGARH	GOVT.COLLEGE, BARISADARI, CHITTORGARH 2018-19
	.No. CCODE	9	7	16	20	54	70	80	85	98	92	121	124	129	. 160	170	182	190	197	215	253	259	279	292	298	308	311	313	316	322
	Z		2	3	4	2	9	7	∞	6	10	Ξ	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

	ıail.com		gmail.com	il.com		ail.com	mo	ul@gmail.com		nail.com		COM		ail.com			om			com		com	t@gmail.com	ail.com	mc			l.com
EMAIL ID	sitemanagement2006@gmail.com	gcdevgarh@gmail .com	kautilyacollegeprempura@gmail.com	saintmeerasansthan@gmail.com	ggcr.17@gmail.com	gckumbhalgarh2017@gmail.com	lekhrajschauhan@gmail.com	shreegovindam.educational@gmail.com	gcrailmagra@gmail.com	gyanodaygirlscollege@gmail.com		SMVSGROUP@GMAIL.COM		govtcollegekhamnor@gmail.com		ggck21@gmail.com	degreecollege27@gmail.com		EMAIL ID	smcc.govtcollege@gmail.com	collegesirohi@gmail.com	priclpalggcsirohi@gmail.com	govtcollegeametrajsamand@gmail.com	jrcollegepindwara77@gmail.com	tpbedcollageadr@gmail.com	scgmc@rediffmail.com	dr.nkpaliwal@gmail.com	sanskarttcollege97@gmail.com
YPAL 'ACT		NIL	NIL		0295-230805		9461995599			9414788865									YPAL ACT	9928107752	9414489893	9413818168	9414166417	8947887944	9829836001	9828839990	9530084955	
PRINCIPAL	9829292624	8209444805	8112276044	. 9602222002	8209444805	8209444805	9414733378	9414155045	9887884942	8503888865		9460372195		9413255515		8377917640	9783383100		PRINCIPAL CONTACT	9983610324	9414674379	9414872044	8764060406	9461535469	7597068695	9828024811	8005710916	9413369733
TYPE	PRIVATE	TVOD	PRIVATE	B.AB.ED./B.SCB.ED. 9602222002	GOVT	GOVT	PRIVATE	PRIVATE	GOVT	Private		Private		Govt		Govt	Private		TYPE	GOVT	GOVT	GOVT	GOVT	PRIVATE	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.
COLLEGE NAME	SHRINATHJI INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT, UPALI ODEN, NATHDWARA RAIASAMAND	GOVT. COLLEGE, DEOGARH, RAJASAMAND	KAUTILYA COLLEGE, KUNWARIYA, RAJASAMAND	SAINT MEERA T.T. COLLEGE, NATHDWARA, RAJASAMAND	GOVERNMENT GIRLS COLLEGE, RAJASAMAND	GOVERNMENT COLLEGE, KUMBHALGARH, RAJASAMAND	KARNI GIRLS COLLEGE, DEOGARH, RAJSAMAND- 2019-20	SHREE JI COLLEGE, NATHDWARA, RAJASAMNAD- 2019-20	GOVT COLLEGE RAILMANGARA, RAJSAMAND	Gyanoday Girls College, Jilola Amet Shanidev Mandir Vewar Mahadev Road	Amet Distric Rajsamand 2020-21	SHREE MAHAVEER COLLEGE, KHAMNORSOI KI BHAGAL TEHSIL KHAMNOR	DISTTRICT RAJSAMAND	GOVERNMENT COLLEGE KHAMNOR, TEHSIL KE PASS, KHAMNOR DISTRICT	RAJSAMAND, RAJASTHAN	KIRAN MAHESHWARI GOVT. GIRL'S COLLEGE, KUNWARIYA, RAJSAMAND	SAINT MEERA UNNATI COLLEGE, RAJSAMAND	SIROHI	COLLEGE NAME	S.M.C.C. GOVT.COLLEGE,ABU ROAD, SIROHI	GOVT P.G COLLEGE, SIROHI	GOVT. GIRLS COLLEGE, SIROHI	S.M.P.B.J. GOVT COLLEGE, SHEOGANJ, SIROHI	J.R. COLLEGE, PINDWARA, SIROHI	SHREE TEJENDRA PRASAD T. T. COLLEGE, ABU ROAD, SIROHI	SHRIMATI CHANDRAWAL GUPTA MAHILA T.T. COLLEGE, ABU ROAD, SIROHI	GURUKUL MAHILA B.ED.COLLEGE, SIROHI	SANSKAR T.T. COLLEGE, SHEOGANJ, SIROHI
CCODE	208	273	288	310	317	318	501	503	505	512		517		524		525	527		CCODE	1	27	28	48	77	91	109	120	159
S.No. (16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26		27		28	29		S.No.	-	2	3	4	5	9	7	∞	6

S.No.	CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	IPAL ACT	EMAIL ID
10	186	U.S.B COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, ABUROAD, SIROHI	B.ED.	9414323281	7875666499	usbbed@gmail.com
111	187	SHRINATH B.Ed. COLLEGE, AMTHALA, ABU ROAD, SIROHI	B.ED.	9829246999	2974228484	shreenatheducare@yahoo.com
12	189	Dr.Rajendra muni B.ed. college, mount abu, sirohi	B.ED.	8058375761	9660434643	drmbedcollege@yahoo.in
13	198	S.P. COLLEGE, SIROHI	PRIVATE	9694638641	9414153177	liondrvktrivedi@yahoo.co.in
14	200	ST PAUL,S COLLEGE OF SCIENCE AND MANGEMANT, ABU ROAD, SIROHI	PRIVATE	9928400050	9928400050	stpaulcollegeaburoad@gmail.com
15	218	SANT MEERA COLLEGE, SHEOGANJ, SIROHI	PRIVATE	9829791775	9829069775	santmeeracssheo@gmail.com
16	250	UTTAM PRAKASH AGARWAL COLLEGE OF COMMERCE & ECONOMICS, ABU ROAD, SIROHI	PRIVATE	9799111264	9460977209	uttam@uttamcorporate.com
17	252	ADARSH COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES, ABU ROAD, SIROHI	PRIVATE	9828166854	9828166945	info.acpsabr@gmail.com
18	307	TRINITY TEACHER TRAINING COLLEGE, VILLAGE- JHADOLI, NH-14,	B.ED.	979902208	941321270	trinityteacherstracollege@gmail.com
		TEHSIL- PINDWARA, SIROHI				
19	312	SHRIMATI CHANDRAWAL GUPTA COLLEGE, VILLEGE- BASAN, TEHSIL- REODAR, SIROHI	B.ED.	7357641444	9413121952	scgcreodar@rediffmail.com
20	323	GOVT. COLLEGE, REODAR, SIROHI 2018-19	GOVT	9414489893		collegesirohi@gmail.com
21	325	GOVT. COLLEGE, PINDWARA, SIROHI 2018-19	GOVT	9414872044	9460072983	priclpalggcsirohi@gmail.com
22	518	"TRINITY COLLEGE Nh-14 KHETLA JI TEMPEL VILLAGE JHADOLI, TEHSIL	Private	9530294564		jagdishsingharha07@gmail.com
		-PINDWARA DISTRICT SIROHI "				
		UDAIPUR				
S.No.	CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	IPAL ACT	EMAIL ID
-	12	PT. UDAI JAIN COLLEGE, KANORE, UDAIPUR	PRIVATE	9414683080	7737168932	pujc1976@gmail.com
2	13	S.B.S CHORDIA J.V.P. T.T. COLLEGE, KANORE, UDAIPUR	B.ED.	7426905354	9414471165	jvpttcknr@gmail.com
3	26	HADA RANI GOVT. COLLEGE, SALUMBER,	GOVT	9414315181	9636905424	h.r.g.college@gmail.com
4	37	GURU NANAK GIRLS COLLEGE, UDAIPUR	PRIVATE/B.Ed.	9414164030	9414164031	gurunanak37.college@gmail.com
5	40	GOVT. MEERA GIRLS COLLEGE, UDAIPUR	GOVT	9460970397	9982336850	meeragirlscollege@gmail.com
9	41	NIMBARK T.T. COLLEGE, UDAIPUR	B.ED.	9460558991	9352502077	nimbarkprincipal@yahoo.com
7	42	PACIFIC COLLEGE, UDAIPUR	PRIVATE	9462700456	9008900896	pacificcollege42@gmail.com
∞	43	Rajasthan Mahila Teacher'ss Training College, Gyan Marg, Near Gulab Bag, Udaipur	B.ED.	9414157007	9166177814	rmttc11@gmail.com
6	4	V.B.R.I. UDAIPUR	PRIVATE	8764270893	9929364610	vbriudr@yahoo.com
10	45	V.B.G.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR	B.ED.	9828142429	9414263345	vbcteudr@gmail.com
111	46	J.R.SHARMA P.G. COLLEGE, JHADOL, UDAIPUR	PRIVATE	9413262136	7340634112	j.r.sharma.jhadol@gmail.com
12	51	GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR	PRIVATE	9414472914	9829443371	gpjcgogunda@gmail.com
13	53	R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER, UDAIPUR	В.РЕД	9928070715	9414830948	rpphysicalcollege@gmail.com
l						

EMAIL ID	principal@aishwaryacollege.ac.in	kherwaragovtcollege@gmail.com	rpgirlscollege@gmail.com	mrcollegefnr@gmail.com	maharaja.bedcollege@gmail.com	svcollege90@gmail.com	govtcollegekotda@gmail.com	principal@aishwaryacollege.ac.in		arihant.mttc.udr@gmail.com	jhadolttcollege@gmail.com	info@ccttudaipur.org	thenoblesbed@gmail.com	girish6071@yahoo.com	j.r.sharma.jhadol@gmail.com,	vivekanand_college_2006@yahoo.com	mewarsss@gmail.com		aravali2007@gmail.com		0294-2482315	mahaveerjvsansthan@yahoo.com		sagarkherwara071@yahoo.com	krishnacollege.bped@gmail.com	jrsrishbhdeo@gmail.com	jbpcollege@yahoo.com	indoamericaninstitute@gmail.com	nupurdk@yahoo.com,	sscollegeofeducation@gmail.com	mttc.org@gmail.com	dr.lokeshjain@gmail.com	vd_gies@yahoo.com	
	9461673021	7742239771	9414830948	9413262283	9460724738	8829056369	9887803571			9413262552	8769866502	9785775888	9460020464	9352390298	9672348847	9828056023	9414830948		9414644052			9461403596		9414786867	9928817765	9829443371	9414168050	9351561439	9414163656	9829046988	9414830551	9460380881	9414353655	
PRINCIPAL CONTACT	9001999452	9929050417	9460729936	9414343805	9460801719	9413024600	7014244146	9799118605		9252013009	9414621502	9460084076	9414785170	9460878793	9001785039	9828058477	7891190017		9057519052		7976313364	9414168838		9799463082	823379089	7737008715	9214692569	9784948832	9214910890	9414067553	9214202357	9829009390	9414925807	
TYPE	PRIVATE/B.Ed.	GOVT	PRIVATE	PRIVATE	B.ED.	PRIVATE	GOVT	B.AB.ED./	B.SCB.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED. And	B.AB.ED.	B.ED. And	B.AB.ED.	B.ED.	"B.ED. And	B.AB.ED.	B.ED.	B.PED	PRIVATE	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	
COLLEGE NAME	AISHWARYA COLLEGE OF EDUCATION SANSTHAN, UDAIPUR	GOVT. COLLEGE (B.ED.), KHERWARA, UDAIPUR	R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER, UDAIPUR	MAHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR, UDAIPUR	MAHARAJA COLLEGE OF ARTS & EDUCATION, UDAIPUR	SWAMI VIVEKANAND COLLEGE VALLABHNAGAR, UDAIPUR	GOVT. COLLEGE, KOTRA, UDAIPUR	AISHWARYA T.T. COLLEGE, UDIPUR		ARIHANT MAHILA B.ED.COLLEGE, DEBARI, UDAIPUR	T.T. COLLEGE, JHADOL, UDAIPUR	CHANAKYA COLLEGE OF TEACHERS TRAINING, UDAIPUR	THE NOBLES T.T. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR	SHREENATH MAHILA T.T. COLLEGE, MAVLI, UDAIPUR	J.R.SHARMA GIRLS T.T. COLLEGE, JHADOL, UDAIPUR	VIVEKANAND COLLEGE OF B.ED, DABOK, UDAIPUR	RANA PRATAP MAHILA T.T. COLLEGE, BHINDER, UDAIPUR		ARAVALI T.T.COLLEGE,AIRPORT ROAD, DEBARI, UDAIPUR		"AADINATH MAHILA T.T. COLLEGE, UDAIPUR 2018-19"	MAHAVEER JAIN VIDHYALAYA SANSTHAN, KIR KI CHOKI, BADGAAV,	BHINDER, UDAIPUR	SAGAR B.ED COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR	KRISHNA COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION, MAVLI, UDAIPUR	J.R. SHARMA COLLEGE, RISHABHDEO, UDAIPUR	JYOTI BAPHULE T.T. COLLEGE, MANWAKHEDA, UDAIPUR	INDO AMERICAN INSTITUTE, BALICHA, UDAIPUR	KALA ASHRAM COLLEGE OF TEACHERS TRANING, BHUWANA, UDAIPUR	S.S COLLEGE OF EDUCATION(S.S. Shikshan Sansthan), UMARDA, UDAIPUR	MANTRAM T.T. COLLEGE, KAMLI NOHARA, NAI, UDAIPUR	THE SCHOLAR ARENA GIRLS B.ED. COLLEGE, UDAIPUR	VIDHYA BHAWAN GANDHIAN INSTITUTE OF EDUCATION STUDIES,	RAMGIRI, BADGAON, UDAIPUR
CCODE	57	28	62	73	88	06	101	103		107	108	122	123	125	126	128	131		135		136	137		138	141	145	146	147	148	149	152	153	162	
S.No.	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29		30		31	32		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	

S.No.	CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	PAL ACT	EMAIL ID
43	163	SANIIVANI T.T. COLLEGE, BALICHA BY PASS, KAYA, UDAIPUR	B.ED.	9460632927	9829055950	sanjeevanittcollege@yahoo.in
44	165	WISDOM T.T. COLLEGE, MULLATALAI, UDAIPUR	B.ED.	8233465024	9828271785	siddiq4u18@yahoo.com
45	167	KRISHNA MAHILA T.T. COLLEGE, SISARAMA, UDAIPUR	B.ED.	9928083643	9636482088	mail@kmttcollege.com,
46	168	MAHARISHI INSTITUTE OF EDUCATION& RESEARCH, SUNDERWAS, UDAIPUR	B.ED.	9414232958	9414165458	mierudaipur.org@gmail.com
47	171	S.S. COLLEGE OF EDUCATION, SWAMI SHARANAM SHIKSHAN SANSTHAN,	B.ED.	9928175297	7665928239	sscollegeofeducation041@gmail.com
		UMARDA, UDAIPUR				
48	173	MAHARANI GIRLS B.ED COLLEGE, DEBARI, UDAIPUR	B.ED.	9414934786	8003123461	maharajamgbc3@gmail.com
49	174	SHRI RAM COLLEGE OF TEACHERS & EDUCATION, UDAIPUR	B.ED.	9413480476	9251456974	srcte174@gmail.com
50	175	MAA VAISHNO T.T. COLLEGE, UMARDA, UDAIPUR	"B.ED. And	9414314559	9351663963	mvttc175@gmail.com
			B.AB.ED			
51	177	ASIAN COLLEGE OF EDUCATION, UDAIPUR	B.ED.	8949316324	9414168501	sca_ca@yahoo.com
52	178	ARAVALI T.T.COLLEGE, EKLINGPURA, UDAIPUR	"B.ED. And	9414684138	9001895900	aravalicollege16@gmail.com
			B.AB.ED.			
53	179	RAJDEV T.T. COLLEGE, SISARMA ROAD, UDAIPUR	B.ED.	9460402280	7014526520	rdttcudaipur@gmail.com
54	180	VIDHYA BHARTI T.T. COLLEGE, MAVLI, UDAIPUR	"B.ED. And	9983467021	9829046988	vbttc180@gmail.com
			B.AB.ED.			
55	183	RAM KISHAN T.T. COLLEGE , VILLAGE- BUDHAL, UDAIPUR	B.ED.	7014689109	9414168050	ramkishantt@gmail.com
99	184	MATHESHWARI T.T. COLLEGE, UMARDA, UDAIPUR	B.ED.	8302044424	9414233441	mttcollegeudaipur@gmail.com
57	191	RAVINDRA NATH THAKUR B.ED. COLLEGE, DEBARI, UDAIPUR	B.ED.	9414730682	7568068276	rntbedudr@gmail.com
58	192	HADI RANI T.T. COLLEGE, SHOBHAGPURA, UDAIPUR	B.ED.	8875705327	9636148137	hrttcudaipur@gmail.com
65	193	CHUNDA MAHILA T.T. COLLEGE, UDAIPUR	B.ED.	9828097611	97828097611, 9	9829702109cmttcudaipur@rediffmail.com
09	194	TAXSHILA VIDHYAPEETH SANSTHAN B.ED. COLLEGE, CHIRVA, UDAIPUR	B.ED.	9605903954	9414161581	tvps_udr@yahoo.in
61	195	ANEKANT SEWA SANSTHAN T.T COLLEGE, SALUMBER, UDAIPUR	B.ED.	9783272800	9829616669	anecol10@gmail.com
62	196	PREMSHANTI NIKETAN T.T. COLLEGE, UDAIPUR	B.ED.	9460253234	Nil	psnttc@gmail.com
63	201	SUN COLLEGE OF MANAGMANT & SCIENCE, KALADWAS, UDAIPUR	PRIVATE	9660658551	9414156570	info@suneducation.org,
64	203	R.M.V. GIRLS COLLEGE, UDAIPUR	PRIVATE	Nil	9413955007	principalrmv2011@gmail.com
65	214	KAVYANJALI COLLEGE, CHAWAND, UDAIPUR	PRIVATE	9414289958	9929642358	kgcchawand881@gmail.com
99	226	BHUPAL NOBLES GIRLS COLLEGE, SALUMBER, UDAIPUR	PRIVATE	7230060824	9829751253	bngirlssulumber@gmail.com
29	229	J.R. SHARMA COLLEGE, PHALASIA, UDAIPUR	PRIVATE	8826221559	9571295705	jrphalashin@gmail.com
89	257	GOVT. GIRLS COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR	GOVT	9414158932	9829473103	govtgirlscollege.kherwara@gmail.com
69	260	GOVT.COLLEGE, SARADA, UDAIPUR	GOVT	9414472186	9413664269	govtcollegesarada@gmail.com
70	270	DRONACHARYA COLLEGE, BHINDER, UDAIPUR	PRIVATE	7568666868	978587863	dronacharyacollegebhindar@gmail.com
71	272	GOVT. COLLEGE, JHADOL, UDAIPUR	GOVT	9413954772	9982007516	gcjhadol14@gmail.com
72	297	GOVT. COLLEGE, GOGUNDA, UDAIPUR	GOVT	9414163285	9414352595	gcgogunda@gmail.com

S.No.	S.No. CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	IPAL ACT	EMAIL ID
73	299	THE GURUKUL COLLEGE, BUDAL, UDAIPUR	PRIVATE	9772740999	9772740999	thegurukulcollege2015@gmail.com
74	301	MAHAVEER COLLEGE, BADGAON, KEER KI CHOUKI, BHINDER, UDAIPUR	PRIVATE	07665568838	9460372195	mahaveerjvsansthan@yahoo.com,
75	302	AKME THE SCHOLARS ARENA GIRLS DEGREE COLLEGE, UDAIPUR	PRIVATE	9829009390	9799243411	dr.lokeshjain@gmail.com
92	306	GURUKUL COLLEGE, VILLAGE- BUDHUAL, TESHIL, GIRWA, UDAIPUR	B.AB.ED.	7014689109	9414168050	gurukulcollegebudal@gmail.com
77	309	ADARSH KANYA MAHAVIDYALAYA, FATEHNAGAR, MAVLI,	PRIVATE	8290860863	9414420568	shreesaipvtiti@gmail.com
78	315	VINAYAK COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR	PRIVATE	9460701451	9828421774	vinayakcollege1982@gmail.com
62	319	GOVERNMENT COLLEGE, LASADIYA, UDAIPUR	GOVT	7297842182		gclasadiya@gmail.com
80	320	RANA PUNJA COLLEGE, VILLAGE- OGNA, TEHSIL- JHADOL, UDAIPUR	PRIVATE	8302150505	9414160960	rpcogna@gmail.com
81	321	ARAVALI COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE, EKLINGPURA, UDAIPUR	PRIVATE	9414684138	9414164115	aravali2007@gmail.com
82	324	GOVT. COLLEGE, MAVLI, UDAIPUR 2018-19	GOVT	9461659202		governmentcollegemavli@gmail.com
83	326	AAKAR COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR 2018-19	PRIVATE	7405728742	79760299599	aakarsansthan@gmail.com
84	327	ASPIRE DEGREE COLLEGE, BEMLA KURABAD, UDAIPUR 2018-19	PRIVATE	9414832244		adcbemla@gmail.com
85	333	"SUNRISE COLLEGE, UMARDA, UDAIPUR 2018-19"	PRIVATE	26501089	9079000948	harishrajani19@gmail.com
98	410	GEETANJALI COLLEGE OF SCIENCE & COMMERCE, DABOK, UDAIPUR -2018-19	PRIVATE	8209062661		principal@gcsc.ac.in
87	502	NAGFANI DEGREE COLLEGE, KHERAWARA, UDAIPUR - 2019-20	PRIVATE	9001460252	9414326819	nagfani2012@gmail.com
88	504	S.S. Gurukul College, Village Post Jaitana, Tehsil Salumber, Udaipur	PRIVATE	9414245586	9783920987	gurukarmajaitana11@gmail.com
68	909	GURUKUL COLLEGE,SALUMBER, UDAIPUR 2019-20	PRIVATE		7737500308	birdu.ramyadav@gmail.com
06	507	MEENAKSHI EDUCATION SANSTHAN, SALUMBER, UDAIPUR 2019-20	PRIVATE	8696907762		Meenakshicollegesalumber@gmail.com
91	208	J.R. COLLEGE, VILLEGE-POST- GORELA, SISARAMA, UDAIPUR(2019-20)	PRIVATE	9983191285		virendrach28@gmail.com
92	510	Tulsi Amrit Basanti Devi Tara Chand Parmar Balika Mahavidhyalay Kanod, Udaipur	Private	9413549533		tulsiamrit2018@gmail.com
93	519	GAJENDRA SINGH SHAKTAWAT GOVT GIRLS COLLEGE BHINDER	Govt	9982336850		girlscollegebhinder@gmail.com
94	520	SANWARIYA COLLEGE SALUMBER	Private	8769294975		sanwariyacollege2020@gmail.com
95	522	LEELAWATI COLLEGE	Private	9571707230		clgleelawati@gmail.com
96	523	GOVERNMENT COLLEGE RISHABHDEV VILLAGE RISHABHDEV	Govt	9414184331		rishabhdevgovtcollege2021@gmail.com
		TEHSIL RISHABHDEV DIST. UDAIPUR				
76	526	SUNRISE COLLEGE JHALLARA, NEAR S.R. PETROL PUMP JHALLARA, UDAIPUR	Private	6367967269		sunrisecollegejhallara@gmail.com

विद्यार्थियों के लिए अतिमहत्त्वपूर्ण सूचना

विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक घूमने वाले छात्रनेताओं को सूचित किया जाता है कि शिक्षण संस्था परिसर में विशेषतः परीक्षाकार्यों के दौरान घूमना दंडनीय अपराध है।

सभी छात्र/छात्राएँ अपने साथ परिचय पत्र एवं वर्तमान सत्र के प्रवेश की शुल्क जमा रसीद की छायाप्रति हमेशा साथ रखें। इसके अतिरिक्त अन्य परिचय पत्र भी आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि साथ रखें।

विश्वविद्यालय हेल्पलाईन नम्बर और ई-मेल आई डी

0294-2471505, 2471506 E-mail: helpline@mlsu.ac.in

संयोजन एवं संपादन

- •प्रो. एस.के. कटारिया
- •डॉ. नवीन नंदवाना
- •डॉ. हरीश
- •डॉ. मुरलीधर पालीवाल
- •श्री भँवर सिंह चौहान



